Monday, 05 September, 1960

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४६, १९६०/१८८२ (शक)

[२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६०/७ से १८ भाद्र १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
On 29-11-83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४६ में अंक २१ से ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

द्वितीय माला, खण्ड ४६,—अंक २१ से ३१—२९ अगस्त से ९ सितम्बर १९६० / ७ से १८ भाद्र, १८८२ (शक)

अंक २१ सोमवार, अगस्त २९, १९६०/७ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२४ से ८२६ और ८२८ से ८३५ . . २६२३—४७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . २६४७—५०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२७ और ८३६ से ८७० . . २६५०—६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १६३१ से १६६०, १६६२ से १७०३ और १७०५ से १७०७ . . . . . २६६५—९६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २६९६–९७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २६९८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बालकेश्वर में तेल का मिलना २६९८–९९

सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक—पुरस्थापित २६९९

वर्ष १९६०–६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) . २६९९—२७३४

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २७३४—३७

विचार करने का प्रस्ताव २७३४–३७

तेल सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव . . . . २७३७—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २७५४—६०

अंक २२ मंगलवार, ३० अगस्त, १९६०/८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०-क, ८७१ से ८७४, ८७६ से ८८०, ८८२ और ८८३ . . . २७६१—८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २७८४—८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७५, ८८१, ८८४ से ९०२ और ९०४ से ९१४ २७८७—२८००

अतारांकित प्रश्न संख्या १७०८ से १७७० और १७७२ से १७८१ २८००—२८

विशेषाधिकार भंग के बारे में प्रस्ताव . . . २८२९

तारांकित प्रश्न संख्या ८७२ तथा ९०३ के बारे में . २८३०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २८३०–२८३१

राज्य-सभा से सन्देश . . . २८३१

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया २८३१

आसाम जाने वाले संसद सदस्यों के शिष्टमंडल का प्रतिवेदन . २८३२–३३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . . २८३४

उनहत्तरवां प्रतिवेदन २८३४

विधेयक—पुरस्थापित २८३४

(१) बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक २८३४

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६० २८३४

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक . . २८३४

विचार करने का प्रस्ताव . . . . २८३४—३७

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . १८३७–३८

पारित करने का प्रस्ताव २८३८

बाट तथा माप के प्रमाप (संशोधन) विधेयक . . २८३८—४२

विचार करने का प्रस्ताव . . . २८३८—४२

खण्ड १ से ३ . . २८४२

पारित करने का प्रस्ताव २८४२

भारतीय मज़दूर संघ (संशोधन) विधेयक . . . २८४३

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . २८४३—५५

खण्ड २ से ९ और १ . . . . . २८५५—५८

संशोधत रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . २८५८

औषधि (संशोधन) विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव २८५९—६१

पैकेज प्रोग्राम के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . २८६१—६७

दैनिक संक्षेपिका . . . . २८६८—७४

अंक २३ बुधवार, ३१ अगस्त, १९६०/९ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६, ९१८ से ९२२, ९२५, ९२६, ९२८ से ९३३, ९३५ और ९३७ . . . . २८७५—९९

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ और ८ . २८९९--२९०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९१७, ९२३, ९२४, ९२७, ९३४, ९३६ और ९३८ से ९६३ . . . . २९०४--१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७८२ से १८११ और १८१३ से १८५६ २९२०--५२

सभा पटल पर रखे गये पत्र २९५२--५४

सदस्य की दोष-सिद्धि २९५४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक--पारित २९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव २९५५--८७

दैनिक संक्षेपिका २९८८--९३

अंक २४ गुरुवार, १ सितम्बर, १९६० / १० भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९६४ से ९७४, ९७६ और ९८२ . . २९९५--३०१७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . ३०१७--२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९७५, ९७७ से ९८१ और ९८३ से १००८ ३०२०--३२

अतारांकित प्रश्न संख्या १८५७ से १९४२ और १९४४ से १९४९ ३०३२--७६

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ३०७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०७७--७९

राज्य सभा से सन्देश ३०७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

एयर कारपोरेशन कर्मचारी संघ की बम्बई प्रादेशिक समिति द्वारा हड़ताल की धमकी ३०७९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३०७९--८८

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . ३०८९--३११५

खाद्यान्नों के मूल्यों के बारे में आधे घंटे की चर्चा . ३११५--१८

दैनिक संक्षेपिका ३११९--२६

अंक २५ शुक्रवार, २ सितम्बर, १९६० / ११ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १००९ से १०१३, १०१५ से १०१८, १०२० और १०२२ से १०२६ . . ३१२७--५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१४, १०१६, १०२१ और १०२७ से १०४८ ३१५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० से १६५६ और १६५८ से २०३६ ३१६१–३२०३

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . ३२०३

राज्य सभा से सन्देश ३२०३

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश . . . ३२०३

स्कूटरों के बारे में वक्तव्य ३२०४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आन्ध्र के रायलसीमा और अन्य ज़िलों में दुर्भिक्ष की स्थिति ३२०४–०६

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . ३२०६–३१

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . . ३२३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३२३२–३७

अंक २६ शनिवार, ३ सितम्बर, १६६० / १२ भाद्र, १८८२ (शक)

राज्य सभा से सन्देश . . ३२३६–४०

भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३२४०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ।

पंजाब के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति ३२४०–४२

सभा का कार्य . . ३२४३

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक—पुरस्थापित . ३२४४

कार्य मंत्रणा समिति

पचपनवां प्रतिवेदन . . ३२४४

आसाम की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . ३२४४–७६

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

उनहत्तरवां प्रतिवेदन ३२८०

समाचार पत्रों द्वारा समाचारों तथा विचारों के प्रसार के बारे में संकल्प—

अस्वीकृत ३२८०–६०

नौवहन सभा के बार में संकल्प

दैनिक संक्षेपिका . . . ३२६१–६२

पृष्ठ

अंक २७—सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०/१४ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४९ से १०५२, १०५४, १०५७, १०५८, १०६०, १०६२ से १०६५ और १०६८ से १०७० . . ३२९३–३३१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५५, १०५६, १०५९, १०६१, १०६६, १०६७ और १०७१ से १०८६ . . . . . ३३१७–२९

अतारांकित प्रश्न संख्या २०४० से २१३१ . . . . ३३२९–७१

सभा पटल पर रखा गया पत्र ३३७१

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . . ३३७१

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— ३३७२–७४

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

औषधि (संशोधन) विधेयक ३३७४–९१

विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में. . ३३७४–९१

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . ३४१५–१९

सभा का कार्य ३४१९

दैनिक संक्षेपिका ३४२०–२६

अंक २८—मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८७ से १०९०, १०९२, १०९६, १०९८ से ११०० और ११०४ . . . ३४२७–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९१, १०९३ से १०९५, १०९७, ११०१ से ११०३ और ११०५ से ११४५ . . . . . ३४४८–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या २१३२ से २२४५ . . . ३४७०–३५२०

स्थगन प्रस्ताव . . . .

इन्डो-स्टेनवेक परियोजना के कर्मचारियों की छटनी ३५२०

पृष्ठ

सभा पटल पर रख गये पत्र ३५२१,३५२२

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . . ३५२१–२२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

दिल्ली में भूकम्प ३५२२–२३

विधेयक—पुरस्थापित ३५२३–२४

१. अधिमान अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक, १९६० . ३५२३–२४

२. भारतीय डाक-घर (संशोधन) विधेयक, १९६० . . ३५२४

औषधि (संशोधन) विधेयक . . . ३५२४–३०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५२४,३५२५–२९

खण्ड २ से ११ तथा १ . . . ३५२९–३०

पारित करने का प्रस्ताव . ३५३०

सभा का कार्य . . . ३५२४

सीमा शुल्क और उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक ३५३०–३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३०–३१

खण्ड २ से १०, अनुसूची तथा खण्ड १ . ३५३१

विचार करने का प्रस्ताव ३५३१

बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक . . . ३५३२–५३

विचार करने का प्रस्ताव ३५३२–४९

खण्ड २ से १० तथा १ . . . . . ३५४९–५२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ३५५२–५३

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक ३५५३–५६

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३५५३–५६

दक्षिण जाने वाली रेलगाड़ियों में स्थान सुरक्षित करने की व्यवस्था के बारे में आधे घंटे की चर्चा . . . ३५५७–६३

तृतीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समितियां,, . . ३५६३

दैनिक संक्षेपिका ३५६४–७१

अंक २९—७ सितम्बर १९६०/१६ भाद्र १८८२ (शक) — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४६, ११४९ से ११५२, ११५४, ११५५, ११५८ से ११६२, ११६४, ११६५, ११६९ और ११७० . ३५७३–९८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११४७, ११४८, ११५३, ११५६, ११५७, ११६३ और ११६६ से ११६८ और ११७१ से ११९२ . . ३५९९–३६१२

अतारांकित प्रश्न संख्या २२४६ से २३२५, २३२९ से २३४८, २३४८-क, २३४८-ख, २३४८-ग, २३४८-घ और २३४८-ङ ३६१२–६४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३६६४–६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश ३६६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

सतरवां प्रतिवेदन . . . ३६६६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

भिलाई तथा रूरकेला इस्पात की योजनाओं में कोयले और लौह अयस्क की कमी ३६६७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३६६७–७७

उड़ीसा में बाढ़ के बारे में प्रस्ताव . . ३६७७–३७१२

नौवहन के विस्तार के बारे में आधे घण्टे की चर्चा ३७१२–१३

दैनिक संक्षेपिका . . ३७२१–२८

अंक ३०—८ सितम्बर, १९६० / १७ भाद्र, १८८२ (शक)

निधन सम्बन्धी उल्लेख ३७२९

दैनिक संक्षेपिका . ३७३०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अंक ३१—शुक्रवार, ९ सितम्बर, १९६० / १८ भाद्र, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२३० से १२३३, १२३५, १२३६, १२३८, १२४० से १२४३ और १२६४-ख . ३७३१–५४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० और ११ ३७५४–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११९३ से १२११, १२११-क, १२१२ से १२१६, १२१६-क, १२१६-ख, १२१६-ग, १२१६-घ, १२१७ से १२२९ और १२२९-क, १२३४, १२३७, १२३९, १२४४ से १२६४, १२६४-क, १२६४-ग, १२६५ से १२७४, १२७४-क, १२७५, १२७५-क, १२७६, १२७७ और १२७८ . . . . . ३७५७–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३४९ से २४३०, २४३०-क, २४३०-ख, २४३१ से २४९७, २४९९ से २५२१, २५२४ से २५३१, २५३३ से २५४२ और २५४४ से २५५३ . ३७९६–३८९३

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या ७६१, दिनांक १६-८-६०, के उत्तर में शुद्धि .	३८९३
स्थगन प्रस्ताव	३८९३–९५
१. कोयला खान श्रमिक पंचाट की कथित अकार्यान्विति . .	३८९३–९४
२. उर्वरकों का अन्तर्राज्यीय वहन	३८९४–९५
३. हड़ताल करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	३८९५
सभा का कार्य . .	३८९६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३८९६–९८
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
कार्यवाही सारांश	३८९८
याचिका समिति—	
कार्यवाही सारांश . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
कार्यवाही-सारांश . .	३८९९
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	३८९९
याचिका समिति—	
दसवां प्रतिवेदन . . .	३८९९
लाभ-पद सम्बन्धी संयुक्त समिति—	
दूसरा प्रतिवेदन	३८९९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना .	३८९९–३९०१
१. पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारियों की छटनी .	३८९९–३९००
२. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों का पुनरीक्षण	३९००–०१
३. मैसूर में दुर्भिक्ष की स्थिति . . .	३९०१
४. पंजाब में आटा मिलों को गेहूं का संभरण . .	३९०१
५. गन्ना उत्पादकों को भुगतान करने की दरों से सम्बन्धित अनुसूची	३९०१
६. लखनऊ की छत्तर मंजिल में दरारें .	३९०२
तारांकित प्रश्न संख्या ५८९ के उत्तर की शुद्धि	३९०२

पृष्ठ

प्रत्यक्षकर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों पर निर्णयों के बारे में वक्तव्य—
श्री मोरारजी देसाई . . ३९०३

सूती कपड़े के मूल्यों के बारे में वक्तव्य—
श्री लाल बहादुर शास्त्री . . . ३९०३—०४

रजिस्टर्ड पत्र को ग़लत पते पर दिये जाने के बारे में वक्तव्य—
डा० प० सुब्बरायन . . . . ३९०४—०६

प्लास्टिक एबोनाइड ब्लाक बनाने वाली मशीन के बारे में वक्तव्य ३९०७

विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९०७

(१) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

(२) मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) विधेयक, १९६० ३९०७

दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक . . ३९०८—४५

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ३९०८—३६

खण्ड २ से २६ तथा खण्ड खंड १ . . . ३९३६—४४

पारित करने का प्रस्ताव . . . ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
सत्तरवां प्रतिवेदन ३९४५

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुरस्थापित . . . ३९४६—४७

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा १६२ का संशोधन) (श्री तंगामणि का) ३९४६

२. व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ९२ का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . ३९४६

३. भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९६० (धारा ४०५ आदि का संशोधन) [श्री राम कृष्ण गुप्त का] . . . ३९४६

४. समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६० (नई धारा १३-क और ६२४-क का रखा जाना और धारा २९३ का संशोधन) [श्री मी० रू० मसानी का] ३९४७

बद्धावस्था में विवाह पर रोक विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत . . . ३९४७—५१

भारतीय संविदा संशोधन विधेयक—वापिस लिया गया—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . ३९५१—५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३९५४—६९

ग्यारहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षेप . . . . ३९७०—७१

नोट :— मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

GIPND—LSIII—1118(Ai)LSD—18-10-60—130.

लोक-सभा

सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०

१४ भाद्र, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

थाईलैंड से चावल की खरीद

+

†*१०४९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पालचौधरी:
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री विश्व नाथ राय :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री प्र० चं० बरूआ :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री तंगामणि :
श्री हेम बरूआ :
कुमारी मो० वेद कुमारी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने थाईलैंड की सरकार के साथ थाइलैंड से वस्तु-विनिमय के आधार पर चावल खरीदने का समझौता किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने का अनुमान है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). थाइलैंड से चावल खरीदने के सम्बन्ध में बातचीत चल रही है । अभी कोई समझौता नहीं हुआ है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि हमने अमरीका से जिस भाव पर चावल खरीदा है, बर्मा और थाईलैंड से हमें उस से कम भावों पर चावल मिल सकता था, और क्या बर्मा और थाईलैंड की सरकारों ने हमें इस बात पर विरोध प्रकट किया है कि हम ने उन से कीमतें पूछे बिना ही यह सौदा कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह सच नहीं है । हमने अमरीका से महंगे भावों पर चावल नहीं खरीदा है । और दूसरे बर्मा अथवा थाईलैंड की सरकारों ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया ।

[†**श्री अध्यक्ष महोदय**: क्या कोई सरकार इस प्रकार के सौदों के विरुद्ध कोई विरोध कर सकती है ? कम से कम मैं तो नहीं जानता ।

श्री तंगामणि : क्या मैं जान सकता हूं कि थाईलैंड से समझौता करते हुए हम थाईलैंड को वही कीमत देंगे जो हम बर्मा सरकार को १ १/२ लाख टन चावल के लिये सितम्बर, १९५९ में हुए समझौते के अनुसार दे रहे हैं ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम मूल्यों की चर्चा इस प्रकार सार्वजनिक रूप से नहीं करते, क्योंकि हमें सौदा करना होता है । यदि हमारे विचार में कीमतें ऊंची हो तो हम खरीद नहीं करते । सौभाग्य से थाईलैंड की कीमतें इस समय ठीक हैं और यही कारण है कि हम उन से बात चीत कर रहे हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या यह सौदा वस्तु-विनिमय के आधार पर होगा अथवा हमें नकद अदायगी करनी पड़ेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : पहले २५,००० टन जो हम खरीदेंगे, उस के लिये हमें नकद भुगतान करना पड़ेगा जो कि लगभग एक करोड़ रु० के बराबर होगा किन्तु दूसरे २५००० टन की खरीद वस्तु-विनिमय के आधार पर होगी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि थाईलैंड दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन की अगली बैठक में इस सौदे के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के बारे में सोच रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि श्रीमान, आपने कहा था कि यह कोई विरोध नहीं कि एक राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र से क्यों खरीदता है किन्तु यह एक प्रकार की नाराज़गी है । किन्तु हम नहीं चाहते कि हमारे कारण हमारे किसी पड़ोसी राज्य को किसी प्रकार का क्षोभ हो और हम इस के लिये प्रयत्न भी करते हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या सरकार का ध्यान चावल संबंधी सौदे के बारे में थाईलैंड के राजदूत के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है, और क्या सरकार ने इस बात के लिये कोई

---

†मूल अंग्रेजी में

कदम उठाया है कि किसी पड़ोसी राष्ट्र को हमारे कारण क्षोभ न हो ? क्या मैं जान सकता हूं कि इस वक्तव्य के कारणों को दूर किया जा चुका है ?

श्री स० का० पाटिल : जी हां; हम ने इस वक्तव्य के कारणों को दूर कर दिया है ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह सच नहीं कि अमरीका के साथ समझौता होने के काफी देर के पश्चात थाईलैंड से यह समझौता किया गया था ताकि अमरीका के साथ हमारे समझौते के समय उन्होंने जो विरोध प्रकट किया था, उसे कुछ प्रशान्त किया जा सके ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह बातचीत पिछले सात वर्षों से जारी है । हम ने थाईलैंड से इसलिये कुछ नहीं खरीदा क्योंकि वहां की कीमतें बड़ी ऊंची थीं। अब जब कि कीमतें नीचे आ गई हैं और अन्तर्राष्ट्रीय माकट के भावों को देखते हुए ठीक हैं, अतः हम उन से बातचीत कर रहे हैं, । यह बातचीत तो अमरीका के साथ हुए सौदे के पहले से जारी है ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या खाद्य सरकार तथा कृषि मंत्री ने थाईलैंड सरकार का ध्यान हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर दिलाया था, और यदि हां, तो क्या थाईलैंड सरकार ने रचनात्मक ढंग से हमारी सहायता करने का आश्वासन दिया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : भारत-अमरीकन सौदे पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् , थाईलैंड की सरकार ने मुझे थाईलैंड बुलाने की कृपा की थी और मैं ने वहां पर मंत्रियों और विशेषतः उन के प्रधान के साथ बात चीत की थी। इस बातचीत के दौरान मैं ने विदेशी मद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों का उल्लेख किया था। किन्तु मैं समझता हूं कि थाईलैंड को भी विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में ऐसी ही कठिनाईयां हैं । एक प्रकार से यह बातचीत उन दो देशों के बीच है, विदेशी मुद्रा के बारे में जिनकी कठिनाइयां एक जैसी ही हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या चावल भारतीय जहाज़ों से लाया जायेगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक भारतीय जहाज़ों का सम्बन्ध है, चावल, गेहूं अथवा अन्य वस्तुओं में कोई अन्तर नहीं है । यदि भारतीय जहाज़ उपलब्ध होंगे तो स्पष्टतः उन्हें प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य होगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : जहां तक वस्तु-विनिमय का सम्बन्ध है क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह वस्तु-विनिमय वैसा ही होगा जैसा कि बर्मा से चावल खरीदने के समय हुआ था अर्थात् बर्मा श्रीलंका से चाय खरीदता था और रुपया हम उधार देते थ ? क्या इस बार स्थिति भिन्न होगी ? अर्थात् क्या वे चाय हम से खरीदेंगे और चावल हमें देंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक बर्मा का सम्बन्ध है, हम ने बर्मा से जितना चावल खरीदा है उस में से अधिकतर अर्थात ३$^{1}/_{2}$ लाख टन की कीमत विदेशी मुद्रा के रूप में चुकानी थी। हम ने और १$^{1}/_{2}$ लाख टन के लिये बातचीत की थी जो कि वस्तु-विनिमय के आधार पर थी। किन्तु पहले ३$^{1}/_{2}$ लाख टन विदेशी मुद्रा के लिये थे । उन के साथ पहला पंचवर्षीय समझौता समाप्त होने वाला है और अब उन के साथ दूसरा

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचवर्षीय समझौता किया जायेगा । किन्तु विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में बर्मा की कठिनाइयों को देखते हुए हमें, जहां तक पहले ३½ लाख टन का सम्बन्ध है, वही पहले वाली प्रणाली अपनानी पड़ेगी और शेष का लेन देन वस्तु-विनिमय आधार पर होगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत थाईलैंड से औसतन कितने चावल का आयात करता रहा है और चावल की कितनी मात्रा के लिये वस्तु-विनिमय की बातचीत हो रही है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जैसा कि मैं ने पहले कहा है, हम ने १९५३ से लेकर थाईलैंड से कोई चीज़ नहीं मंगवायी क्योंकि कीमतें बहुत ऊंची थीं । अभी तक हम ने किसी चीज़ का आयात नहीं किया । श्री त्यागी के प्रश्न के उत्तर में मैं ने अभी कुछ देर पहले बताया कि २५,००० टन चावल विदेशी मुद्रा की अदायगी द्वारा खरीदने के लिये और २५,००० टन अगले वर्ष वस्तु-विनिमय के आधार पर लेने के लिये बातचीत चल रही है । इस को छोड़ कर हम ने थाईलैंड से कुछ नहीं खरीदा ।

हमें बर्मा से ३½ लाख टन चावल विदेशी मुद्रा के भुगतान द्वार और १½ लाख टन वस्तु-विनिमय द्वारा लेना है । थाईलैंड से किये जाने वाले सौदे के अतिरिक्त हम मिस्र से १००,००० टन चावल का सौदा कर रहे हैं।

श्री रा० स० तिवारी : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि चावलों की कीमत के ऐवज में वह किन किन वस्तुओं को भारत से देंगे, अर्थात् चावलों की जो कीमत होगी उसको किन किन वस्तुओं को देकर पूरी करेंगे ?

श्री स० का० पाटिल : हां दस, बीस चीजें ऐसी हैं जो कि भारत दे सकता है जैसे जूट, टी, कौफी और मैन्युफैक्चर्ड मशीन गुड्स हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि हम ने विभिन्न देशों से जो चावल मंगवाया है क्या उस के बारे में भारत में चावल का उपभोग करने वाले लोगों की कोई राय प्राप्त हुई है ; और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मेरा ख्याल है कि हमें कोई राय प्राप्त नहीं हुई है । हम सामान्यतः राय नहीं मांगते किन्तु यदि कोई चीज खराब हो तो उस के बारे में अपने आप लोगों की शिकायतें आने लगती हैं। जहां तक मैं समझता हूं, हमें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि इन देशों से आयात किया गया चावल खराब है ।

एयर इंडिया इन्टरनेशनल के विज्ञापन

†*१०५०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन ने कोई ऐसी पुस्तिका प्रकाशित की है जिन में छापे गये विभिन्न प्रकार के रेखा-चित्रों में भारतीय राष्ट्रजनों का मजाक उड़ाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसी पुस्तिकाओं के प्रकाशन पर रोक लगाने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मेरा अनुमान है कि प्रश्न का संकेत एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन द्वारा प्रकाशित 'फूलिशली यौअर्स" (Foolishly Yours) नामक पुस्तिका की ओर है। व्यंग चित्रों तथा हास्यपूर्ण वर्णन द्वारा निगम के प्रचार-आन्दोलन को हल्का हास्यात्मक रूप दिया जा रहा है। प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि यह पुस्तिका विनोद के रूप में लिखी गई है इस में हर एक का, निगम का, इस के सभापति का, कर्मचारियों का, यात्रियों का और भारतीय और विदेशी लोगों का सद्भावनापूर्वक मजाक उड़ाया गया है। इस पुस्तिका का प्रकाशन कई वर्ष पहले किया गया था, किन्तु भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार के यात्रियों में इसकी लोक-प्रियता वैसी ही बनी रहने से इस के कई संस्करण निकाले गये।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मेरे पास यह पैम्फलेट है। पिछली बार जब बोइंग वायुयान सेवा चालू की गई थी तो उस समय इस पुस्तिका का वितरण किया गया था। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस पुस्तिका के पृष्ठ २४ की ओर दिलाता हूं जिस में यह दिखाया गया है कि एक भारतीय यात्री के जेब से चोरी के छूरी कांटे पकड़े गये। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक भारतीय को चोर दिखाना आपत्तिजनक है अथवा नहीं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि यह सब कुछ व्यंग के रूप में है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य व्यंग्य और उपहास को एक समान नहीं समझते।

†**श्री अ० मु० तारिक** : इस में यह दिखाया गया है कि एक व्योम-बाला (एयर होस्टेस) एक भारतीय यात्री की जेब से छूरी कांटे वसूल कर रही है। एक भारतीय यात्री को चोर दिखाना व्यंग्य नहीं है।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह "फूलिशली योअर्स" का एक भाग है।

†**श्री त्यागी** : चाहे यह कितना ही मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात आयी है कि इसी पुस्तिका में गांधी टोपी पहने एक सज्जन को एक एयर होस्टेस को गले लगाते हुए दिखाया गया है और वह लड़की उस व्यक्ति की जेब से छुरी, कांटे निकाल रही है।

†**डा० प० सुब्बारायन** : यह एक प्रकार की मूर्खता है जिस पर व्यंग्य कसा गया है। मेरा ख्याल नहीं कि किसी को इस में आपत्ति हो सकती है।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है कि अभी पिछले महीने एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा एक बोर्ड लगाया गया था जिस में एक पूर्णतया नग्न भारतीय महिला एयर इंडिया इंटरनेशनल की ओर जा रही थी, यदि हां, तो मंत्री महोदय की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : वास्तविकता यह है कि एयर इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के सभापति ने पालम हवाई अड्डे की ओर जाते हुए यह बोर्ड देखा और इसे आदेश दे कर हटवा दिया। यह महिला भारतीय नहीं थी। इस बोर्ड में लेडी गोडिवा को दिखाया गया था, जिस की कहानी माननीय सदस्य शायद नहीं जानते। उस के पति ने लोगों पर बहुत से कर लगा दिये थे इसलिये उस

---

†मूल अंग्रेजी में

ने अपने पति से कहा था कि तुम जब तक इन करों को नहीं हटाओगे तब तक मैं गांव में घोड़े कोपीठ पर नंगी घूमूंगी । और उस ने ऐसा किया भी (अन्तर्बाधायें)।

मुझे समाप्त करने दीजिये ।

पति ने यह प्रबन्ध किया कि नगर की सभी खिड़कियां बन्द रहें ताकि उसे कोई भी देख न सके ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : मैं ने मंत्री महोदय को यह पुरानी कहानी सुनाने के लिये तो नहीं कहा (अन्तर्बाधायें) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस मामले की जांच ध्यानपूर्वक करें । विमान पर बहुत से व्यक्ति हैं और यह दिखाया गया है कि वह खतरनाक ह । यह कहा गया है : 'जब बिजली बुझ जाये, तो इस बात को ध्यान रखो कि अमुक व्यक्ति आप के पास न आयें, चालक को इतना पास न आने दें कि वह बिल्कुल आप के पास सट जाये?' क्या यह ठीक है ? मुझे वास्तव में बड़ा आश्चर्य है कि इतना होने के बावजूद भी मंत्री महोदय उस पुस्तिका में लिखित सभी बातों को उचित ठहराने का यत्न कर रहे हैं । मुझे यह बात पढ़ कर वस्तुत: बहुत ही आश्चर्य हुआ कि 'वायुयान-चालक को, बिजली चले जाने के पश्चात्, अपने निकट मत आने दें ताकि वह कुछ न कर सके ।'

†**श्री त्यागी** : चाहे यह मजाक अथवा विनोद ही क्यों न हो किन्तु यह अश्लीलता की सीमा तक नहीं जाना चाहिये । वास्तव में, वह स्त्री वाला उदाहरण और अन्य चीजें सब अश्लील हैं । इन से बचना चाहिये ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : इस पुस्तिका से यह प्रमाणित होता है कि जनता इसे कितना चाहती है : इस में ऐसी कोई अश्लीलता नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय कृपया इसे स्वयं पढ़ें और तब देखें कि क्या उन्हें सन्तोष होता है ।

†**डा० प० सुब्बारायन** : मैं ने इसे देखा है और मुझे सन्तोष है कि यह एक विनोदपूर्ण व्यंग्य है । यह इतना बुरा नहीं जितना कि माननीय सदस्य का कथन है । (अन्तर्बाधायें) ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दूंगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस पुस्तिका का वितरण सब को होना चाहिये ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : श्रीमान्, इस पर शीघ्र ही चर्चा होनी चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर यथाशीघ्र चर्चा होगी । हो सकता है कि यह इतनी अश्लीलता प्रतीत न होती हो । लोगों की रुचियां भिन्न भिन्न हैं । किन्तु क्या हमारे देश के नाम पर इन चीजों का प्रकाशन होना चाहिये । हम लोगों ने काफी दूर दूर तक यात्रा की है । मैं चुनौती दे कर पूछता हूं कि ऐसा कौन सा स्थान है जहां ऐसे व्यंग्य किये जाते हैं । मुझे सचमुच बड़ा ही आश्चर्य है ।

†**श्री हेम बरूआ** : श्रीमन्, क्या मैं एक दो उदाहरण दूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें प्रश्न पूछने की कोई ज़रूरत नहीं । मैं इस पर चर्चा के लिये आध घंटा दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या मैं उस विज्ञापन को पढ़ूं, जिसे लन्दन में दिया गया है? इस में कविता में लिखा है :

"जार्जी पार्जी ने एकान्त में, एक भारतीय व्योम-बाला का चुम्बन लिया, किन्तु वह चिल्लाई नहीं, सौभाग्यवश हमारे यात्री सामान्यतः आत्म-संयम का प्रमाण देते हैं।"

यह एक ऐसा विज्ञापन है, जो एयर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा लन्दन में दिया गया है इसका कारण है "फूलिशली योअर्स"। यह अमरीकन प्रणाली है और उन्होंने इस का सीमातिक्रमण कर दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सचमुच हैरानी है। यह लोगों को व्योम-बालाओं का चुम्बन लेने के लिये आमंत्रण है।

दिल्ली की वृहद् योजना (मास्टर प्लान) का पहले से पता लग जाना

+

†*१०५१. **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १५ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने नगर आयोजन संगठन द्वारा तैयार की गयी दिल्ली की वृहद योजना (मास्टर प्लान) के पहले से पता लग जाने के आरोप के सम्बन्ध में जांच समाप्त कर के अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट का क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

†**श्री अ० मु० तारिक** : विवरण में यह बताया गया है कि प्रस्थापनाओं के पहले से पता लग जाने के सम्बन्ध में अथवा जमीन के क्रय-विक्रय के बारे में भ्रष्टाचार अथवा जालसाजी के किसी मामले का पता नहीं लगा। क्या मैं जान सकता हूं कि रहस्य कैसे खुला, और यदि एक गुप्त योजना का समय से पहले पता लग जाता है तो क्या यह भ्रष्टाचार अथवा बेईमानी नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : यह आवश्यक नहीं कि इसका पता भ्रष्टाचारके कारण लगा हो। इस योजना के बारे में विभिन्न लोगों से, परिवहन प्राधिकार से, नगरपालिका से और सम्बन्धित पार्टियों से बातचीत की जा रही थी। अतः बहुत से लोगों को इस योजना का ज्ञान था। इसलिये शाब्दिक अर्थों के अनुसार इसे पूर्णतया गुप्त रखना सम्भव नहीं था। भेद खुलने के विशेष मामले के बारे में एक पदाधिकारी ने स्वयं बताया है कि उसने एक सहकारी समिति के साथ इस सम्बन्ध में कुछ चर्चा की थी। इस बातचीत के दौरान उसने तो कोई संकेत नहीं दिया किन्तु जो कुछ उसने कहा था उससे यह पता

---

†मूल अंग्रेजी में

चलता था कि अमुक जमीन के बेचे जाने की सम्भावना है । अन्यथा, ऐसी कोई बात नहीं । पुलिस के डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट ने, जिसने बारीकी से इस मामले की जांच की, अपनी रिपोर्ट भेज दी है और उसे हमने बिना अपनी राय के सभा-पटल पर रख दिया है ।

†**श्री च० द० पांडे** : भेद खुल जाने की बात की तो बहुत चर्चा हो रही है । किन्तु असली प्रश्न यह है कि सरकार ने इस योजना को ४ वर्ष तक दबाये रखा । यह स्वाभाविक है कि भेद खुल जाता । सरकार को भेद छुपाने की बजाय जनता को योजना के बारे में जानकारी देनी चाहिये थी ।

†**श्री करमरकर** : मुझे माननीय सदस्य की बात सुन कर बड़ी हैरानी हुई है । योजना तैयार की जा रही थी । ४ वर्ष पहले तो इसका जन्म भी नहीं हुआ था । इसके बाद इसमें काफी प्रगति हो चुकी थी तो दिल्ली विकास अधिनियम आ गया । मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्तव्य दिये जायें जिनमें तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा गया हो । किन्तु योजना के तैयार होने की अवधि में, पोलीस को भेद खुलने के एक भी मामले की सूचना नहीं मिली, सिवाय उस पदाधिकारी की बात के, और मैं उस पदाधिकारी के साहस की सराहना करता हूं ।

†**श्री त्यागी** : इसे जन्म लेने में ९ मास से अधिक समय लगा ।

श्री नवल प्रभाकर : माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि इसमें लीकेज जैसी कोई बात नहीं थी । अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर जांच क्यों करवाई गई ?

श्री करमरकर : इसलिये जांच करवाई गई क्योंकि पार्लिमेंट में और प्रेस में भी उसकी चर्चा हुई थी । हमें यह देखना था कि टाउन प्लानिंग आर्गेनाइजेशन से जिससे इसका सम्बन्ध था कोई इलीगल या कोई कोरप्शन की बात हुई है या नहीं, इस प्लान के बारे में कोई बात बाहर निकली है या नहीं । इसलिये यह एन्क्वायरी हुई : यह एन्क्वायरी हमने नहीं की, पुलिस के सुपुर्द यह काम किया । पुलिस की राय यह है कि इस बात का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार का एक भी मामला उनकी निगाह में नहीं आया । उस अवधि में, जब यह कहा जाता है कि भेद खुला गया, एक के अतिरिक्त और कोई सौदा नहीं हुआ ।

खाद्यान्न का आयात

†*१०५२. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वें० प० नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री रामी रेड्डी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में अब तक कुल कितना अनाज आयात किया गया है और कितने अनाज का आयात किये जाने की सम्भावना है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किन किन देशों से अनाज का आयात होने की सम्भावना है; और

(ग) इन समझौतों की शर्तें क्या हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) १ अप्रैल, १९६० से ३१ जुलाई, १९६० तक भारत में कुल २० लाख टन अनाज का आयात किया गया । जहां तक चालू समझौतों (जैसे पब्लिक ल. ४८० के अन्तर्गत अमरीका से अभी हाल में किया गया समझौता) के अनुसार भविष्य में आयात करने का सम्बन्ध है, उसका निर्धारण समय समय पर आवश्यकता, संग्रह-शक्ति और अन्य बातों पर विचार करते हुए किया जायेगा ।

(ख) इस समय हमारा अमरीका से चावल और गेहूं खरीदने का, तथा बर्मा और संयुक्त अरब रिपब्लिक से चावल खरीदने का समझौता है । यदि थाईलैण्ड की सरकार से चल रही वर्तमान बातचीत सफल हो गयी तो थाईलैण्ड से भी कुछ चावल मंगवाया जायेगा ।

(ग) अमरीका से अभी हाल ही में हुए दीर्घ-कालीन पी० एल० ४८० करार की और बर्मा से मई, १९५६ म हुए दीर्घ-कालीन करार की प्रतियां संसद्-पुस्तकालय म रख वा दी गयी हैं । बर्मा सरकार से सितम्बर, १९५९ में हुए तदर्थ समझौते की, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ भारत को १.५ लाख टन चावल बेचने की व्यवस्था है, मुख्य बातों का विवरण ३ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५५१ के उत्तर में दिया गया था । संयुक्त अरब रिपब्लिक से चावल की खरीद के सम्बन्ध में मार्च, १९६० के समझौते की विशेष बातों का ब्यौरा २१ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १६२१ के उत्तर में दिया गया था । अन्य बातों की जानकारी देना लोकहित में नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से यह पता चलता है कि १ अप्रैल से ३१ जुलाई, १९६० तक कुल २० लाख टन अनाज का आयात किया गया । यह भी कहा गया है कि जहां तक चालू समझौतों के अनुसार भविष्य में आयात करने का सवाल है, इस बात का निश्चय आवश्यकता, स्टोरेज-क्षमता और अन्य बातों पर विचार करते हुए किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में हम कितने अनाज का आयात करेंगे और अमरीका से हाल के समझौते के अन्तर्गत कितना खाद्यान्न मंगवायेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह व्यवस्था, कि इस पर प्रतिवर्ष विचार किया जायेगा, हमारे हितों के अनुकूल है । हम इसे स्वयं रखना चाहते थे । मान लो यदि हमारे अपने प्रयत्नों और ईश्वर की कृपा के फलस्वरूप हमारे यहां चावल और गेहूं का पर्याप्त उत्पादन हो जाये तो हम आयात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिये हमें धन अदा करना पड़ता है । इसीलिये हम कहते हैं कि हम प्रतिवर्ष इस पर विचार करेंगे । किन्तु इस बात की भी व्यवस्था है कि अमुक सीमा तक हम हमेशा लेंगे । किन्तु यदि हमें आवश्यकता न हो अथवा हमें अधिक आवश्यकता हो, तब हमें इन बातों पर विचार करना पड़ेगा । इसलिये हमारे विशेष अनुरोध पर इस धारा को रखा गया है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों से मंगवाये गये अनाज का वितरण केवल उचित मूल्य वाली दुकानों द्वारा किया जायेगा अथवा खुले बाजार में भी उसकी बिक्री की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : दोनों स्थानों पर । जहां तक १७० लाख टन अनाज का सम्बन्ध है, इसमें १२० लाख टन अनाज की मात्रा तो सामान्य है क्योंकि ३० लाख टन अनाज तो हम प्रतिवर्ष लेते हैं । अतः शेष ५० लाख टन अनाज बचता है जिसका हम भंडार कर सकते ह् । जहां तक १२० लाख टन का प्रश्न है उसको वैसे ही वितरित किया जायेगा जैसा पहले किया जाता था ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह कहा गया है कि थाईलैण्ड से भी चावल का आयात करने का विचार है । समाचारपत्रों में हमने पढ़ा है कि इस प्रस्ताव पर तब विचार किया जायेगा यदि थाईलैण्ड भी हम से उतने ही मूल्य का आयात करने को तैयार हो । वास्तविकता क्या है ? हमे कितने चावल का आयात होने की आशा है? हमें इतना गेहूं मिल चुका है कि हम इससे ऊब से गये हैं । हमें कितना चावल प्राप्त होने की सम्भावना है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्या सभा में कुछ देर से आयी हैं । इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है कि २५००० टन नकद मूल्य पर लिया जायेगा और २५००० टन वस्तु विनिमय आधार पर । जहां तक चावलों का सम्बन्ध है, हम इनका स्टाक करना चाहते हैं, कम से कम २० लाख टन चावल का ताकि हम चिन्ता-मुक्त हो सकें । मुझे यह बताने में प्रसन्नता है कि इस समय हमारे पास १२ लाख टन चावलों का स्टाक है । पिछले कई वर्षों में इतना अधिक स्टाक हमारे पास कभी नहीं था ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि विदेशों---कनाडा, अमरीका, जापान, थाईलैंड आदि---से अनाज आने पर क्या अनाज की कीमतों में कुछ कमी आने की संभावना है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : श्रीमन्, हम ने इस प्रश्न पर सभा में कई बार चर्चा की है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनाज के पर्याप्त होने का प्रभाव कीमतों पर पड़ता है किन्तु कुछ अन्य बातें भी हैं।

श्रीमती कृष्णा मेहता : क्या यह सही है कि अनाज के बारे में विदेशों से जो समझौता हुआ है उस के अनुसार पांच वर्षों तक लगातार अनाज का आयात होगा ?

श्री स० का० पाटिल : पांच वर्ष नहीं चार वर्ष तक आयेगा । हमें उम्मीद है कि पांचवें वर्ष हम को अनाज बाहर से नहीं लाना पड़ेगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जैसी फसलें इस समय हमारे देश में हो रही हैं और जैसाकि इन योजनाओं के प्रारूप में बतलाया गया है कि कृषि उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया जायेगा, उस को ध्यान में रखते हुए क्या ऐसी भी सम्भावना है कि आयात में हमें कुछ कमी करनी पड़े ?

श्री स० का० पाटिल : आयात में कमी करनी पड़ेगी । इसीलिये अमरीका के साथ जो ऐग्रिमेंट हुआ है उसमें हम ने यह क्लाज रखा है कि हर साल इस का रिव्यू होगा ताकि अगर जरूरत न हो तो हम कम लेंगे । ऐसी सम्भावना है इसलिये हमारे कहने से ही वह क्लाज अन्दर रखा गया है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : पिछले मौसम में फसलें काफी अच्छी थीं । क्या सरकार ने इस वर्ष अनाज की कमी का ठीक ठीक अन्दाजा लगाया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रश्न कमी का नहीं है । हमारी आदतें इतनी लचकीली हैं कि जब उत्पादन १०० से १२० लाख टन तक भी कम था, तब भी हम ने इस स्थिति का सामना किया और इस कमी को महसूस नहीं किया गया । मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को इस प्रकार ढाल लेते हैं कि उत्पादन में थोड़ी सी कमी आने का अर्थ यह नहीं है कि हमें उतनी कमी पूरी करनी है।

†**श्री वारियर** : क्या मैं जान सकता हूं कि जब हम बर्मा से चावल लेंगे तो वह हम से अधिक मछली लेंगे ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे इसका पता नहीं ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारे गोदामों में कुल कितना अनाज नष्ट हो गया है? सरकारी गोदामों में चूहों तथा अन्य कीड़ों के कारण कितने प्रतिशत अनाज नष्ट हो जाता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गोदाम अनेक प्रकार के है । कुछ राज्यों के हैं और कुछ भण्डार निगम के । परन्तु अब भारत सरकार ने जो गोदाम बनाये हैं, जिन की कुल क्षमता २० लाख टन के लगभग होगी, वे आधुनिकतम ढंग के हैं । इन गोदामों में माल नष्ट नहीं होगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह** : अब तक कितना माल नष्ट होता रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जब गोदाम अच्छे नहीं थे, कुछ माल नष्ट हो जाता था । मुझे सही प्रतिशत मालूम नहीं, परन्तु कुछ माल नष्ट होता था, जो ठीक नहीं था ।

†**श्री वारियर** : चावल के बारे में बर्मा और भारत के बीच व्यापार का पुराना तरीका यह था कि बर्मा ने हम से अधिक प्रान मछली ली और हम ने उस के बदले चावल लिया । क्या यह तरीक रहेगा या नहीं ?

†**श्री म० वो० कृष्णप्पा** : पहले बर्मा हम से मछली मंगवाया करता था, जिस में प्रान मछली अधिक होती थी । तब बर्मा को चीनी मछली मिल गई उन्हों ने हमारी मछली लेना बन्द कर दिया । वहां कुछ गड़बड़ थी और अब हमारा समझौता हो गया है । अब बर्मा हम से कुछ मछली लेने का प्रयत्न कर रहा है किन्तु इस का हमारे चावल निर्यात से कोई संबंध नहीं है ।

बी० ओ० ए० सी० और एयर इंडिया इन्टरनेशनल की साझेदारी

†*१०५४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी० ओ० ए० सी० और एयर इंडिया इन्टरनेशनल कारपोरेशन के बीच साझेदारी के सम्बन्ध में चल रही बातचीत समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). एयर इंडिया इन्टरनेशनल और बी० ओ० ए० सी० के बीच साझेदारी का इस रूप में कोई प्रस्ताव नहीं था, किन्तु एयर इंडिया इन्टरनेशनल, बी०ओ०ए०सी० और कैजास ऐम्पायर एयरवेज़ के बीच एक त्रिपक्षीय करार ४ दिसम्बर १९५९ को किया गया था जिस के अनुसार ये तीनों विमान कंपनियां अपने कुछ मार्गों की आय इकट्ठी कर लेंगी और एक निर्धारित आधार पर बांट लेंगी । यह करार १ अप्रैल १९६० को लागू हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : यह फेज किन मार्गों के बारे में होगा और इस के कारण क्या हैं ? यह हमारे लिये किस प्रकार लाभदायक होगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय ये मार्ग हैं : आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, लन्दन से न्यू यार्क और जहां तक मुझे याद है जापान भी इस में सम्मिलित है । लाभ ये हैं कि इस समय प्रतियोगिता बहुत बढ़ रही है, वह कुछ मात्रा तक कम होगी और एक ही मार्ग पर चलने वाले विमानों के समवायों के यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम की व्यवस्था करने में अधिक सहकार्य प्राप्त होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस पुंज में यथार्थ में क्या होगा, और मार्ग उड़ान टिकटों के परस्पर परिवर्तन और वित्तीय लाभ के बारे में ठीक से क्या स्थिति होगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : यह जैट युग है और प्रतियोगिता बहुत अधिक है । बहुत सी यूरोपीय विमान कम्पनियां भी ऐसी पुंज प्रणाली में शामिल हो रही हैं । इसलिये हम ने सोचा कि यदि इन मार्गों को चलाने वाली भारतीय कम्पनी और राष्ट्रमण्डल की कम्पनियों के बीच एक पुंज स्थापित किया जाय ।

†**श्री त्यागी** : इस पुंज में एयर इंडिया इन्टरनेशनल का कितना अंश है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इन तीन कम्पनियों द्वारा ले जाये जाने वाले यातायात को ध्यान में रखा गया था । भावी यातायात की संभाव्यता को भी ध्यान में रखा जायेगा । बहुत से सूत्र बनाये गये हैं और जहां तक इस के वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है, एयर इंडिया इन्टरनेशनल ने केवल इस कारण करार किया है कि उन्हें ऐसा करने से लाभ की आशा है ।

†**श्री त्यागी** : आप के पुराने अनुभव के आधार पर ठीक अनुपात क्या है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं पहले बता चुका हूं कि इन मार्गों पर तीन विमान कम्पनियों द्वारा उठाये जाने वाले यातायात को ध्यान में रखा गया है ।

†**श्री त्यागी** : इस का कैसे हिसाब लगाया गया था ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : यातायात के अभिलेख से ।

†**श्री त्यागी** : हिसाब लगाने के पश्चात् क्या परिणाम निकला है ? हिसाब लगाने के पश्चात् इस पुंज में हमारा कितना अंश आया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : सूत्र कुछ पेचीदा है क्योंकि यह यातायात के प्रकार पर निर्भर है—फिफ्थ फ्रीडम ट्रैफिक, फोर्थ फ्रीडम ट्रैफिक, थर्ड फ्रीडम ट्रैफिक आदि । मेरे लिये कोई सीधा सूत्र बताना कठिन है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यह सही नहीं है कि हमारे पास जो सीमित संख्या में बोइंग विमान हैं, बिना सहयोग से सेवायें चलाना असंभव है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बड़ी मात्रा तक यह सही है ।

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या यह स्थायी करार है या ऐसा करार है जिस में, कुछ अवधि की समाप्ति पर, आप स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो करार को भंग करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : करार में भंग करने के लिये कोई निश्चित तिथि नहीं है, किन्तु प्रत्येक पक्ष को सूचना देने का अधिकार है । इस के अतिरिक्त लगातार चर्चा होती रहेगी । समस्याओं की पूरी चर्चा के बारे में उपबन्ध किया गया है ।

†**श्री मुनिस्वामी** : अब कितने बोइंग चलते हैं और कितने भारतीय हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : इस समय हमारे पास तीन बोइंग हैं । चौथा बोइंग १९६१ में आयगा और फिर हमारे पास सुपर कंसटेलेशन भी हैं । वे सब चलते हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस पुंज में कितने विमान हैं और एयर इंडिया का क्या भाग है ?

†**डा० प० सुब्बारायन** : हमने हिसाब नहीं लगाया । पूर्वसूचना मिलने पर जानकारी दी जा सकती है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : हम कितना फालतू यातायात उन को दे रहे हैं, विशेष कर भारत–ब्रिटेन मार्ग पर और वे हमें इस के लिये कितना कमीशन देंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : फालतू यातायात देने का कोई प्रश्न नहीं है । व्यवस्था यह है कि यात्री किसी भी विमान से जा सकते हैं जो उन्हें तुरन्त तैयार मिले । टिकटों की बदली भी हो सकती है । एक कम्पनी के टिकटों का उपयोग दूसरी कम्पनी के विमानों में किया जा सकता है । समझौते के समय किये गये सूत्र या समझौते के अनुसार आय इकट्ठी कर ली जायेगी । इन सूत्रों पर समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : ऐयर इंडिया इंटरनेशनल ने रूस से एरो फ्लोट और चैकोस्लोवाकी विमान कम्पनियों के साथ जो करार किया है, कुल आय पुंज की जाती है और तीन कम्पनियों में बराबर बांट ली जाती है । इस मामले में ऐसा सूत्र क्यों नहीं रखा गया ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : उस पर चर्चा की गई थी और वह स्वीकार नहीं किया गया था । यह व्यापक और सामान्य सूत्र था, तीसरे, चौथे और पांचवें फ्रीडम ट्रैफिक के आधार पर इन तीन विमान कंपनियों द्वारा भूतकाल में ले जाये गये यातायात का हिसाब लगाया गया था और उस के आधार पर करार किया गया था ।

दिल्ली जंकशन पर कोयले और लोहे की चोरी

†*१०५७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन को पता है कि कोयले और लोहे को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो रास्ते में दिल्ली जंकशन पर उनकी भारी मात्रा में चोरी हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो १९६० में अब तक अनुमानत: कितनी चोरी हुई है ; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या विशेष उपाय अपनाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). रेलवे प्रशासन को विदित है कि दिल्ली में चोरी रास्ते में होती है । परन्तु बहुत थोड़े माल की चोरी होती है । इस वर्ष जुलाई

†मूल अंग्रेजी में

१९६० तक लगभग १६५ किलोग्राम (साढ़े चार मन) कोयले की चोरी की सूचना मिली है। लोहे की चोरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(ग) निम्न विशेष उपाये किये गये हैं:

(१) यार्डों में अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिये अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध बारबार कार्रवाई की जाती है;

(२) इन चोरियों में अन्तर्ग्रस्त रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाती है;

(३) यार्डों में प्रकाश व्यवस्था आदि के पर्याप्त मूल रक्षा उपाय किये गये हैं;

(४) वर्दी वाले और सादे कपड़े वाले रेल रक्षण पुलिस कर्मचारियों को यार्डों में चोरियों को रोकने के लिये तैनात किया जाता है;

(५) चुराये गये माल को प्राप्त करने वालों पर निगरानी रखने की दृष्टि से रेलवे पुलिस और जिला पुलिस में सम्पर्क रखा जाता है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि यह समस्या दिल्ली में ही नहीं बल्कि समूचे देश में है और यदि हां, तो पिछले वर्ष चोरी से कितनी हानि हुई है?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : प्रश्न दिल्ली के बारे में है जिसके आंकड़े मेरे पास हैं। यदि माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछें, तो उत्तर दिया जाएगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : १९५९–६० में चोरी से कितनी हानि हुई थी?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरे पास केवल दिल्ली के आंकड़े हैं। १९५७ में २५५ किलोग्राम, १९५८ में ३२२ किलोग्राम, १९५९ में १०८ किलोग्राम और जुलाई १९६० तक १६५ किलोग्राम।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : चोरी के अपराध में पकड़े गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई थी?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कार्रवाई की गई है। कुछ गिरफ्तार किये गये और उन पर मुकद्दमे चलाये गये बाहर वालों के संबंध में, १९५७ में छः लोग गिरफ्तार किये गये, १९५८ में दस, १९५९ में चार, और जुलाई १९६० तक ५ लोग गिरफ्तार किये गये हैं। उन पर मुकद्दमे चलाये गये हैं। अधिकांश मामलों में दंड दिया गया है। कुछ छूट भी गये हैं। रेलव कर्मचारियों के बारे में १९५७ में ७ गिरफ्तारियां हुई थीं, १९५८ में पांच, १९५९ में एक और जुलाई १९६० तक आठ। उन सब के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का यातायात

†*१०५८. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री सूपकार :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
डा० सामन्त सिंहार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को कुल कितना अनाज भेजा गया ;

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप उड़ीसा की भेड़ियों में चावल और धान की कीमतें बढ़ गयी हैं ; और

(ग) उड़ीसा में चावल के वर्तमान मूल्यों की तुलना में सितम्बर, १९५९ में कीमतें क्या थीं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) १,४१,५०० टन चावल और २,३२,७०० टन धान, मंडल बनने के पश्चात् अगस्त १९६० के पहले सप्ताह तक उड़ीसा से पश्चिम बंगाल से लाया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सितम्बर १९५९ से लेकर उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध केन्द्रों में चावल के महीनावार थोक मल्य दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या ८१]**

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जेपुर को छोड़कर, मूल्य बहुत बढ़ गये हैं, विशेषकर कटक में, और उड़ीसा में आने वाली बाढ़ों के कारण जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में ही, मैं जानना चाहती हूं कि मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिये सरकार ने क्या उपाय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : बालासोर में चावल का मूल्य २१ रुपये हैं और मूल्य साधारणतया १५ रुपये से २० रुपये के बीच रहा है । निस्सन्देह यह साधारण मूल्य है, तंगी के इन महीनों में मूल्य अवश्य बढ़ते हैं और इस का कारण यह कि इन नगरों में उत्पादन न करने वाले उपभोक्ता बसते हैं । ये स्वयं उपभोक्ता नहीं हैं । निस्संदेह बाढ़ों ने एक नई स्थिति पैदा कर दी है, और उसका मुकाबला भिन्न प्रकार से करना होगा । हमका इस उपाय करने के बारे में उड़ीसा सरकार से परामर्श कर रहे हैं ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि इतनी मात्रा में चावल का निर्यात करने के कारण अब बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में कोई स्टाक नहीं है ? सरकार भी वहां माल भेजने में असमर्थ रही है और लोग वहां २० दिनों से खुराक के बिना कष्ट उठा रहे हैं ? क्या सरकार इस नीति में संशोधन करने का विचार करेगी और उड़ीसा से बंगाल में अधिक अनाज नहीं ले जाएगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : उड़ीसा सरकार के पास काफी स्टाक है ?

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : नहीं, मैंने इन इलाकों का दौरा किया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री स० का० पाटिल** : माननीय सदस्य ने इसके बारे में मालूम किया होगा, परन्तु हमारे आंकड़ों के अनुसार, उनके पास काफी स्टाक है । यदि स्टाक की जरुरत होती है, तो उन्हें दिया जाता है । बाढ़ों के कारण उन क्षेत्रों में स्टाक ले जाना असंभव हो गया । यदि दस गुना और स्टाक भी होता तो ऐसा ही होता ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैंने दौरा किया है वहां का और मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि खाद्यान्न मंडल के कारण, बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के पास अब अनाज नहीं है, इसलिये लोग कष्ट उठा रहे हैं । सरकार उन्हें अनाज नहीं दे सकी है ।

†**श्री स० का० पाटिल** : सरकार ने बाढ़ों का विचार नहीं किया । ऐसे दुर्भाग्य का सामना करना ही पड़ता है, परन्तु इस का नीति से कोई संबंध नहीं है ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : माननीय मंत्री ने कहा है कि कीमतों का चढ़ना साधारण है । क्या यह सच नहीं है कि केवल उपभोक्ताओं से २० रुपये का मूल्य लिया जाता है जो अब कटक में प्रचलित है और उत्पादकों को बहुत कम मिलता है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : तंगी के महीनों में सर्वत्र कीमत १ या २ रुपये अधिक होती है । केवल वहां पर ही ऐसी बात नहीं । इस सौदे के पश्चात् उत्पादकों को २ रुपये प्रतिमन अधिक मिले हैं ।

†**श्री प्र० के० देव** : बाढ़ों के कारण बड़े पैमाने पर होने वाली क्षति के कारण इस वर्ष कम फसल होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार उड़ीसा से चावल के निर्यात पर बिल्कुल प्रतिबंध लगाने का विचार रखती है?

†**श्री स० का० पाटिल** : इस पर नई फसल आने पर विचार होगा । वर्तमान फसल के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि उड़ीसा सरकार को स्टाक रखने की अनुमति दी गई है जो कल तक यह पूछ रही थी कि वह इस का निपटारा कैसे करे ।

†**श्री त्यागी** : क्या उड़ीसा से बाहर चावल भेजने पर कोई प्रतिबंध है और यदि है, तो क्या सरकार ने अनाज के जाने पर प्रादेशिक प्रतिबंध हटाने की नीति के बारे में कोई अन्तिम फैसला किया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : निस्संदेह प्रतिबंध था । वे केवल बंगाल को अनाज भेज सकते थे, अन्यथा नहीं । उड़ीसा २५ प्रतिशत माल अपने पास रखता था । उड़ीसा सरकार ने उस समय बाढ़ों के आयात का विचार नहीं किया था । हम सामान्य नीति को बदलना नहीं चाहते ।

†**श्री स० मों० बनर्जी** : इस आपत्ति के कारण उड़ीसा सरकार पश्चिम बंगाल को अनाज और विशेषकर चावल देने में असमर्थ है । क्या इसे धान में रखते हुए केन्द्र पश्चिम बंगाल को अधिक चावल देगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : केन्द्र ने हमेशा ऐसा ही किया है । उड़ीसा ने पश्चिम बंगाल को कभी अधिक स्टाक नहीं दिया । वह जितना माल देते हैं वह बंगाल की आवश्यकता का तिहाई भाग होता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

उर्वरकों का उत्पादन

†*१०६०. **श्री प्र० के० देव** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि तथा पशुपालन बोर्ड ने रांची में हुए अपने खुले अधिवेशन में इस बात की सिफारिश की है कि उर्वरकों का उत्पादन गैर-सरकारी क्षेत्र में शुरू किया जाना चाहिए ;

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक देश में उर्वरकों की वार्षिक आवश्यकता कुल कितनी होगी ; और

(ग) इस समय सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में उर्वरकों का कितना उत्पादन होता है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ?

विवरण

उर्वरकों का प्रकार	तीसरी योजना के अन्त तक वार्षिक आवश्यकता	वर्तमान उत्पादन (१९६०–६१ से अनुमानित)
नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र (नाइट्रोजन)	१,०००,०००	१०३,२३०
फास्फेटिक उर्वरक (पी २०५) .	४००,००० से ५००,०००	५८,४००
पोटासिक ऊर्वरक (के २०.) . .	२००,०००	१२६०

†**श्री प्र० के० देव** : विवरण से पता चलता है कि हमें तीसरी योजना में इन उर्वरकों की बहुत आवश्यकता होगी । क्या अधिक उर्वरक फैक्टरियां लगाई जाएंगी; और यदि हां, तो कहां पर ? देश में इन फैक्टरियों को फैलाने के बारे में क्या नीति होगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : फैक्टरियां हमारी परियोजनाओं के अंग के रूप में बहुत से स्थानों पर लगाई जायेंगी । मैं उनके स्थान अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अन्तिम प्रबंध नहीं किये गये, परन्तु प्रयत्न यह है कि यथासंभव प्रत्येक राज्य में एक फैक्टरी हो ताकि लाने ले जाने की कठिनाई दूर की जा सके ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : मैसूर राज्य में उर्वरकों की भारी कमी है ; इस दृष्टि से क्या सरकार तीसरी योजना में बेला गोल उर्वरक फैक्टरी की उत्पादनक्षमता बढ़ाना चाहती है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मुझे इस फैक्टरी संबंधी जानकारी नहीं है परन्तु जब मैं ने कहा है कि प्रत्येक राज्य में एक फैक्टरी होगी, तो उसका अभिप्राय यह है कि वहां कच्चा माल और अन्य वस्तुएं उपलब्ध होंगी । जब तक ये चीज़ें न हो, राज्य में उर्वरक फैक्टरी नहीं हो सकती । यदि इस विशिष्ट फैक्टरी के बारे में पृथक प्रश्न पूछा जाए, तो उसका उत्तर दे दिया जाएगा ।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरूग्रा** : सरकार ने बेकार जाने वाले गोबर को उर्वरक बनाने के काम में लाने के लिये क्या कदम उठाया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : गोबर ग्रौर कम्पोस्ट ग्रौर उर्वरक, जिनका हम वर्णन कर र हे हैं, ग्रावश्यक हैं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : विवरण में गहा ग्रया है कि इस समय १० लाख टन नाइट्रोजनस उर्वरकों की जरूरत है, ग्रौर उत्पादन केवल १३,००० टन है। क्या सरकार इस मांग को तीसरी योजना ग्रवधि में पूरा करने का विचार करती है ? क्या इसका ग्रायात किया जाएगा या यह देश में बनाया जाएगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम इस समय १०३,२३० टन उर्वरक बना रहे हैं। नांगल फैक्टरी ग्रगले कुछ महीनों में उत्पादन ग्रारंभ करेगी। निवेली ग्रौर ट्राम्बे परियोजनायें भी हैं। इन में काफी प्रगति हो चुकी है। वे पूर्ण नहीं हुई किन्तु वे शीघ्र ही उत्पादन ग्रारंभ करेंगी। हम ३, ४, या ५ ग्रौर फैक्टरियों का भी विचार कर रहे हैं। किन्तु उनका ग्रन्तिम निर्णय होने से पूर्व सूचना देना कठिन है। परन्तु हमारा प्रयत्न है कि सरकारी ग्रौर गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में हम १० लाख टन शुद्ध नाइट्रोजन ग्रर्थात् ५० लाख टन ग्रमोनियम सल्फेट तैयार करेंगे।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या हम उर्वरकों का निर्यात कर रहे हैं, यदि हां, तो कितना ?

†**श्री स० का० पाटिल** : हम निर्यात करने योग्य नहीं हैं।

†**श्री पहाड़िया** : क्या राजस्थान जैसे राज्यों को जहां कच्चा माल बहुत है ये फैक्टरियां लगाने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

†**श्री स० का० पाटिल** : ऐसा हो सकता है, प्रस्तावित परियोजनाग्रों के मामलों में राजस्थान बहुत ऊपर है।

†**श्री प्र० के देव** : इस्पात संयंत्रों की फालतू गैस को प्रयोग में लाने के लिये रूरकेला में एक उर्वरक फैक्टरी स्थापित की जाने वाली है। क्या भिलाई ग्रौर दुर्गापुर में भी ऐसी फैक्टरियां लगाने का विचार है, यदि नहीं तो उसका क्या कारण है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : निस्संदेह इन इस्पात संयंत्रों से मिलने वाली यह बहुमूल्य सामग्री है, ग्रौर उन स्थानों पर ये फैक्टरियां स्थापित की जानी चाहियें।

ग्रौद्योगिक ग्रग्रिम परियोजनायें

+

†*१०६२. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रौद्योगिक ग्रग्रिम परियोजनाग्रों के ग्रच्छे परिणाम नहीं निकले;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में ग्रध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है; ग्रौर

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जून, १९६० में श्रीनगर में हुए सामुदायिक विकास के वार्षिक सम्मेलन में अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सामुदायिक विकास क्षेत्रों में प्रारम्भ की गयी औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं को तृतीय पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में जारी किया जाये और यह कि राज्य सरकारें राज्य ग्राम्य औद्योगिक कार्यक्रम के उप-प्रयोजन के लिये विशेष व्यवस्था करें ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया है कि औद्योगिक अग्रिम परियोजनायें असफल नहीं हुई हैं । तो क्या सरकार राज्यों के सभी खण्डों में ऐसी औद्योगिक अग्रिम परियोजनायें चलाने का विचार रखती है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : ये अभी अग्रिम परियोजनायें हैं और हम इसका अभी परीक्षण कर रहे हैं । जब भी आवश्यकता हुई, इनका विस्तार कर दिया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या अध्ययन दल ने इन परियोजनाओं में सुधार के सम्बन्ध में कोई सुझाव दिया है ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : जी, हां ।

†**श्री रघुवीर सहाय** : औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं सम्बन्धी रिपोर्ट का परीक्षण करने से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन दल को यह पता लगा है कि जहां पर भी अधिक राशि आवंटित तथा खर्च की गयी है, वहां पर प्रगति पर्याप्त सन्तोषजनक ढंग से हुई है, परन्तु जहां कम राशि खर्च की गयी है, वहां प्रगति संतोषजनक नहीं हुई है । धन के असमान वितरण के क्या कारण थे ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को समझा नहीं है । धन राशि तदर्थ आधार पर नहीं दी जाती, अपितु इस आधार पर दी जाती है कि किसी राज्य में कितनी परियोजनायें चल रही हैं । इसलिये सभी २६ परियोजनाओं के लिये एक समान धन आवंटित नहीं किया जा सकता ।

†**श्री तंगामणि** : उन २६ परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में भी जारी रखा जायेगा ? श्री मिश्र के नेतृत्व में नियुक्त ९ व्यक्तियों की समिति ने यह अनुमान लगाया है कि तृतीय पंच वर्षीय योजना काल के लिये १६५.७० करोड़ रुपयों की जरूरत होगी । तो इन २६ परियोजनाओं को जारी रखने के लिये तृतीय योजना काल में कितनी राशि आवंटित की जायेगी ?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : प्रारम्भ की गयी सभी परियोजनाओं को जारी रखाजायेगा । २५ परियोजनाएं चालू हैं और २६वीं परियोजना जम्मू और काश्मीर में अभी तक चालू नहीं की गयी है । जहां तक तृतीय योजना में आवंटित की जाने वाली राशि का सम्बन्ध है, यह कई सम्बन्धित मंत्रालयों की योजना आयोग से बातचीत करने के बाद निर्धारित की जायेगी ।

†**डा० मा० श्री० अणे** : क्या माननीय सदस्य द्वारा पूछी गयी यह बात सच है कि जिन परियोजनाओं के लिये अधिक राशि दी गयी थी, वे सफल हुई हैं और जिनके लिये कम राशि दी गयी थी, वे असफल हुई हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं । प्रत्येक परियोजना के लिये यह राशि कार्यक्रमों की संख्या तथा रूप के अनुसार ही दी गयी है । इसीलिये सभी परियोजनाओं को एक समान राशि नहीं दी गयी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या अध्ययन दल द्वारा नकाले गये निष्कर्षों के सम्बन्ध में गोष्ठी में विचार किया गया था और क्या गोष्ठी ने भी कोई उपाय बताया था और यदि हां, तो वह उपाय क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : जी, हां । श्रीनगर में हुए सम्मेलन ने अध्ययन दल द्वारा की गयी सिफारिशों के सभी पक्षों पर विचार किया है । उसके परिणामस्वरूप तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम्य उद्योग सम्बन्धी योजना को इस प्रकार का रूप दिया गया है जिससे वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अधीन सभी बोर्डों और लघु उद्योग बोर्ड के सभी कार्यों में समन्वय उत्पन्न किया जा सके और इन के सभी कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा दी गयी राशि से चलाये जा सकें । इन सभी योजनाओं के सम्बन्ध में अध्ययन दल द्वारा सिफारिशें की गयी हैं ।

†**श्री मू० चं० जैन** : क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं ने ग्रामों के वास्तविक निर्बल वर्गों को कुछ भी लाभ नहीं हुआ है ?

†**श्री सु० कु० डे** : पद्धति सीमा तक यह कथन सच है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस अध्ययन दल ने यह रिपोर्ट दी है कि कुछ राज्य औद्योगिक अग्रिम परियोजनाओं को जारी रखने के लिये उत्सुक नहीं हैं ? यदि हां, वे कौन कौन से राज्य हैं ?

श्री सु० कु० डे : हम ग्राम्य क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की ओर उचित ध्यान देने के लिये सभी राज्यों को मनाने का यत्न कर रहे हैं । जैसा कि सभा को ज्ञात है, सभी गैर-सरकारी उद्योगपतियों का ध्यान नगरों के औद्योगिक विकास की ओर है । इसलिये ग्राम्य क्षेत्रों के बड़े पैमाने पर विकास के सम्बन्ध में कार्य करना बहुत कठिन है । यह तो कई बातों पर निर्भर करता है । यह केवल वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अथवा सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गयी राशि पर ही निर्भर नहीं करता ।

"एस० एस० सावित्री" नामक तटीय जहाज का डूबना

†*१०६३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ जून, १९६० को **एस० एस० सावित्री** नामक तटीय जहाज चन्द वाली (उड़ीसा) से ४० मील दूर बंगाल की खाड़ी में डूब गया; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) प्रारम्भिक जांच पूरी हो जाने के बाद ही दुर्घटना का कारण ज्ञात हो सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रघुनाथ सिंह : उस जलयान का अन्तिम बार निरीक्षण तथा सर्वेक्षण कब किया गया था और उसके एकदम डूब जाने के क्या कारण हो सकते हैं ?

†श्री राज बहादुर : जैसा कि मैं ने अभी अभी बताया है यह कारण जांच द्वारा ज्ञात हो सकेगा और वह जांच मर्केन्टाइल मेरीन डिपार्टमेंट द्वारा की जा रही है । उसकी रिपोर्ट की हमें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

†श्री गोहोकर : वह कितने टन भार का जहाज़ था और क्या वह एक यात्री जहाज़ था या कि मालवाही जहाज़ ?

†श्री राज बहादुर : उसका रजिस्टर्ड टन भार ३६८ टन था और उसकी क्षमता लगभग ३७० टन थी ।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि इस जहाज़ की कीमत क्या थी ?

श्री राज बहादुर : कीमत के बारे में मैं निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकता हूं ।

कारीकल शुल्क मुक्त पत्तन

+

†*१०६४. { श्री बोडयार :
श्री अगाड़ी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण के लोगों ने यह मांग की है कि कारीकल के शुल्क मुक्त बन्दरगाह को, जो आजकल बन्द है, पुनः खोल दिया जाये; और

(ख) किन विशेष परिस्थितियों और लाभों के कारण कांडला को 'शुल्क मुक्त पत्तन' घोषित किया जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां । पांडिचेरी की सरकार को कारीकल के व्यापारियों से कुछ निवेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) कांडला को 'शुल्क मुक्त पत्तन' के रूप में घोषित करने का कोई विचार नहीं है । फिर भी इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के कार्य को प्रेरणा देने और उस स्थान की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिये उस पत्तन के निकट के क्षेत्र में एक शुल्क मुक्त व्यापारिक जोन स्थापित करने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है ।

†श्री बोडयार : क्या कारीकल के समीप महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना के लिये पर्याप्त गुंजाइश नहीं है ? यदि है, तो वे क्या क्या उद्योग हैं ?

†श्री राज बहादुर : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से पूछना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तान को रेलवे यात्रा

†*१०६५. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को जाने वाले यात्रियों को मुनाबाव उतरना पड़ता है और आगे यात्रा के लिये टिकट खरीदने के वास्ते घण्टों पंक्ति (क्यू) में खड़ा होना पड़ता है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय सीमा के अन्दर अन्तिम निरीक्षण चौकी (चैकपोस्ट) वाडमेर तक सीधे रेलवे टिकट नहीं दिये जाते ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) सम्भव है कि पश्चिमी पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को मुनाबाव में टिकट खरीदने के लिये कुछ समय लग जाता हो, परन्तु हमारी सूचना में यह बात नहीं लाई गई है कि उन्हें टिकट खरीदने के लिये कई-कई घंटे खड़े रहना पड़ता है ।

(ख) भारत से पाकिस्तान जाने वाले यात्रियों को बाडमेर तक के लिये सीधा टिकट मिल जाता है परन्तु पाकिस्तान के स्टेशनों से आने वाले यात्रियों को वह सुविधा नहीं दी जाती ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह निवेदन किया है कि वह भी उधर से आने वाले हमारे यात्रियों को सीधे टिकट दिया करें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह निवेदन करना तो उनका काम है ।

कुड्डलूर-सैलम सड़क

+

†*१०६८. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कुड्डलूर-सैलम सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं । फिर भी यह सड़क भारत की सड़क विकास योजना (१९६१–८२) के सम्बन्ध में चीफ इंजीनियरों की रिपोर्ट में सुझायी गयी राष्ट्रीय राजपथ की विस्तार योजना में सम्मिलित है । यह योजना राष्ट्रीय राजपथों के विस्तार के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के दृष्टिकोण पर विचार करने के बाद ही तैयार की गयी है ।

(ख) चीफ इंजीनियरों की रिपोर्ट पर तब तक के लिये विचार छोड़ दिया है जब तक कि विभिन्न परिवहन साधनों में समन्वय के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार की ओर से नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार नहीं कर लिया जाता ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सड़क एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क है जो कि नेवेली को सैलम से मिलायेगी, क्या सरकार इस के कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री राज बहादुर** : यह एक राज्य सड़क है। जैसा कि मैंने बताया है इस समय हमारे पास इस राजपथ के विस्तार के लिये पर्याप्त राशि नहीं है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गयी व्यवस्था को देखते हुए इस समय यह बताना कठिन है कि क्या हम उसका कुछ विस्तार कर सकेंगे। परन्तु इसके महल का प्रश्न अभी मद्रास सरकार के विचाराधीन है।

मोटर परिवहन उद्योग

†***१०६६. श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १७ मार्च, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर परिवहन उद्योग में लगाई जाने वाली पूंजी में पिछले १८ महीनों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इस समय कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(घ) इस उद्योग में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां।

(ख) मोटे अनुमान के अनुसार १९५७–५८ से १९५९–६० तक पूंजी में २६६ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

(ग) लगभग ९१२ करोड़ रुपये (३१–३–१९६० तक)

(घ) राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ शास्त्र अनुसन्धान परिषद् द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार १९५७–५८ में लगभग २४ लाख लोगों को सड़क परिवहन में रोजगार दिया गया था। इस समय सड़क परिवहन में नियुक्त कुल व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या झा समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में बेबी कारों के निर्माण के लिये कार्यवाही की जायेगी और यदि हां, तो वह कार सरकारी क्षेत्र में तैयार की जायेगी या कि गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री राज बहादुर** : यह प्रश्न वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय से पूछा जाना चाहिये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : उद्योग पर लगायी गयी पूंजी में से कितनी पूंजी सरकारी क्षेत्र में है और कितनी गैर-सरकारी क्षेत्र में ?

†**श्री राज बहादुर** : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है।

†**श्री तंगामणि** : एक अवसर पर हमें यह बताया गया था कि १९५८–५९ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिये कुल ९४.५ करोड़ रुपयों का राजस्व प्राप्त हुआ था। क्या १९५९–६० में उसमें कोई वृद्धि हुई है और यदि हां, तो कितनी ?

†**श्री राज बहादुर** : इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है ?

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अर्थ शास्त्र अनुसन्धान परिषद् ने इस उद्योग के बारे में कोई अध्ययन किया है और क्या इस बारे में कोई सुझाव दिया है। यदि हां, तो प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : परिषद् ने हमारे कहने पर मोटर परिवहन के सम्बन्ध में तीन बातों के बारे में अध्ययन प्रारम्भ किया था । वे हैं—रोज़गार क्षमता, मोटर परिवहन उद्योग का राष्ट्रीय राजस्व में अंशदान और आर्थिक विकास के लिये सड़क परिवहन का महत्व ।

†**श्री तंगामणि** : क्या किन्हीं गैर-सरकारी उद्योग पतियों ने दक्षिण में, विशेषतया मदुरै में मोटर परिवहन उद्योग चलाने में सहायता के लिये सरकार से निवेदन किया है ?

†**श्री राज बहादुर**: ऐसे निवेदन समय समय पर राज्य सरकारों को किये गये हैं; जैसा कि माननीय सदस्य को ज्ञात है, परिवहन एक समवर्ती विषय है जिसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है । मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारों को भेजे गये निवेदनों पर अच्छी प्रकार से विचार किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठ ल राव** : सड़क परिवहन उद्योग में लगायी जाने वाली पूंजी की राशि २६६ करोड़ बतायी गयी है । क्या यह राशि केवल मात्र सड़क परिवहन उद्योग के लिये है या कि मोटर उद्योग के लिये भी ? उसमें सरकारी पूंजी कितने प्रतिशत होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : सरकारी क्षेत्र में लगाये जाने वाले धन के सम्बन्ध में मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता । यह केवल मोटर सड़क परिवहन उद्योग के सम्बन्ध में है ।

†**श्री पहाड़िया** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस उद्योग में बहुत से व्यक्ति काम करते हैं, क्या सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर** : इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है । परन्तु इसके लिये हमें नियोगी समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी होगी ।

चीनी की बिक्री

†१०७०. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस सीज़न में बनी चीनी कब तक बिक जायेगी और उसके हिसाब तय हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह सम्भावना है कि इस सीज़न में बनी सम्पूर्ण चीनी इस चीनी वर्ष में नहीं बिक सकेगी; और

(ग) यदि हां, तो गन्ना उत्पादकों को गन्ने का अतिरिक्त मूल्य कैसे मिलेगा ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) से (ग), सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). १९५९-६० के मौसम में उत्पादित सारी चीनी के बिक जाने और चीनी कारखानों द्वारा चीनी भेज दी जाने की सम्भावना फरवरी, १९६१ तक है और इस के बाद हिसाब किताब पूरा करने में कुछ और महीने लगेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) गन्ना उत्पादक गन्ने का अतिरिक्त मूल्य इस मौसम का हिसाब किताब पूरा हो जाने के बाद पाने के अधिकारी होंगे ।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि जो शक्कर ज्यादा हो गई है, उस की खपत के बाद कुछ निर्यात भी किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : अभी तो निर्यात होने की संभावना नहीं दीखती है क्योंकि उस के दाम कम आते हैं । निर्यात का सवाल आयेगा लेकिन चन्द महीनों के बाद ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वर्ष चीनी का उत्पादन अधिक हुआ है, अर्थात् लगभग २४ लाख टन हुआ है, क्या चीनी के मूल्य कम होने की संभावना है या यह कम हो गया है, और यदि हां, तो कितना ?

†**श्री स० का० पाटिल** : मूल्य कम नहीं होने चाहियें क्योंकि सीमा से मूल्य कम हो जाने से चीनी का उत्पादन भी कम हो जायेगा । इसलिये हमें मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयत्न करना है । उस समय के मूल्य बिल्कुल ठीक हैं ।

†**श्री गोरे** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अमरीकन बाजारों में उस चीनी की कोई खपत नहीं है जिसका हम उत्पादन कर रहे हैं तो उस चीनी के लिये और कौन सा देश है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : यह तो विशेष देशों को विशेष प्रकार की चीनी भेजने का प्रश्न है । हम अमरीका को भी एक विशेष प्रकार की चीनी भेज सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बोइंग ७०७ जेट विमानों का निरीक्षण

†*१०५३. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान संयुक्त राज्य अमरीका के संघीय उड्डयन अभिकरण (फेडरल एवियेशन एजन्सी) के इस निदेश की ओर दिलाया गया है कि ७०७ बोइंग जेट विमानों का प्रयोग करने वाली सभी अमरीकन कम्पनियों को विमानों के 'नोज़-गियर' के बाहरी 'सिलेंडरों' का निरीक्षण प्रतिदिन १० शक्ति (टेन-पावर) के विशालन यंत्र (मेग्निफाइंग ग्लास) द्वारा बड़े ध्यान पूर्वक करना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बात का भी आदेश दिया गया है कि अधिक सुरक्षा की दृष्टि से बीस दिन में एक बार 'प्रोव टाइप अल्ट्रासोनिक शीयर वेव' उपकरण से विमान की जांच की जानी चाहिये ;

(ग) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल को भी ७०७ बोइंग विमानों के सम्बन्ध में भी ऐसे सुरक्षात्मक उपाय करने का आदेश दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) कारपोरेशन को संयुक्त राज्य अमरीका के संघीय उड्डयन अभिकरण के इस निदेश के बारे ज्ञान है कि ७०७ बोइंग जेट विमानों के 'नोज़ गियर' के बाहरी सिलेंडरों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कर लेना चाहिये ताकि निर्माण की खराबियों के कारण सबजेक्ट सिलेन्डरों के फेल होने का डर न रहे ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). क्योंकि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित खराबी का ज्ञान 'बोइंग एयरप्लेन कम्पनी' को इस प्रकार के जेट विमान कारपोरेशन को संभरित करने से पहले ही हो गया था, इसीलिये एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा जिन तीन विमानों के लिये आर्डर दिये गये थे, उन के सम्बन्ध में निदेश का पालन किया गया और यह देखा गया कि कारपोरेशन के विमानों में लगे हुए सिलेण्डरों में कोई त्रुटि खराबी नहीं थी । इसलिये भाग (क) में उल्लिखित मेगनीफाइंग ग्लासों से दृश्य निरीक्षण और भाग (ख) में उल्लिखित अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा खरीदे गये बोइंग एयर क्राफ्ट में लगे हुए सिलैण्डरों पर लागू नहीं होते ।

पांडु में नदी-पत्तन

†*१०५५. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांडु में नदी-पत्तन सम्बन्धी कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह काम किस फर्म को सौंपा गया है ; और

(ग) इस के कब तक समाप्त होने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आसाम सरकार ने, जिस को कि पांडु-पत्तन निर्माण का कार्य सौंपा गया था, यह सूचित किया है कि मार्च, १९६० तक १ लाख रुपये खर्च हो चुके थे । वन विभाग को २००० साल के लट्ठों के लिये आर्डर भेजा गया था, उन में से २७९ उस स्थान पर पहुंच गये हैं और ६३६ वन डिपुओं पर इकट्ठे कर दिये गये हैं ; ठेकेदार द्वारा खान के स्थान पर पत्थर इकट्ठे करने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं और खान के स्थान पर दो पत्थर तोड़ने वाली मशीनें लगाई जा चुकी हैं। वर्षा के समाप्त होते ही और नदी का पानी कम होते ही लट्ठे लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा । इस्पात के लिये कोटा सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्राप्त हो गये हैं और १६७ टन इस्पात के लिये आर्डर दे दिये गये हैं । ट्रांज़िट शेड (इस्पात) के निर्माण का कार्य मेसर्ज़ मार्टिन एण्ड बर्न लिमिटेड,

†मूल अंग्रेज़ी में

कलकत्ता द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है । पत्तन निर्माण का कार्य मेसर्स बी० आर० हरमेन एण्ड मोहता (प्राइवेट) लिमिटिड, कलकत्ता को सौंपा गया है । आशा है कि कार्य १९६३ -६४ तक पूरा हो जायेगा ।

ग्रांट ट्रंक एक्सप्रेस

†*१०५६. **श्री केशव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्रांड ट्रंक एक्स्प्रेस जनवरी, १९६० से समय पर आ जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : १ जनवरी से २० अगस्त, १९६० तक ग्रांड ट्रंक एक्स्प्रेस के मद्रास और नई दिल्ली पहुंचने की प्रतिशतता क्रमश: ४३ और ४० थी । विशेषतया मई से जुलाई, १९६० की अवधि में गाड़ियों का आना जाना सन्तोषजनक नहीं रहा है । इस की अवस्था सुधारने के लिये विशेष प्रयत्न किये गये हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका से रेल के डीजल इंजनों की खरीद

†*१०५९. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका से मीटर गेज के बहुत बड़ी संख्या में डीज़ल इंजन मंगवाने का आर्डर दे दिया गया है अथवा जल्दी दने का विचार है ;

(ख) क्या इस के लिये टेंडर मांगे गये थे ;

(ग) यदि हां, तो क्या सब से कम कीमतों वाला टेंडर स्वीकार किया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) साठ मीटर लाइन के डीज़ल इंजनों के लिये आमरीका को आर्डर भेजने का विचार है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) टेण्डर अभी तक विचाराधीन हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब द्वारा दिल्ली को बिजली का संभरण

†*१०६१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा नांगल प्रणाली से दिल्ली को बिजली के संभरण पर कर लगाने की पंजाब सरकार की प्रस्थापना सम्बन्धी विवाद के बारे में दिल्ली प्रशासन और पंजाब सरकार के बीच कोई समझौता हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

टेलीफोन की दरें

†*१०६६. **श्री मोहम्मद इलियास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली और मद्रास में स्थानीय टेलीफोन की दरें (लोकल टेलीफोन काल रेट्स) भिन्न भिन्न हैं ;

(ख) यदि हां, तो दरों में फर्क होने का क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार दरों को एक समान करने का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). स्थानीय टेलीफोन सेवाओं की दरें टेलीफोन लगाने तथा संधारण पर आने वाले खर्च के अनुसार ही निर्धारित की जाती हैं । क्योंकि टेलीफान सिस्टम की वृद्धि के साथ खर्च भी बढ़ता जा रहा है, इसलिये दरों में वृद्धि होना भी अनिवार्य है । फिलहाल दरों में एकता लाना संभव नहीं है ।

टूंडला रेलवे स्टेशन पर जला हुआ कोयला

†*१०६७. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि उत्तर रेलवे के टूंडला रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ी मात्रा में कोयले को जला कर जले हुए कोयले (सिंडर) को ठेकेदारों द्वारा आस पास के स्थानों विशेषतः फिरोजाबाद में बेचा जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसा करने से रेलवे को प्रतिमास हजारों रुपये की हानी हो रही है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या मंत्रालय का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । इस आरोप की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(ख) जी नहीं :

(ग) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत-नेपाल डाक करार

*१०७१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न-संख्या ७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल के साथ डाक तथा तार सेवाओं सम्बन्धी करार करने में इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) इस करार के देर से देर कब तक हो जाने की आशा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) माननीय सदस्य इस बात की कदर करेंगे कि नेपाल सरकार ने सिर्फ पिछले वर्ष ही सीमित डाक सेवाओं का अन्तर्गठन किया है; अभी अन्य सेवाओं का गठन करना शेष है। इस के पूरा होने के बाद ही द्विपक्षीय समझौते का प्रश्न उठेगा। हमें आशा है कि मामले को आगे बढ़ा सकने के लिये उक्त पुनर्गठन का कार्य शीघ्र ही समाप्त हो जायेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नगर आयोजन संगठन के कार्यालय

†*१०७२. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री कुन्हन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नगर आयोजन संगठन के विभिन्न कार्यालय नई दिल्ली में आसफअली रोड पर किराये की इमारतों में स्थित हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक इमारत का प्रतिमास क्या किराया दिया जाता है; और

(ग) क्या प्रत्येक इमारत का किराया "स्टैण्डर्ड" किराये के अनुसार तय किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) (१) बी. ४/१२ आसफअली रोड. . . . .२८,०० रुपये ।

(२) बी. ४/७ आसफ अली रोड १,४०० रुपये ।

(ग) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८ (१९५८ का ५९वां) की ६(२)(क) के अधीन यह किराया स्टैण्डर्ड किराया समझा जाता है ।

चम्बल परियोजना

†*१०७३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चम्बल परियोजना के निर्माण में भाग लेने वाली सरकारें लागत का कितना कितना भाग देंगी ;

(ख) प्रत्येक राज्य को कितना लाभ प्राप्त होगा;

---

†[ ] अंग्रेजी में

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित विषय के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आवश्यक कच्चे माल की सप्लाई न होने से चम्बल परियोजना के कार्य में भारी बाधा पड़ गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) मामला चम्बल नियंत्रण बोर्ड के विचाराधीन है ।

(ख) परियोजना से प्राप्त होने वाले सिंचाई और विद्युत् सम्बन्धी लाभ साधारणतया राजस्था और मध्य प्रदेश बराबर बराबर प्राप्त करेंगे । परियोजना की प्रथम प्रावस्था में दोनों राज्यों की कुल १२ लाख एकड़ भूमि में (५-५) लाख एकड़ भूमि मध्य प्रदेश की ५-५ लाख एकड़ राजस्थान की सिंचाई की जायेगी । प्रथम प्रावस्था में ८०,००० किलोवाट विद्युत् पैदा की जायेगी जो कि दोनों राज्यों को बराबर बराबर बांट दी जायेगी ।

(ग) केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि दोनों राज्यों में शीघ्र ही सम्मेलन हो जाये ।

(घ) कई ऐसी परिस्थितियों के कारण जिनका पहले से अनुमान नहीं था, काम समाप्त होने के लिये निर्धारित तिथियों का, अस्त, १९५९ में पुनरीक्षण करना पड़ा था । आशा है कि इन तिथियों के अन्दर कार्य पूरा हो जायेगा । परियोजना को सीमेंट के संभरण की स्थिति तो संतोषजनक थी, परन्तु इस्पात के संभरण में कुछ कमी हो गयी थी । इसीलिये तिथियों को बदलना पड़ा था ।

(ङ) परियोजना के लिये अपेक्षित इस्पात के संभरण को गति देने के लिये परियोजना प्राधिकारियों तथा भारत सरकार द्वारा सभी यत्न किये गये हैं ।

अजमेर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतरना

†*१०७४. **श्री मो० व० ठाकुर :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २० अगस्त, १९६० को पश्चिम रेलवे के किशन गढ़ और अजमेर रेलवे स्टेशनों के बीच गाड़ी पटरी से उतर गयी; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). २०-८-६० को लगभग ३ बजे दिन को जब ८३८ डाउन विशेष माल गाड़ी पश्चिम रेलवे के अजमेर-कुलेरा मीटर डाउन लाइन सेक्शन के लाडपुरा और गोगल आखरी स्टेशनों के बीच चल रही थी । तो गाड़ी के २० वैगन लाइन से उतर गये । दुर्घटना से कोई हताहत नहीं हुआ । रेलवे सम्पत्ति को उस से लगभग १९ हजार रुपयों की हानि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी ऋण संबंधी विशेषज्ञ समिति

†*१०७५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री रामी रेड्डी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री प्र० के० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री २३ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी ऋण सम्बन्धी विशेष समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी हां।

(ख) समिति की रिपोर्ट मुख्य सिफारिशो के संक्षिप्त सारांश के साथ, सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२]** ।

(ग) १४ से १६ जून, १९६० तक श्रीनगर में आयोजित राज्यों के सहकार मंत्रियों के सम्मेलन में समिति की सिफारिशों पर बहस हुई थी, तब से उन का अब और परीक्षण किया जा चुका है और आशा है कि निकट भविष्य में अंतिम निर्णय किया जायेगा और उन्हें कार्यान्वित करने का काम आरम्भ हो जायेगा ।

मिजो पहाड़ी जिले में भूख से मृत्यु

†*१०७६. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम बरूआ :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १८३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को इस बीच असम सरकार से मिजो पहाड़ी जिले में भूख से होने वाली मौत के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उस इलाके में खाद्य-स्थिति में सुधार है करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). असम सराकार ने इस बीच सूचित किया है कि भुखमरी के समाचारों की जांच करने में काफी कठिनाई हुई है क्योंकि अधिकतर मामलों के ठीक ठीक नाम, पते और मौत की तारीख प्राप्त नहीं हुई और उन मामलों की खबर भी काफी समय बाद दी गयी। जांच करने पर यह पता लगा कि इस में से कुछ व्यक्तियों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। इन में से किसी मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि मौत प्रत्यक्ष भूखमरी के फलस्वरूप हुई यद्यपि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस जिले में उस समय विद्यमान अनाज की कमी की स्थिति के कारण इन में से कुछ लोगों की हालत और खराब हो गयी हो।

(ग) सरकार कम मूल्य पर चावल बांट रही है। लोगों को काम देने के लिये परीक्षात्मक सहायता कार्य चालू किये गये हैं। कृषि ऋण दिये गये हैं और जहां आवश्यक हो, दान सहायता दी गयी है। जिले में सहायता कार्यों के लिये अब तक १,९७,९३,००० रुपये की रकम मंजूर की जा चुकी है।

एयर इंडिया इन्टरनैशन का माल परिवहन के बारे में अमरीकी फर्म के साथ करार

†*१०७७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल का अमरीकी कम्पनी के साथ माल ले जाने सम्बन्धी करार अभी लागू है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : जी हां। किन्तु आशा है कि एयर इंडिया इटरनैशनल नवम्बर, १९६० के मध्य से अपने साज सामान और विमान चालकों से फ्रटर सर्विस चालू करेगा।

चन्दबाली पत्तन

†*१०७८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उड़ीसा के चन्दबाली पत्तन के विकास के सिलसिले में जलवर्णना सम्बन्धी (हाइड्रोग्राफिक) सर्वेक्षण करने के लिये अपने समुद्री सर्वेक्षकों में से किसी एक की सेवाएं उपलब्ध करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सर्वेक्षक देने की बात मान ली है ?

(ग) क्या सरकार ने इस पत्तन के विकास के लिये राज्य सरकार को कोई ऋण देने की मंजूरी दी है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ऋण की मंजूरी दी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क)से(घ). आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) जून, १९५८ में श्री टी० एम० एप्टन का नाम जिसकी सिफारिश कलकत्ते के पत्तन आयुक्त ने की थी, उड़ीसा सरकार ने चन्दवाली पत्तन के विकास के संबंध में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने के लिए सुझाया था । वह बहुत वृद्ध होने के कारण, राज्य सरकार ने उन्हें उस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं समझा । बाद में परिवहन विभाग के तत्कालिन विशेष पदाधिकारी के परामर्श पर एक उम्मीदवार को नियुक्त किया गया था किन्तु उसने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारणों से त्याग-पत्र दे दिया । उसके बाद, तत्कलीन विशेष पदाधिकारी ने एक दूसरे पदाधिकारी की सिफारिश की । इस पदाधिकारी ने मई में मुक्त होने के बाद गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बार्ड में अपना काम संभाल लिया ।

बाद में उड़ीसा सरकार ने अपने ही एक पदाधिकारी को (जो बंबई लोक निर्माण विभाग में पत्तन सर्वेक्षण का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका था) नौसेना मुख्य कार्यालय (प्रतिरक्षा मंत्रालय) द्वारा चालू किये हाइड्रोग्राफिक स्पेशनिजेशन कोर्स का प्रशिक्षण दिलाने के लिए सुझाव दिया । राज्य सरकार का यह प्रस्ताव देर में प्राप्त हुआ और अप्रैल, १९६० का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुका था । राज्य सरकार को सूचित किया गया कि उसके पदाधिकारियों को सितंबर/अक्तूबर, १९६० में चालू होने वाले पाठ्यक्रम के लिये भेजा जायेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) २·३१ लाख रुपये ।

ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ को ऋण

†*१०७९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ के लिये २ करोड़ रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, इस सहायता का क्या उद्देश्य है और भारत सरकार को इससे क्या लाभ होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और(ख). कलकत्ता–असम मार्ग पर अत्यावश्यक आई० डब्ल्यू० टी० सर्विस चालू रखने के लिए उसके पुराने बेड़े की जगह नया बेड़ा लाने के लिए ज्वांइट स्टीमर कम्पनीज़ को कुछ शर्तों के अधीन २ करोड़ रुपये का ऋण देना सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि योग्य परती भूमि संबंधी विशेषज्ञ समिति

*१०८०. श्री खुशवक्त राय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री २३, मार्च १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषियोग्य परती भूमि के सम्बन्ध में नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अब तक क्या प्रगति की है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : पूछी गई जानकारी का एक विवरण सभा की टेबिल पर रख दिया गया है ।

विवरण

बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों के अतिरिक्त समिति ने मैसूर और आन्ध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया है और अप्रैल, १९६० में अधिक जानकारी इकट्ठी करने के लिये यह समिति बिहार और उड़ीसा राज्यों में फिर गई ।

उन राज्यों में से जिनमें यह समिति गई थी, पंजाब राज्य की रिपोर्ट पूरी हो गयी है और सरकार को दी जा रही है ।

समिति ने पश्चिमी बंगाल और केरल राज्यों की रिपोर्टों का प्रारूप पहले ही तैयार कर लिया है और आशा है कि राज्य सरकारों से वाद-विवाद करने के फौरन ही बाद इनको अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

हज यात्रियों के लिये सुविधायें

†*१०८१. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज यात्रियों को ले जाने के लिये वैस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन द्वारा, जो सरकारी कम्पनी है, कितने जहाज चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) हज यात्रियों को क्या विशेष सुविधायें देने का विचार है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन हज यात्रियों को ले जाने के लिए कोई जहाज नहीं चलाना किन्तु मुगल लाइन लिमिटेड, जिसके अधिकतर हिस्से (शेयर्स) वेस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन ने ले लिये हैं, हज व्यापार के लिए चार यात्री-तथा-माल की नौकाएं चलाता है ।

(ख) मुगल लाइन के पहले मालिकों ने जो भी सुविधाायें दी थीं वे सभी उस प्रकार कायम रहेंगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे स्टेशनों पर भिखारी

†*१०८२. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर कुछ भिखारी परिवार बसे हुए हैं और रेलवे तथा पुलिस अधिकारियों को इस बात का पता है; और

(ख) प्रशासन ने रेलवे की हद में भीख मांगना बन्द करने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) रेलवे की हद में भीख मांगना बन्द करने के लिए की गयी कार्यवाही दिखाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

रेलवे की हद में भीख मांगना रोकने के लिये की गयी कार्यवाही :

(१) भिखमंगों को रोकने के लिए और उनका निबटारा करने के लिए यात्री टिकट जांच करने वालों और रेलवे संरक्षण दल को विशेष टुकड़ियां बनायी गयीं ।

(२) खासकर बड़े स्टेशनों पर कानून के मुताबिक भिखमंगों को निकाल बाहर करने और उनका निबटारा करने के लिए रेलवे पुलिस की सहायता से विशेष धरपकड़ की गयी ।

(३) रेलवे की हद में भिखमंगों का प्रवेश रोकने की ओर रेलवे संरक्षक दल सहित स्टेशन-कर्मचारियों का विशेष ध्यान दिलाया गया ।

(४) यात्री जनता को विज्ञापनों के प्रदर्शन, लाउड-स्पीकर पर घोषणा आदि के तरीकों से यह बताकर कि वे भिखारियों को भीख न दें और उनकी उपस्थिति की सूचना रेलवे कर्मचारियों को दे दें, जनता का सहयोग प्राप्त करना ।

(५) भीख मांगना रोकने के लिए और भीखमंगों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों से सम्पर्क ।

उमेश नगर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट गाड़ी का पटरी से उतरना

†*१०८३. श्री रघुनाथ सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के साहबपुर-कमाल और उमेश नगर स्टेशनों के बीच एक रेलवे पुल के बह जाने से एक मालगाड़ी के १८ वेगन गंगा की एक सहायक नदी में, जिसमें बाढ़ आयी थी, गिर किये; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). २० अगस्त, १९६० को करीब ०४.५ बजे जबकि पूर्वोत्तर रेलवे पर संख्या २ जी० टी० डाउन मालगाड़ी साहबपुर-कमाल और उमेश नगर के बीच चल रही थी तब गंगा नदी के पानी के कारण लाइन के किनारे पर दरार हो जाने से मालगाड़ी के १८ डिब्बे पटरी पर से उतर गये । इनमें से १३ डिब्बे बाढ़ के पानी में गिर गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फर्म को अधिक अदायगी

†*१०८४. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोनार बांध पर किये गये निर्माण कार्य के लिये मैसर्स हिन्द पटेल एण्ड कम्पनी को अधिक अदायेगी के मामले में मध्यस्थता की कार्यवाही समाप्त हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां । वर्तमान संकेतों के अनुसार, मध्यस्थ-निर्णय कार्यवाही सम्भवतः अक्तूबर, १९६० के अन्त तक पूरी हो जायगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब से चावल का निर्यात

†*१०८५. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री आसर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने पंजाब सरकार के इस अनुरोध को कि पंजाब से चावल का जो स्टाक जमा हो गया है उसे निकालने के लिये उत्तरी जोन से चावल का निर्यात किया जाये, नहीं माना है; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध को न मानने के क्या कारण हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). पंजाब में जो भी अतिरिक्त चावल उपलब्ध है वह भारत सरकार पंजाब सरकार के जरिये खरीदने के लिये तैयार है और इसलिये यह आवश्यक या वांछनीय नहीं है कि व्यापारियों द्वारा पंजाब से चावल के निर्यात के लिये अनुमति दी जाये । फिर भी पंजाब सरकार को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कमी वाले राज्यों को पंजाब में टूटे चावल के वर्तमान भण्डारों के निर्यात के लिये अनुमति दे ।

रेलवे के डीज़ल इंजनों के लिये टेंडर

†*१०८६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे के ४० डीज़ल इंजनों के लिये विश्व भर के निर्माताओं से टेंडर मांगें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अब तक कोई प्रस्ताव (आफ़र) मिला है; और

(ग) यदि हां, तो सबसे कम कीमत क्या दी गयी है और यह टेंडर किस फर्म तथा देश से प्राप्त हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) २४-८-१९६० को टेंडर प्राप्त हुए हैं ।

(ग) टेंडरों का संकलन किया जा रहा है और उनकी जांच की जा रही है ।

दिल्ली में मोटर दुर्घटनायें

२०४०. श्री म० ला० द्विवेदी: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितने व्यक्ति अंगहीन हुए या मरे हैं; और

(ख) दुर्घटना के लिये जिम्मेदार ड्राइवरों को क्या दण्ड दिया गया ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पहली फरवरी से ३१ जुलाई, १९६० तक दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में ७६ व्यक्ति हताहत हुये । इन दुर्घटनाओं में अंगहीन होने वालों के आंकड़े अलग नहीं रखे जाते हैं । उक्त अवधि में दिल्ली में मोटर दुर्घटनाओं के कारण ६९ व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए ।

(ख) इन दुर्घटनाओं के लिये १११ ड्राइवर दोषी पाये गये । इनमें से एक को ३ महीने के कठिन कारावास का दण्ड दिया गया, २६ पर ५० रुपये से लेकर २००० रुपये तक के जुर्माने किये गये और एक को रिहा किया गया, शेष ८३ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी चल रही है ।

चीनी का उत्पादन

†**२०४१. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६० से ३१ मई, १९६० तक चीनी का कितना उत्पादन हुआ और उन्हीं महिनों में कितनी चीनी रवाना की गयी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : १ फरवरी, १९६० से ३१ मई, १९६० तक १२.५९ लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और ६.५८ लाख टन चीनी रवाना की गयी ।

बम्बई में आटा मिलें

†**२०४२. श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार बम्बई में आटा मिलों को सालाना कितना गेहूं देती हैं; और

(ख) वह किस दाम पर दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) बम्बई में रोलर वाली आटा मिलों को प्रतिमाह २१,२०० टन गेहूं देना निश्चित किया गया है। इन मिलों ने १९५९ में कुल २,१३,२०० टन गेहूं उठाया।

(ख) बोरी के दाम सहित १४ रु० प्रति मन।

पंजाब में पर्यटकों के लिये विश्राम-गृह

†२०४३. **श्री हेमराज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में पर्यटकों के लिये कम आय वाले समुदाय के विश्राम-गृह बनाने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : राज्य सरकार द्वारा दी गयी आवश्यक जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

डीजल इंजन

†२०४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डीजल इंजनों की आवश्यकता मालूम कर ली गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : : (क) जी हां।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिये डीजल इंजिनों की आवश्यकता इस प्रकार है :—

(१) बड़ी मेन लाइन के डीजल इंजिन . .	१२५
(२) बड़ी लाइन के डीजल शन्टर्स . .	७
(३) छोटी मेन लाइन के डीजल इंजन . .	६०

जम्मू और काश्मीर में वन विकास

†२०४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जम्मू और काश्मीर राज्य को वन विकास के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : ६०·५ लाख रुपये। योजना के लिये रकमें नियत करने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसार १९६०–६१ से वन विज्ञान और भूमि संरक्षण योजनाओं के लिये इकट्ठी रकम नियत की जाती है। इसलिये उपरोक्त आंकड़े में भूमि संरक्षण योजना के लिये १९६०–६१ के लिये नियत की यी रकम भी शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

फीरोजपुर डिवीजन में स्टेशनों पर यात्री सुविधायें

*२०४६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के फीरोजपुर डिवीजन के कौन कौन से स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर वर्ष १९६०–६१ में छत डाल दी जायेगी;

(ख) उसी डिवीजन में किन किन स्टेशनों पर पानी-बिजली जैसी अन्य सुविधायें दी जायेगी;

(ग) उसी डिवीजन में दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कितने और किन-किन जगहों पर अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज बनाये गये; और

(घ) दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि म कितने और किन-किन जगहों में ऐसे पुल बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) १९६०–६१ में फिरोजपुर डिवीजन के किसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर छत डालने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) (१) इस डिवीजन के सभी स्टेशनों पर पीने के पानी की सुविधायें पहले से ही मौजूद हैं।

(२) १९६०–६१ में अब तक डिलवन, सनौरा, खेमकरन, रेहों और जन्डो के स्टेशनों पर बिजली लगायी जा चुकी है और हरदोरावल, गुलर, ढलकलां और सतनौर बदेसरों स्टेशनों पर वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले सम्भवत: बिजली लगायी जायगी।

(ग) और (घ). जालंधर शहर और जालन्धर छावनी के बीच एक सड़क-ओवर ब्रिज बनाया गया है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में छिहेरू पर एक और सड़क-ओवर ब्रिज सम्भवत: बन कर तैयार हो जायगा।

पंजाब से चावल का निर्यात

†२०४७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में अब तक पंजाब से वास्तव में कितना चावल बाहर भेजा गया; और

(ख) किन-किन राज्यों को और प्रत्येक राज्य को कितना चावल भेजा गया ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). १ जनवरी से १७ अगस्त १९६० तक पंजाब से सरकार की ओर से करीब ५१·४ हजार टन चावल बाहर भेजा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिन राज्यों को यह चावल भेजा गया और प्रत्येक राज्य को लगभग जितनी मात्रा में भेजा गया वह इस प्रकार है :—

राज्य	मात्रा (हजार टनों में)
बम्बई	२३.९
जम्मू और काश्मीर	९.३
उत्तर प्रदेश	८.४
पश्चिमी बंगाल	३.०
दिल्ली	६.६
हिमाचल प्रदेश	०.२
कुल	५१.४

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्रों को जो पंजाब के ही चावल-क्षेत्र में शामिल हैं, व्यापारियों की ओर से भेजे गये चावल के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

दिल्ली में पंचायतें

†२०४८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य में अभी कितनी पंचायतें काम कर रही हैं ;

(ख) कितनी पंचायतों ने अपने निजी पंचायतघर बना लिये हैं ; और

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अब तक कितने पंचायतघर बनाये गये हैं ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) दिल्ली में २०५ गांव पंचायतें और २२ वृत्त पंचायतें हैं जिन्हों ने १-३-१९६० से काम करना शुरू किया है ।

(ख) कोई पंचायतघर नहीं बनाया गया है क्योंकि पंचायतें अभी शेशवावस्था में हैं । फिर भी, अधिकतर गांवों में सामुदायिक परियोजना की योजना से अनुदान में से ५० प्रतिशत अंशदायी आधार पर सामुदायिक केन्द्र/चौपाल बनायें गये हैं । इन में से अधिकतर केन्द्र गांव पंचायतों की बैठकों के लिये काम में लाये जाते हैं ।

(ग) कोई नहीं ।

उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य केन्द्र

†२०४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के आदेश से दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उत्तर रेलवे में कितने स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ;

(ख) उस योजना के लिये कितनी रकम नियत की गई ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक कितनी रकम खर्च की जा चुकी है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) छै ।

(ख) ८,५२,००० रुपये ।

(ग) ३,८१,००० रूपये ।

रेलवे की जमीन

†२०५०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में रेलव अधिकारियों ने रेलवे की कुल कितनी अतिरिक्त जमीन पंजाब सरकार को दे दी ; और

(ख) क्या यह जमीन किसानों को दे दी गई है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) १९५७-५८ में रेलवे की कृषियोग्य करीब ३७९ एकड़ जमीन पंजाब सरकार को दी गई है । १९५८-५९ और १९५९-६० में उतनी ही एकड़ जमीन उस के अधिकार में रही । इसके अलावा, करीब ९८३२ एकड़ जमीन राज्य वन विभाग को जंगल लगाने के लिये दी गई है ।

(ख) प्रक्रिया के अनुसार, रेलवे सीधे किसानों को जमीन नहीं देती । जमीन संबंधित राज्य सरकार को दे दी जाती है और फिर वह व्यक्तिगत किसानों को स्वयं देती है ।

उत्तर रेलवे में कम खर्च की प्राथमिक पाठशालायें

†२०५१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में कम खर्च की कितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं ;

(ख) प्रत्येक पाठशाला के निर्माण पर कितना खर्च लगा ;

(ग) प्रत्येक पाठशाला में कितने छात्रों को पढ़ाया जाता है ; और

(घ) प्रत्येक पाठशाला में कितने अध्यापक काम कर रहे हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ७८ ।

(ख) लगभग ४ हजार रुपये ।

(ग) ५० छात्रों को ।

(घ) एक ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५

†२०५२. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में लालडंगा से निर्गुण्डी लेवल क्रासिंग तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ के निर्माण के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार द्वारा भेजे गये संशोधित प्रस्ताव के बारे में राज्य सरकार के साथ इस बीच निबटारा हो चुका है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो संशोधित प्रस्ताव किस प्रकार का है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). राज्य सरकार ने अपने संशोधित प्रस्ताव पर भारत सरकार की टिप्पणियों के आधार पर अभी अभी हाल में परिवर्तित अनुदान प्रस्तुत किये हैं। संशोधित प्रस्ताव में कुछ धार्मिक स्थानों को छोड़ देने के लिये रेखांकन में परिवर्तन करने तथा सर्विस सड़कों और ऊंचे किनारों पर जमीन के गंदे पानी की व्यवस्था करने के लिये जमीन की चौड़ाई भी बढ़ाने का प्रश्न शामिल है। परिवर्तित अनुमान अनुमान की छानबीन की जा रही है ।

उड़ीसा में छोटी सिंचाई परियोजनायें

†२०५३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से वर्ष १९६०-६१ के लिये छोटी सिंचाई परियोजनाओं की कोई नई योजना प्राप्त हुई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : जी, नहीं ।

पंजाब में बीज फार्म

†२०५४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ से १९५९-६० वर्षों में बीज के फार्म स्थापित करने के लिये पंजाब सरकार को कितनी रकम दी गई ;

(ख) क्या सरकार से यह भी प्रार्थना की गई है कि बीज के फार्म स्थापित करने में उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाये जहां सिंचाई होती है या जहां निश्चित वर्षा होती है और जहां की मुख्य फसलें गेहूं और चावल हैं ?

(ग) क्या यह सच है कि बीज के फार्म स्थापित करने में पंजाब सरकार ने ये शर्तें पूरी नहीं की हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) ६९.७१ लाख रुपये ।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि बीज के फार्मों के लिये जमीन खरीदते समय, उन जमीनों को प्राथमिकता दी गई है जहां सिंचाई की सुविधायें हैं। फिर भी, राज्य सरकार ने बीज के फार्मों के लिये कुछ 'बरानी' जमीन खरीदी है जहां यथोचित सिंचाई की सुविधायें दी जा सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन

†२०५५. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अ० मु० तारिक :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री पांगरकर :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री २ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दामोदर घाटी निगम अधिनियम के प्रारूप सशोंधनों का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रारूप संशोधनों पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई जनता भोजन सेवा योजना[1]

†२०५६. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या रेलवे मंत्री २९ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २८९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्य स्टेशनों पर 'नई जनता भोजन सेवा' योजना लागू करने के बारे में क्या पग उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : इस सेवा का अन्य स्टेशनों में विस्तार किये जाने के लिये यह योजना, जो प्रयोग के लिये चालू की गई थी, अभी पर्याप्त रूप से लोक प्रिय नहीं हो सकी है ।

बीज फार्म

†२०५७. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीज फ़ार्म स्थापित करने के लिये केन्द्र द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को (राज्य-वार) वर्ष १९५९-६० में दी गई और वर्ष १९६०-६१ में दी जाने वाली सहायता का क्या स्वरूप और ब्यौरा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : प्रत्येक २५ एकड़ के बीच फार्मों की स्थापना के लिये ग्राह्य केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

१. भूमि की लागत : १५०० रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ३७,५०० रुपये
२. १०,००० रुपये के हिसाब से एक बीज भंडार की लागत

} २५ प्रतिशत ऋण और ७५ प्रतिशत राज-सहायता ।

३. १०,००० रुपये के हिसाब से सिंचाई सुविधाओं की लागत — १०० प्रतिशत ऋण

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]New Janata Meals Service.

पुनरीक्षित प्रक्रिया के अधीन, वर्ष १९५८-५९ से, योजना-वार मंजूरी देना समाप्त कर दिया गया है। राज्यों को विकास के प्रमुख शीर्षों, उदाहरणतः कृषि उत्पादन जिस में बीज फ़ार्मों की स्थापना के लिये धनराशि भी सम्मिलित है, के अनुसार मंजूरी दी जाती है। एक विवरण संलग्न है जिस में वर्ष १९५९-६० में विभिन्न राज्य सरकारों को कृषि उत्पादन (जिस में बीज फार्म सम्मिलित हैं) के लिये मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

एक विवरण संलग्न है जिस में कृषि उत्पादन (जिस में बीज फार्म भी सम्मिलित हैं) के लिये वर्ष १९६०-६१ में विभिन्न राज्य सरकारों को आवंटित केन्द्रीय वित्तीय सहायता का ब्यौरा है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

चरखी दादरी में टेलीफोन एक्सचेंज

†२०५८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चरखी दादरी (पंजाब) में वर्तमान २५ लाइन वाले एक्सचेंज को १०० लाइन वाले एक्सचेंज में बदलने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : २५ लाइन वाले एक्सचेंज को १०० लाइन वाले एक्सचेंज में बदलने के लिये प्राक्कलनों की मंजूरी दी जा चुकी है। कुछ आवश्यक सामान मंगाने बाकी हैं। यह आशा की जाती है कि यह कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जायेगा।

पत्तनों पर भांडागार

†२०५९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार कपड़ा (हथकरघा और मिल का बना हुआ), खालें, कच्चा चमड़ा और अनाज जैसी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भंडार रखने के लिये पत्तनों पर भाण्डागार स्थापित करने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका आकार और स्वरूप क्या है;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस नयी योजना का क्या उद्देश्य है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (घ). ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। तथापि, केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने कुछ पत्तनों पर—उदाहरणतः मंगलौर, कोचीन, कोझिकोडे, अलप्पी और मद्रास में—भाण्डागार स्थापित किये जा चुके हैं जिनकी कृषि उत्पादों के भंडार की क्षमता ७७१५ टन की है।

बर्दवान में पलना रोड स्टेशन के समीप नौपरिवहन नहर के एक पुल का टूट जाना

†२०६०. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री २३ फरवरी, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बर्दवान में पलना रोड स्टेशन के समीप एक नौपरिवहन नहर के एक ऊपरी पुल के अचानक टूट जाने के कारणों का पता लगाने के लिये की गयी जांच पड़ताल का प्रतिवेदन मिल गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की उपपत्तियां क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) पलना रोड स्टेशन के समीप दामोदर घाटी निगम नहर के ऊपर पुल-एवं-रेगुलेटर के अचानक टूट जाने के कारणों के बारे में एक प्राथमिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। पूना में किये जा रहे कुछ नमूने के प्रयोगों के परिणामों का पता लग जाने पर अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होगा।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे में 'कन्टेनर' सेवा

†२०६१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मध्य रेलवे में लागू 'कन्टेनर' सेवा को निकट भविष्य में अन्य रेलवे द्वारा अपनाये जाने का कोई प्रस्ताव है?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: 'कन्टेनर' पद्धति को मध्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर प्रयोग के तौर पर लागू किया गया है और अन्य रेलवे पर इसका विस्तार इन रेलवे पर किये जा रहे प्रयोगों के परिणामों पर निर्भर है।

शकूरबस्ती में ऊपरी पुल

†२०६२. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शकूरबस्ती में एक ऊपरी पुल बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य के दिसम्बर, १९६० के अन्त तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

बारंगल में निचला पुल

†२०६३. **श्री पांगरकर :**
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **रेलवे** मंत्री २८ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १५०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वारंगल में आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत एक निचला पुल बनाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं। क्योंकि राज्य सरकार ने जून, १९६० में यह निश्चय किया था कि इस पुल की वर्तमान 'लेवल क्रासिंग' के अतिरिक्त आवश्यकता है, उनको यह कह दिया गया है कि इसके लिये उनको पूरी लागत, जो कि १.६ लाख रुपये है, वहन करनी पड़ेगी और उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तेल्लीचेरी--मैसूर रेलवे लाइन

†२०६४. **श्री पांगरकर :** क्या रेलवे मंत्री १५ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्रस्तावित तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन के बारे में इंजीनियरी सर्वेक्षण प्रतिवदन प्राप्त हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, नहीं। रेलवे से अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में मुर्गी-पालन का प्रशिक्षण

२०६५. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १० सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) १९५९–६० में दिल्ली छावनी स्थित आदर्श सरकारी मुर्गी-पालन फार्म में कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ख) उनमें कितने प्रशिक्षार्थी दिल्ली के थे और कितने अन्य राज्यों के थे; और

(ग) प्रशिक्षार्थी किस-किस राज्य से प्रशिक्षण प्राप्त करने आये थे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) : (क) २७३ ।

(ख) दिल्ली से २०२ और अन्य राज्यों से ७१, इन में से ६४ पहले ही दिल्ली में थे ।

(ग) पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से ।

दिल्ली राज्य में वन विकास

२०६६. **श्री नवल प्रभाकर : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में वन विकास के लिये निर्धारित लक्ष्य दिल्ली प्रशासन ने कहां तक प्राप्त कर लिये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों में निर्धारित भूमि सम्बन्धी लक्ष्य और उनकी तुलना में प्राप्त सफलता नीचे दी जाती है ।

योजना का नाम		लक्ष्य	प्राप्ति
वन लगाना (एकड़) . . .	१९५६–५७	४७५	१६२
	१९५७–५८	४७५	२८६
	१९५८–५९	४७५	४४४
	१९५९–६०	४९०	४२९

†मूल अंग्रेज़ी में

		लक्ष्य	प्राप्ति
अधःपतित वनों को पुनर्वासित करना (एकड़) .	१९५६–५७	४००	..
	१९५७–५८	४००	१८७
	१९५८–५९	४००	४२०
	१९५९–६०	३००	१५५
वनों का सर्वे और सीमा निर्धारण (वर्ग मील) .	१९५६–५७	२९.६	..
	१९५७–५८	२९.६	०.७५
	१९५८–५९	२९.६	२.५०
	१९५९–६०	४.७	२.७०

राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था, करनाल

†२०६७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ९ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था की इमारत बनाने और अन्य कार्यों के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में करनाल में राष्ट्रीय डेरी अनसन्धान संस्था की निम्नलिखित इमारतों का निर्माण-कार्य सम्मिलित किया गया है :

गैर-रिहायशी क्षेत्र

(१) डच बार्न्स

(२) डेरी इंजीनियरी विभाग

(३) प्रयोगात्मक डेरी

(४) सड़कें, मैदान, नालियां आदि

(५) डेरी प्रौद्योगिकी विभाग और डेरी विज्ञान कालिज।

रिहायशी क्षेत्र

(६) कर्मचारियों के रहने के लिये क्वार्टर

(७) सड़कें, मैदान, नालियां आदि

(८) अधिक मात्रा में जल-संभरण की व्यवस्था

(९) नाली सम्बन्धी कार्य

(१०) विश्राम-गृह

(११) छात्रावास

---

†मूल अंग्रेजी में

उपरोक्त संख्या (१) से (४) और (६) से (१०) वाली इमारतें पूरी बन चुकी हैं। जहां तक संख्या (११)—छात्रावास का सम्बन्ध है, कार्य प्रगति पर है और आशा की जाती है कि इमारत वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले पूरा हो जायेगा। डेरी प्रविधिक विभाग और डेरी विज्ञान कालिज (संख्या ५) के लिये इमारत के बारे में ब्यौरेवार नक्शा बनाया जा चुका है और केन्द्रीय लोक-कार्य विभाग द्वारा उसके लिये प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। इमारत का निर्माण-कार्य शीघ्र ही आरम्भ किये जाने की आशा है।

पंजाब में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें

†२०६८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने राज्य के किसी जिले में मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालायें खोलने के लिये भारत सरकार से कहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां।

(ख) वर्तमान मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन किये जाने के बाद अतिरिक्त मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। वर्तमान मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

भाखड़ा बांध

†२०६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा बांध में निर्माण कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : जुलाई, १९६० के अन्त तक कुल ५३.६० लाख घन फुट में से बांध में और बायें किनारे के विद्युत संयंत्र में ४३.५८ लाख घन फुट कंक्रीट डलना गया। यह कुल कार्य का लगभग ८१.३१ प्रतिशत है। अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त की गई है। वह ई० एल० १५२४ अर्थात् गहरी से गहरी नींव से ५६४ फुट ऊपर है।

१९ जुलाई, १९६० को जलाशय का पानी १४५८ ऊंचाई पर पहुंच गया और अस्थायी अधिप्लवन मार्ग के ऊपर बहने लगा। जलाशय का अधिकतम स्तर ई० एल० १४६६ पहुंच गया अर्थात् अस्थायी अधिप्लवन-मार्ग से ८ फुट ऊपर जलाशय में कुल १९ लाख एकड़ फुल जल भर कर रखा गया है।

दाहिनी व्यपवर्तन सुरंग (डायवर्जन टनेल) के ऊपर "होयस्ट चैम्बर' (फाटक उठाने गिरने का कक्ष) को कंक्रीट से पूर्ण रूपेण पाट दिया गया है। 'होयस्ट चैम्बर" को बाध की गैलरियों से मिलाने वाली नहर में भी कंक्रीट डाल दी गयी है : दाहिनी 'व्यपवर्तन सुरंग' में ८० फुट की लम्बाई तक कंक्रीट डाली गयी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृत्रिम भुजायें

†२०७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन के समीप वैस्ट हेन्डन अस्पताल में कृत्रिम भुजायें बनायी गयी हैं जो विद्यमान मांसपेशियों के साथ स्वयं कार्य करती हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन का भारत में इस्तेमाल करने के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). इस आविष्कार के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। आवश्यक पूछताछ की जा रही है। जब अपेक्षित जानकारी इकट्ठी हो जावेगी, तो उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

हुगली में जलवर्णना सर्वेक्षण

†२०७१. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली में जलवर्णना-सर्वेक्षण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में बनाये गये एक सर्वेक्षण जहाज द्वारा किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो जहाज का क्या नाम है और इस की लागत कितनी है ;

(ग) क्या इस में जलवर्णना-सर्वेक्षण सम्बन्धी आधुनिक यंत्र लगाये गये हैं; और

(घ) इसी कार्य के लिये भारतीय नौ सेना द्वारा मंगाये गये 'दर्शक' जहाज में और इस में क्या अन्तर है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) हुगली नदी का जल-वर्णना सर्वेक्षण कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा अपने सर्वेक्षण जहाज "वाटरविच, 'गाइड' और 'पाथ फाइन्डर' की सहायता से किया जा रहा है। इन तीनों जहाजों में से आर० एस० वी० वाटर विच) सब से पुराना है जो सन् १९०४ में बनाया गया था। इस जहाज को बदलने के लिये कलकत्ता पत्तन आयुक्तों द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विजगापट्टम में एक नया सर्वेक्षण जहाज बनाया जा रहा है ।

(ख) नये सर्वेक्षण जहाज का नाम "हल्दिया" है और इस की अनुमानित लागत ३०·३७ लाख रुपये है ।

(ग) जी हां ।

(घ) 'दर्शक' जहाज गहरे समुद्र सर्वेक्षण और भारतीय तटों के सर्वेक्षण के लिये है जो 'हल्दिया' सर्वेक्षण जहाज केवल हुगली नदी में सर्वेक्षण के लिये है । अतः 'दर्शक' कुल विस्थापन आयतन (डिस्प्लेसमेंट) तथा आकार (डायमेंशंस) 'हल्दिया' से अधिक है । उदाहरण के तौर पर दर्शक की लम्बाई २९५ फुट है जब कि 'हल्दिया' की लम्बाई केवल १२५ फुट ३ इंच है। 'दर्शक' में अधिक शक्तिशाली मशीन लगी है और उसमें खुले समुद्र के सर्वेक्षण के लिये आवश्यक विशेष प्रकार के यंत्र जैसे 'ओशलोग्राफ़िकल विंच' आदि हैं। "हल्दिया" में नदी के सर्वेक्षण के लिये ही यंत्र रखे जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

Hydrographic Survey

कलकत्ता के चारों ओर चक्राकार रेलवे

†२०७२. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या रेलवे मंत्री ११ फरवरी, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के चारों ओर चक्राकार रेलवे बनाने की योजना के बारे में कोई प्रगति की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चन्द्रपुरा में दामोदर घाटी निगम का बिजलीघर

†२०७३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुरा में दामोदर घाटी निगम का तीसरे बिजली घर का निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है और यह कब तक तैयार हो जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग २८७० लाख रुपये । यह आशा की जाती है कि इस बिजली घर में १९६३ के अन्त तक बिजली बनने लगेगी ।

छोटी सिंचाई योजनायें

†२०७४. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :

क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खंड विकास निधि से पोषित छोटे सिंचाई कार्यों की प्रगति में व्यय में वृद्धि भी एक मापदण्ड है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ; और

(ग) कितन छोटे सिंचाई कार्य किये गये हैं और इनसे कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) खंड विकास निधि से पोषित छोटे सिंचाई कार्यों के निर्माण में प्रगति निर्धारित करने में व्यय में वृद्धि भी एक माप-दण्ड है ।

(ख) और (ग). यह सूचना राज्यों से प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना

†२०७५. श्री सुबोध हंसदा :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र, पूना की विस्तार योजना का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना पर निर्माण-कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) भारत सरकार ने ८२.६० रुपये की लागत वाली एक विस्तार योजना का अनुमोदन किया है जिसमें निम्नलिखित कार्य समिलित हैं :—

१. परिवहन गाड़ियों की खरीद ।
२. वर्तमान प्रशासनिक और भंडार खंडों का विस्तार ।
३. क्षेत्र अनुसन्धान केन्द्र के नये हासिल किये गये क्षेत्र में उपागमन और अन्दरूनी सड़कें ।
४. जल संचालन पद्धति समेत क्षेत्रीय प्रयोगशाला ।
५. विभिन्न विभागों के लिये अतिरिक्त संयंत्र ।
६. क्षेत्रीय जल प्रयोगशाला के विस्तार के लिये भूमि का अर्जन ।
७. आन्तरिक जल प्रयोगशाला और उच्च निर्माण प्रयोगशाला ।
८. उपकरण प्रयोगशाला और कर्मशाला ।
९. बिजली का संभरण आदि ।
१०. प्रयोग शाला-एवं-कार्यालय भवन और सहायक इमारतें ।
११. कर्मचारियों की बस्ती (प्रथम अवस्था) ।
१२. संधारण (अतिरिक्त कर्मचारी) :

(क) उपरोक्त मद १ का कार्य पूरा हो गया है । मद संख्या २, ३, ४ और ५ पर कार्य प्रगति पर है और बाकी कार्य शीघ्र ही आरम्भ किये जायेंगे ।

(ग) लगभग दो वर्षों में ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हावड़ा–दिल्ली लाइन

†२०७६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या रेलवे मंत्री ७ सितम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और हावड़ा के बीच अब तक जितनी भी लाइन को दोहरा किया गया है, उसकी क्या लम्बाई है ; और

(ख) बाकी लाइन को कब दोहरा किया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ७३२ मील ।

(ख) बाकी १७० मील में से कानपुर-इलाहाबाद सेक्शन पर फैजुल्लाहपुर और मनौरी के बीच ५५ मील लम्बी लाइन को दोहरा करने का कार्य प्रगति पर है और उसके मार्च, १९६३ तक पूरा हो जाने की आशा है । बाकी ११५ मील में से गाजियाबाद और टूंडला के बीच ६३ मील के आंशिक रूप से दोहरा किये जाने के कार्य की अनुमति मिल गयी है । गाजियाबाद-टूंडला सेक्शन के बाकी ५२ मील लम्बी लाइन को दोहरा करने का कार्य बाद में लिया जायेगा ।

दन्तचिकित्सा में प्रशिक्षण

†२०७७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की दन्त परिषद ने तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल में दन्त चिकित्सा में प्रशिक्षण की सुविधा के विस्तार के लिये संघीय सरकार को कई प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) दन्त शिक्षा आदि के बारे में भारत की दन्त परिषद् द्वारा सुझाया गया विकास-कार्य बहुत उत्तम हैं । तथापि जिन अवस्थाओं से लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, वह इस कार्य के लिये उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है ।

रेलवे स्टेशन के लिये एस्केलेटर

२०७८. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के बीकानेर वर्कशाप के कारीगरों ने एस्केलेटर का एक नमूना तैयार किया है ;

(ख) क्या बीकानेर वर्कशाप में तैयार किया गया नमूना रेलवे बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो भारत में यह एस्केलेटर पहले पहल कहां बनाया जायेगा ; और

(घ) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) रेल-प्रशासन द्वारा दिये गये ब्यौरे के आधार पर बीकानेर कारखाने में एस्केलेटर का एक नमूना तैयार किया गया है ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तर रेलवे के अमृतसर कारखाने में दिल्ली जंकशन पर लगाने के लिए ।

(घ) इसकी अनुमानित लगात लगभग १ लाख रुपये होगी ।

बीकानेर में मेडिकल कालेज

२०७९. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने बीकानेर (राजस्थान) में मेडिकल कालेज का निर्माण करने और उसे चलाने के लिये गत वर्ष कितनी राशि दी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता देने की संशोधित प्रणाली के अनुसार १९५९–६० में राजस्थान सरकार को केन्द्र द्वारा पुरस्कृत समस्त योजनाओं के लिये, जिनमें 'चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण' के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं भी सम्मिलित हैं, १४.५८ लाख रुपये की एकमुश्त राशि स्वीकृत की गई ।

अनधिकृत बस्तियों के लिये विकास योजनायें

†२०८०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मकानों की कमी को देखते हुए दिल्ली में मकानों के निर्माण में प्रोत्साहन देने के लिये क्या अनधिकृत बस्तियों के लिये विकास योजनाओं के लिये कोई योजना विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का क्या स्वरूप है ; और सरकार इसे क्या सहायता दे रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). विभाजन के बाद दिल्ली के विभिन्न भागों में, विशेषत : सरहदी इलाकों में, बिना कोई अधिकार प्राप्त किये बस्तियों बस गयीं । इन बस्तियों में से कुछ ने नक्शे वगैरह बना लिये थे और कुछ ने कोई नक्शे वगैरह नहीं बनाये थे । सामान्यत: दिल्ली नगर निगम इन बस्तियों में इमारत बनाने की इजाजत नहीं देता । निगम ने यह निश्चय किया है कि इन सब बस्तियों के बारे में नियमित रूप से नक्शे बनाये जायें ताकि उनका उचित विकास किया जा सके और वहां आवश्यक सेवायें दी जा सकें ताकि वहां पर मकानों के नक्शों की मंजूरी दी जा सके । इन नियमित नक्शों को बनाते समय इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि वर्तमान इमारतों को किसी प्रकार की हानि न हो । जिन शर्तों पर निगम की स्थायी समिति द्वारा नक्शे मंजूर किये जाते हैं वे ये हैं कि प्लाटों के मालिक भूमि का विकास करे और एक सहकारी समिति बनाकर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था स्वयं करें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो निगम स्वयं उसका विकास करेगा और प्लाटों के स्वामियों को निम्नलिखित भुगतान करना पड़ेगा :

(१) उन प्लाटों के मामले में जिन पर अभी मकान नहीं बने हैं, मालिकों को इमारत के नक्शे की मंजूरी के समय अपने प्लाट के आकार के मुताबिक विकास-शुल्क देना पड़ेगा ।

(२) अन्य मामलों में, विकास-कार्य किये जाने के पश्चात् दिल्ली नगर निगम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सुधार कर लिया जायेगा ।

अब तक, निगम ने भारत सरकार से इस बारे में कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मांगी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मत्स्य पालन के लिये साज समान

†२०८१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में काम कर रहे विदेशी मत्स्य-पालन-विशषेज्ञों को कितनी लांच (Launches) मछलियां पकड़ने वाली नावें तथा साज-सामान दिया गया है; और

(ख) क्या यह साज-सामान उनके काम के लिय पर्याप्त है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला वाला एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]** ।

पोलिओ के टीके

†२०८२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सोवियत रूस और अन्य साम्यवादी देशों में अभी हाल ही में पोलियों (बाल पक्षाघात) के प्रतिकार के लिय सार्वजनिक रूप से टीके लगाने के आन्दोलन की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या भारत में भी ऐसा आन्दोलन चलाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां, सरकार को पता है कई देशों में, जिनमें सोवियत रूस भी शामिल है, पोलियोमाइलिटिस[1] की रोक थाम के लिय मुंह से खाये जाने वाले रक्षाणुओं[2] पर, जिनका आविष्कार अभी हाल ही में किया गया है, बड़े और और छोटे पैमाने पर क्षेत्र-परीक्षण किये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) इस क्षेत्र के विशेषज्ञ अभी इन टीकों की सुरक्षात्मकता का मूल्यांकन कर रहे हैं । इन परीक्षणों में जिन विषाणुओं (Virus) का प्रयोग किया गया है उनमें पोलियो के जीवित विषाणु हैं किन्तु उनका जहर कम कर दिया गया है । जब किसी व्यक्ति को यह रक्षाणु मुंह के द्वारा दिये जाते हैं तो इसके विषाणु टट्टी के रास्ते बाहर आ जाते हैं । इस प्रकार यह विषाणु उन व्यक्तियों तक, जिन्हें यह टीका नहीं लगा होता, फैल जाते हैं । इसलिये यह पता लगाना आवश्यक है इन विषाणुओं की शक्ति एक समान रहती है अथवा नहीं, तथा क्या वह बाद में अधिक ज़हरीले तो नहीं बन जाते, क्योंकि उस हालत में उनसे रोग के और फैलने की आशंका होती है । इस समय इन सारी बातों की जांच की जा रही है ।

इस समय ऐसे रक्षाणुओं का प्रयोग उन्हीं देशों में करना ठीक है जहां पोलियोमाइलिटिस रोग का प्रसार बहुत अधिक है । भारत में यह देखा गया है कि ९० प्रतिशत बच्चों को ५ वर्ष की आयु के पश्चात् इस रोग के आक्रमण का डर नहीं रहता । यद्यपि अभी हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चला है कि उच्च सामाजिक-आर्थिक वर्ग के बच्चों को १५ वर्ष की आयु तक इस रोग से ग्रस्त होने की आशंका रहती है । इस समय भारत में यह रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये कोई विशेष समस्या नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Poliomyelitis [2]Vaccines

इसलिये निकट भविष्य में इस रोग के प्रतिकार के लिये सार्वजनिक रूप से प्रयोग व परीक्षण करने का विचार नहीं है। क्योंकि अभी और बहुत से ऐसे रोग हैं जिनकी रोक-थाम को प्राथमिकता देनी चाहिये, जैसे चेचक, हैजा, काली खांसी, डिप्थीरिया, मयादी बुखार, टिटेनस इत्यादि। इस विषय पर अभी हाल ही में भारतीय मैडिकल अनुसन्धान परिषद् की विषाणु रोग सलाहकार समिति द्वारा विचार किया गया था और समिति ने विचार प्रकट किया है कि पोलिओमाइलिटिस के लिये टीके लगाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता देने के प्रश्न को अभी कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया जाये।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

†२०८३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश में, विशेषत: रायपुर डिवीजन में, राष्ट्रीय राजपथों की हालत बड़ी खराब है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) मध्य प्रदेश के रायपुर डिवीजन में से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ और ४३ की प्रतिवर्ष आवश्यकतानुसार मरम्मत तथा देखभाल की जाती है। इसके अतिरिक्त, रायपुर डिवीजन में से गुजरने वाले भाग के सुधार के लिये १९५४ से लगभग कुल ४६ लाख रु० नियत किये जा चुके हैं। यह काम या तो समाप्त हो चुका है अथवा समाप्त होने वाला है। इस कार्य के समाप्त होने पर राष्ट्रीय राजपथों की स्थिति काफी सन्तोषजनक हो जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृषक-बैंक

†२०८४. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य ऋण के लिये कृषकों के योगदान से कृषक-बैंक खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का स्वरूप और ब्यौरा क्या है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). भारत कृषक समाज द्वारा कृषि कार्यों के लिये वित्तीय सहायता देने की वर्तमान व्यवस्था के पूरक के रूप में कृषक-बैंक खोलने की एक योजना प्रस्तुत की गयी है। इस योजना पर वचार किया जा रहा है।

मच्छरों का उत्पात

†२०८५. **डा० सामन्तसिंहार** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिलीपाइन्स में एक ऐसी मछली पायी जाती है जो मच्छरों के अंडों को नष्ट कर देती है ;

(ख) क्या भारतीय जाति की कोई ऐसी मछली है जो मच्छरों के अंडों को नष्ट कर देती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

( ) क्या मच्छरों के संकट का सामना करने के लिये सरकार की इस प्रकार की मछलियों के पालने की कोई योजना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) हमें इस समय इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिलीपाइन्स में भारतीय राजदूतावास को इस बारे में लिखा गया है और वहां से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने पर इसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) किसी ऐसी जाति की मछलियों को पता नहीं, जो मच्छरों के अंडों को हड़प कर जाती हों। तथापि जिन सामान्य भारतीय जातियों की मछलियां मच्छरों के लारवा (Larvae) और प्यूपा (Pupae) को नष्ट कर देती हैं, उनके नाम ये हैं:—

एप्लोचिलस लाइनाटस (Aplocheilus lineatus)
एप्लोचिलस पेन्चाक्स (Aplocheilus panchax)
बार्बस सोफोर (Barbus Sophore)
एम्बलीफेरीनगोडोन मोला (Amblypharyngodon mola)
बार्बस टिक्टो (Barbus Ticto)
बार्बस सरना (Barbus Sarna)
एसोमस डेनरीकस (Esomus danricus)
बेडिस बेडिस (Badis badis)
चेला फूलो (Chelaphulo)
चेला बेकेला (Chela bacaila)
गोबियस ज्यूरिस (Gobius giuris)

"टौप मिनौ" नामक मछली जिसे १९२९ में भारत में लाया गया था, भी मच्छरों के लारवा और प्यूपा को नष्ट करने में बड़ी उपयोगी पायी गयी है।

(ग) ऐसी कोई योजना नहीं है। वास्तव में, मछलियों की सहायता से मलेरिया-नियन्त्रण का क्षेत्र बड़ा सीमित है। फिर भी दिल्ली की मलेरिया इंस्टिट्यूटआफ इंडिया में "टौप मिनौ" मछलियां पाली जाती हैं और जिन लोगों को सजावट के तालाबों और सरोवरों में मच्छरों के नियन्त्रण के लिये इनकी आवश्यकता होती है, उन्हें ये मछलियां मुफ्त दी जाती हैं।

सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति

†२०८६. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की किन सिफारिशों को किसी अथवा सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार नहीं किया और यह भी बतायें कि किस राज्य की सरकार ने ऐसा किया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को परिवहन विकास परिषद् की २६ और २७ मार्च, १९६० की बैठकों में पेश किया गया था। लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने जिसका रेल-सड़क परिवहन के तालमेल पर प्रभाव पड़ता है, और माल-परिवहन के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विलम्ब-काल (Moratorium) में वृद्धि करने की सिफारिशों को छोड़ कर, जिन पर विचार करना, नियोगी समिति की रिपोर्ट

†मूल अंग्रेजी में

के उपलब्ध होने तक, स्थगित कर दिया गया था, समिति द्वारा की गयी लगभग सभी सिफारिशों को, थोड़े बहुत रूपभेद के साथ स्वीकार कर लिया गया ।

समिति की अधिकतर सिफारिशों का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये परिषद् के निश्चयों का ब्यौरा राज्य सरकारों को भेज दिया गया है ।

मैसर्स पी० सी० राय एंड कम्पनी

†२०८७. **सरदार अ० स० सिंहगल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी अण्डमान के मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी के नाम, आजतक लकड़ी लेने और कुल कमी के कारण, समझौते के अन्तर्गत रायल्टी के रूप में कितनी रकम बकाया है;

(ख) क्या सरकार इस बकाया रकम पर ब्याज ले रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो ब्याज वसूल न करने से सरकार को कितनी हानि हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**:(क) अंडमान प्रशासन द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार ये आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

३१-३-६० तक निर्यात की गयी इमारती रकड़ी पर बकाया रायल्टी—८,६८,६५८.७६ रु०

(इस रकम में उस ६४९३ टन सख्त/सजावट की लकड़ी की रायल्टी शामिल नहीं है, जिसे १९५९–६० में निर्यात किया गया अथवा जिसका उपभोग अनुज्ञप्तिधारियों की मिल में किया गया; क्योंकि इस किस्म की लकड़ी पर रायल्टी की दर का अन्तिम निश्चय न होने के कारण, इसकी रायल्टी आंकी नहीं गयी)

१९५८–५९ तक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लापरवाही के कारण खो गयी, इमारती लकड़ी पर बकाया रायल्टी . . . ३,९६,८२७.२६ न० पै०

(सख्त/सजावट की लकड़ी पर रायल्टी की दरों के बारे में अन्तिम निश्चय न होने के कारण १-४-५९ तक लापरवाही के कारण होने वाले नुक्सान पर रायल्टी आंकी नहीं गयी)

१२,६५,४८६.०२ रु०

१९५१–५६ तक कमी के लिये जितनी रायल्टी का बिल बनाया गया १०,१८,२०१.१९ रु०

१९५६–५७ की कमी पर रायल्टी का बिल अभी तक नहीं बनाया गया क्योंकि समझौते की धारा ६ के अन्तर्गत, जिसकी व्याख्या १५-२-६० को सभा की टेबल पर रखे गये अंडमान वन विभाग सम्बन्धी नोट के पैरा १.५ और ६ में दी गयी है, गारंटी की गयी मात्रा को कम करने के प्रश्न के बारे में अभी निश्चय नहीं हुआ ।

(ख) जी हां, देर से भुगतान करने पर ब्याज लिया जाता है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय

२०८८. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री एक ऐसा विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) हिमाचल प्रदेश के कितने गांवों में १९५७ से १९५९ तक जल प्रदाय योजना चाल कर दी गई है; और

(ख) अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	१९५७ से १९५९ तक जिन गांवों को जल-प्रदाय की सुविधायें दी गईं उनकी संख्या	कुल खर्च
१.	हिमाचल प्रदेश	६३	रु० १८.१९ लाख

जलपरियां

२०८९. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में दो जलपरियां पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां रखा गया है; और

(ग) क्या इन जलपरियों के कुछ फोटो लिये जा सके हैं ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). हैदराबाद में कोई भी जलपरी नहीं पकड़ी गई है । फिर भी हस्तिमकरों या समुद्री गायों जो जलपरियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, को १९५४ से कई बार समुद्री किनारे के बहुत ही पास दोनों मन्नार और पाल्के खाड़ियों में मंडपम के पास पकड़ा गया है । हाल ही दिसम्बर १९५९ में मन्नार की खाड़ी में दो हस्तिमकर पकड़ी गई हैं और उनको केन्द्रीय सागरीय मछली अनुसन्धान स्टेशन मंडपम के जलजीवालय में रखा गया है ।

(ग) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के फिल्म प्रभाग ने अपनी न्यूजरील डोक्यूमेंट्रियों के लिये इन दो हस्तिमकरों के कुछ फोटो लिये हैं ।

रेलवे सैलून

†२०६०. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल कितने रेलवे सैलून हैं;

(ख) उन के निर्माण पर कुल लगभग कितना खर्च आया था;

(ग) इन सैलूनों में कितने घन फुट स्थान है;

(घ) उनके संधारण और देखभाल पर कितना वार्षिक खर्च आता है; और

(ङ) ये सैलून प्रति वर्ष कुल लगभग कितने मील चलते हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) २७ ।

(ख) २७,१३,३०१ रुपये ।

(ग) १,०६,०६३ घन फुट ।

(घ) १,७१,५६५ रुपये ।

(ङ) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

आसनसोल तथा कन्टाई में रेलवे डाक सेवा के दफ्तर

†२०६१. **श्री मोहम्मद इलियास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसन सोल तथा कन्टाई रोड के रेलवे डाक सेवा दफ्तर क्रमशः बिहार और उड़ीसा के पोस्ट मास्टर्स जनरल के अधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी बंगाल के उन दो दफ्तरों को बिहार और उड़ीसा के अधीन क्यों रखा गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) :** (क) जी, हां ।

(ख) डाक घरों के विपरीत रेलवे डाक सेवा कार्यालयों का नियंत्रण केवल प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के आधार पर ही किसी विशेष सर्कल प्रमुख में निहित नहीं होता । रेलवे डाक सेवा दफ्तरों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से डाक व्यवस्था के समन्वय पर खास ध्यान रखा जाता है । पहले, हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकलने वाले सभी रेलवे डाक सेवा सेक्शन और इन सेक्शनों में पड़ने वाले सभी रेलवे डाक सेवा दफ्तर बिहार और उड़ीसा सर्कल के नियंत्रण में थे भले ही उनका प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कुछ भी हो । परन्तु बाद में—१६५६ में—रेलवे डाक सेवा विभागों के पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप, कुछ एक रेलवे डाक सेवा दफ्तरों को जैसे कि बर्दवान, सेरामपुर आदि के दफ्तरों को, पश्चिमी बंगाल सर्कल के नियंत्रण में सौंप दिया गया । आसनसोल और कन्टाई रोड़ के रेलवे डाक सेवा दफ्तरों को पश्चिमी बंगाल सर्कल को सौंप देने के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के विधान सभा के सदस्यों का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था और वह अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिलासपुर-मुंगेली मंडला रेलवे लाइन

२०९२. **श्रीमती मिनीमाता :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश में बिलासपुर-मुंगेली-मंडला रेलवे लाइन का सर्वेक्षण काफी समय पहले किया था; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इस रेलवे लाइन के निर्माण की कोई सम्भावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां, बहुत पहले १९०६–०७ में बिलासपुर और मंडला के बीच छोटी लाइन बनाने के लिए इंजीनियरिंग सर्वे किया गया था ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में यह सुझाव शामिल नहीं किया गया है ।

रासायनिक उर्वरक

†२०९३. **श्री संगण्णा :** क्य **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों को रासायनिक उर्वरक किस आधार पर आवंटित किये जाते है;

(ख) गत तीन वर्षों में उड़ीसा को कितना उर्वरक बांटा गया; और

(ग) वितरण किस अभिकरण की मार्फत किया जाता है ?

†**कृषि मंत्री ((डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) 'नाइट्रोजीनस' उर्वरक विभिन्न राज्यों की मांगों तथा उपलब्ध मात्रा के आधार पर आवंटित किया जाता है । परन्तु किसी विशेष स्थान के लिये आवंटन राज्यों के पास उपलब्ध सामग्री तथा विभिन्न राज्यों के खाद सम्बन्धी मौसमों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ।

(ख) गत तीन वर्षों में उड़ीसा राज्य को उर्वरक की निम्नलिखित मात्रायें आवंटित की गयी थीं :—

(लाख टनों में आंकड़े)

वर्ष	सल्फेट-अमोनिया	क्षेत्र	अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट	केल्शियम अमोनियम नाइट्रेट
१९५७-५८ .	१६,४५०	२५०	१८०	१,०००
१९५८-५९ .	१५,४००	१६०	१७०	२,०००
१९५९-६० .	२०,६७५	..	५२०	४,०००

(ग) राज्य सरकार ने उस की ओर से पूल से उर्वरक प्राप्त करने और उन्हें जिला खुदरा डिपुओं में इकट्ठा करने का प्राधिकार उड़ीसा राज्य सरकारी विपणन संस्था, कटक को सौंप दिया है । इस दृष्टि से वितरण का कार्य प्रादेशिक विपणन संस्थाओं द्वारा किया जाता है । प्रत्येक सब डिवीजन में एक एक संस्था स्थापित है । प्रादेशिक विपणन संस्था स्टाक को निकटतम डिपो से अनाज के गोलों तक या प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित बड़ी सरकारी संस्थाओं तक ले जाती है जो वस्तुतः इस उर्वरक को काश्तकारों को बांटते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

स्नोडन अस्पताल, शिमला

२०९४. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में स्नोडन अस्पताल, शिमला में कुल कितने रोगी उपचार के लिये आये और कितनों को अस्पताल में दाखिल किया गया ; और

(ख) इन दो वर्षों में इस अस्पताल में कुल कितने रोगी मरे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष		रोगियों की संख्या	मृत्यु संख्या
१९५८-५९ .	अन्तरंग	६२९०४	६७
	बहिरंग	९७६३३	
१९५९-६० .	अंतरंग	६१५०७	९३
	बहिरंग	८०४४६	

हिमाचल प्रदेश में औषधियों की खरीद

२०९५. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों के लिये प्रति वर्ष कितने मूल्य की औषधियां खरीदी जाती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों और औषधालयों के लिये प्रतिवर्ष लगभग ६ लाख रुपये की औषधियां खरीदी जाती हैं ।

महासू (हिमाचल प्रदेश) को पीने के पानी का संभरण

†२०९६. **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के महासू जिले के कितने स्थानों पर प्रशासन द्वारा वहां के निवासियों को पीने का पानी संभरित करने का प्रबन्ध किया गया ;

(ख) क्या वहां के निवासियों ने इस कार्य के लिये कोई अंशदान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हिमाचल प्रदेश में कृषि कार्यों के लिये जल संभरण

†२०९७. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री अ० मु० तारिक :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के महासू जिले के कितने स्थानों पर प्रशासन द्वारा वहां के निवासियों को कृषि कार्यों के लिये जल संभरित करने का प्रबन्ध किया गया ;

(ख) क्या उन स्थानों के निवासियों ने उस कार्य में कोई अंशदान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य रेलवे पर पुल

२०९८. **श्री जांगड़े** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने दक्षिण-पूर्व रेलवे और मध्य रेलवे की लाइनों पर किन-किन स्थानों पर सड़क के ऊपरी पुल बनाने की अनुमति दी है और इस बारे में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ख) रायपुर और रायगढ़ में सड़क के ऊपरी पुलों का निर्माण इस समय किस अवस्था में है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की बाकी अवधि या तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में वह किन-किन समपारों की जगह लाइन से ऊपर या नीचे हो कर सड़क-पुल बनाना चाहती है । राज्य सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में निश्चित सुझाव मिलने पर रेल-प्रशासन उन पर अमल करने के लिये तैयार रहेंगे । लेकिन राज्य सरकार को उन सुझावों को अपनी आयोजनाओं में शामिल करना होगा और उन की लागत पर अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था भी करनी होगी ।

फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरी पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में मध्य रेलवे के नीचे लिखे स्थानों पर समपार की जगह लाइन से ऊपर या नीचे सड़क-पुल बनाने के सुझाव दिये हैं :—

(१) सतना,

(२) सागर—मील ६५६ पर,

(३) सागर—मील ६५२ पर ,

(४) भोपाल, और

(५) इटारसी–जबलपुर खण्ड—मील ५६१/२३ पर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में स्थित दक्षिण-पूर्व रेलवे के नीचे लिखे स्टेशनों पर समपार की जगह लाइन के ऊपर या नीचे सड़क-पुल बनाने के सुझावों पर भी विचार किया जा रहा है :—

(१) भाटापाड़ा,
(२) चक्रधरनगर
(३) सिवनी,
(४) रायपुर, और
(५) रायगढ़ ।

मध्य और दक्षिण-पूर्व रेलों में इन सब योजनाओं पर तभी अमल किया जा सकता है जब राज्य सरकार इन्हें मान ले और इन की लागत पर अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था अपनी आयोजनाओं में कर ले ।

रेलवे के ट्रेड अप्रेंटिस

†२०११. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के ट्रेड अप्रेंटिसों की भर्ती के लिये कोई सिद्धान्त या प्रक्रिया निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिणपूर्व रेलवे वर्कशाप, खडगपुर में भी उसी सिद्धान्त और प्रक्रिया को अपनाया जाता है ;

(ग) खड़गपुर वर्कशाप में चालू वर्ष में कितने प्रशिक्षणार्थियों ने कैरिज, लोको और वैगन सेक्शनों में प्रशिक्षण पूरा किया ;

(घ) क्या रेलवे वर्कशापों में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी अप्रेंटिसों को वर्ष प्रति वर्ष रिक्त होने वाले स्थानों पर नियुक्त किया जाता रहा है या कि उन में से किसी व्यक्ति को खाली भी रहना पड़ा है ;

(ङ) यदि हा, तो इस वर्ष प्रशिक्षण पूर्ति के बाद उन व्यक्तियों को क्यों खाली छोड़ा जा रहा है ; और

(च) कितने प्रशिक्षणार्थी अभी तक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उन के प्रशिक्षण पूरा होने पर सरकार उन का क्या करना चाहती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : :(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जुलाई, १९६० तक २०२ ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) इन में से कुछ एक ट्रेड अप्रेंटिस फालतू हो गये हैं । उस के दो कारण हैं एक तो यह कि कुछ विस्तार योजनाओं के सिलसिले में कुछ अतिरिक्त रिक्तियां होने की आशा थी, परन्तु ऐसा हुआ नहीं । दूसरा कारण यह था कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये पदोन्नति के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से ट्रेड अप्रेंटिसों के लिये रक्षित किये गये कारीगरों के कोटे में कमी कर दी गई, हां, उन्हें, यथासम्भव, भारतीय रेलों पर अन्यत्र खपाने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(च) ५९ अप्रेंटिस अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आशा है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन में से बहुतों को खपा लिया जायेगा ।

'संगम पार्क' (दिल्ली) के अर्जन के लिये अधिसूचना

†२१००. **श्री राघा रमण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह बताया गया हो कि :

(क) दिल्ली की ऐसी जमीनों का ब्यौरा क्या है जिन के अर्जन की अधिसूचना---विशेष रूप से वर्ष १९५७ व १९५८ में जारी की गई अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए---गत वर्ष मई की अधिसूचना के पहले जारी की गई थी ;

(ख) क्या इन अधिसूचनाओं के अन्तर्गत कुछ ऐसी बस्तियां भी आ गई थीं जो पहले ही स्वीकृत की जा चुकी थीं; जैसेकि "संगम पार्क" जिस के बहुत से प्लाट उन मालिकों के नाम में थे जिन्हों ने खरीद कर अपने नाम पर रजिस्टर करा लिया था ; और

(ग) ऐसी स्वीकृत बस्तियों के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मई १९५९ की अधिसूचना में ऐसी बस्तियों को छोड़ दिया गया था, इन स्वीकृत बस्तियों को छट देने का विचार कर रही थी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि इस में गत मई मास तथा १९५७, १९५८ की किन अधिसूचनाओं की ओर संकेत किया जा रहा है ।

१९५७-५८ में दिल्ली प्रशासन द्वारा भारत सरकार दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकार तथा गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के लिए भूमि की वसूली के लिए कई अधिसूचनाऐं जारी की थीं । यह प्रतीत होता है कि ९ दिसम्बर १९५८ को दिल्ली प्रशासन द्वारा "संगम पार्क" के लिए भूमि की वसूली के लिए जारी की गई अधिसूचना की ओर संकेत किया गया है । इस क्षेत्र के सम्बन्ध में नवीन भारत सहकारी गृह-निर्माण संस्था के लिये अधिसूचना जारी की गयी थी । उस सम्बन्ध में लोगों की ओर से प्राप्त आपत्तियों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया था । एक शिकायत श्री शंकर दास से प्राप्त हुई है जिसने अपने आप को "संगम पार्क" का मालिक बताया है । उसके कथनानुसार "संगम पार्क" का नक्शा १० सितम्बर, १९५८ को दिल्ली नगर निगम द्वारा मंजूर किया गया था और उसके द्वारा कई प्लाट विभिन्न लोगों को बेचे गये हैं । दिल्ली प्रशासन ने उसकी आपत्ति मंजूर नहीं की और उस भूमि के अर्जन के लिये अधिसूचना जारी करने का निर्णय कर दिया ।

गिंडी में औद्योगिक बस्ती

†२१०१. **श्री स० रा० अरुमुगम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक गिंडी (मद्रास) में स्थित औद्योगिक बस्ती से कुल कितने का माल खरीदा ;

(ख) क्या रेलवे बोर्ड द्वारा इस बस्ती को धन अथवा प्रविधिक सलाह के रूप में कोई सहायता दी जाती है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस सहायता से औद्योगिकों को कहां गक लाभ हुआ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :

(क) अवधि	मूल्य
(एक) १९५९–६० . . .	५,०६,००१·२५
(दो) १-४-६० से १७-८-६० तक . . .	६६,९९७·५५

इसके अतिरिक्त मैसर्स बुमिदिआर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, माउंट रोड, मद्रास-२ को, जिनकी वर्कशाप औद्योगिक बस्ती, गिंडी, मद्रास में स्थित है, १९५९–६० में ३२,७९८ रु० का और १-४-६० से १२-८-६० तक की अवधि में ३५२६१ रु० के आर्डर दिये गये।

(ख) और (ग) इन्टेगरेल कोच फैक्टरी के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी गिंडी (मद्रास) की औद्योगिक बस्ती की सलाहकार समिति के सदस्य हैं और वह बस्ती को वस्तुओं के ड्राइंग और उन्हें बनाने के तरीके सम्बन्धी जानकारी दे कर सहायता करते रहते हैं। यदि बस्ती को किसी प्रकार की कठिनाई आये तो वे अपनी कठिनाइयों को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के सामने रख सकते हैं।

अगसौढ़ (मध्य प्रदेश) में नया रेलवे स्टेशन

†२१०२. **पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई तहसील के गांवों और अगसौढ़ के लोग पश्चिम रेलवे के बीना-कोटा सैक्शन पर अगसौढ़ गांव के निकट गेट संख्या ८ पर एक स्टेशन बनाने के लिये, जहां पूरी सुविधाएं उपलब्ध हों, अधिकारियों से बार बार प्रार्थना करते रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले तीस वर्षों से गेट संख्या ८ एक फ्लैग स्टेशन है और वहां से काफी यातायात होता है ;

(ग) क्या यह स्थान दोनों ओर के स्टेशनों से ८ मील के फासले पर स्थित है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) अगसौढ़ और अन्य गांवों के लोगों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सेमरखेडी को, जहां पर गाड़ियां रुकती हैं, एक पूरा स्टेशन बना दिया जाये।

(ख) जी नहीं। सेमरखेडी केवल गाड़ियों के रुकने का स्थान ही है।

(ग) और (घ). जी हां। इस स्थान पर स्टेशन बनाने के प्रश्न की जांच कई बार की गई है किन्तु इस स्थान को स्टेशन का रूप देना उचित नहीं समझा गया।

केन्द्रीय सड़क निधि

†२१०३ **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि से मद्रास सरकार को द्वितीय पंच वर्षीय योजना की अवधि में अब तक कितना धन दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) योजना की शेष अवधि में कितना धन दिया जाना है और उसका ब्योरा क्या है ;

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६]**

मद्रास और केरल में सिंचाई की लघु योजनायें

†२१०४. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को मद्रास और केरल की सरकारों से १९६०–६१ के लिये सिंचाई की छोटी परियोजनाओं सम्बन्धी कोई नई योजनाएं प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी रकम की मंजूरी दी गयी है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) केरल सरकार से ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई । मद्रास राज्य की सरकार ने १९६०–६१ में क्रियान्वित करने के लिये निम्नलिखित योजनाओं का प्रस्ताव किया है :—

(लाख रुपयों में)

योजना का नाम	लागत
१. दक्षिण अर्काट जिले में १९६०–६१ में ५० पातालतोड़ कुएं खोदना .	८.२८
२. तिरुचिरापल्ली जिले के उदयार-पलयम तालुके में १९६०–६१ में ५० पातालतोड़ कुएं खोदना . . .	९.४३
३. रामनाथपुरम जिले के करायकुडी और राजपालयम क्षेत्रों में १९६०–६१ में ५० अर्ध-पातालतोड़ कुएं खोदने की योजना . .	२.६४
४. दक्षिण अर्काट, रामनाथपुरम और नीलगिरी जिलों को छोड़कर राज्य के ९ जिलों में ३७५ अर्ध-पातालतोड़ कुएं खोदने की योजना	१८.८७
कुल . .	३९.२२

(ख) संशोधित प्रक्रिया के अन्तर्गत, प्रत्येक योजना के लिये पृथक रूप से भारत सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती क्यों कि भारत सरकार द्वारा वर्ष के अन्त में विकास के प्रत्येक शीर्षक के लिये, राज्य सरकार से प्राप्त व्यय सम्बन्धी विवरणों और करारशुदा अधिकतम राशि के आधार पर अन्तिम मंजूरी दी जाती है ।

त्रिपुरा में सहायक अमीन

†२१०५. **श्री दशरथ देव :**
श्री हाल्दर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में सहायक अमीनों की नियुक्ति के लिये कितने उम्मीदवार चुने गये हैं और जिन्हें आजकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित आदिम जातियों के हैं, और

(ग) इन पदों के लिये त्रिपुरा की अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोगों ने आवेदन-पत्र भेजे थे ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों०वें० कृष्णप्पा)**: (क) एक सौ बीस उम्मीदवार चुने गये थे जिनमें से ४८ व्यक्तियों के पहले दल को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और ४६ व्यक्तियों के दूसरे दल को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शेष २६ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए।

(ख) नौ।

(ग) २६ उम्मीदवारों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे जिनमें से १६ व्यक्तियों ने इन्टर्व्यु दिया।

अगरताला में वाटर-वर्कस

†**२१०६. श्री दशरथ देव** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरताला में वाटर-वर्क्स के निर्माण-कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इसके कब समाप्त होने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(एक) प्रशासनिक मजूरी, व्यय की मंजूरी और टैक्निकल मंजूरी दी जा चुकी है।

(दो) इस कार्य के लिये आवश्यक सामान, त्रिपुरा लोक-निर्माण विभाग द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। काफी संख्या में पाइप प्राप्त हो चुके हैं उन्हें बिछाने के टेंडरों की जांच की जा रही है।

(३) सिविल कार्यों के लिये प्राप्त टेंडरों की छानबीन की जा रही है।

(४) जिस जमीन पर जल सप्लाई करने वाले यन्त्र लगाये जायेंगे, उसे प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) अगरताला की जल-पूर्ति योजना को दो दौरों में पूरा किया जा रहा है। पहले दौर के लगभग दो वर्षों में पूरा होने की सम्भावना है।

मनमाड में ऊपरी पुल

†**२१०७. श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ दिसम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे पर मनमाड में रेलवे का ऊपरी पुल बनाने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह कार्य विभागीय रूप में किया जा रहा है अथवा गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा;

(ग) इस पुल के निर्माण कार्य के पूरे होने का निर्धारित समय कब है; और

(घ) क्या यह कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) सड़क से आने वाले रास्तों और पुल का खास काम ५० प्रतिशत पूरा हो चुका है ।

(ख) जहां तक इस काम के रेलवे के भाग का सम्बन्ध है, गार्डरों को विभागीय रूप से ढाला जा रहा है किन्तु नींव रखने और सड़कों पर आर० सी० सी० कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) फरवरी, १९६१ तक

(घ) जी हां ।

भारतीय जहाज मालिकों द्वारा भाड़े पर लिये गये स्टीमर

†२१०८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में अब तक भारतीय जहाज मालिकों द्वारा कितने स्टीमर भाड़े पर लिये गये और उनका टन-भार कितना था ;

(ख) भाड़े पर लिये गये स्टीमरों का भाड़ा चुकाने के लिये उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गयी;

(ग) भाड़े पर लिये गये इन स्टीमरों से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा कमायी गयी अथवा बचायी गयी ;

(घ) इन स्टीमरों को किन किन मार्गों पर चलाने की अनुमति दी गयी;

(ङ) उनके द्वारा प्रत्येक वर्ष कुल कितने माल का परिवहन किया गया; और

(च) प्रत्येक वर्ष कुल कितनी रकम माल के भाड़े के रूप में ली गयी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (च) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

नये विमानों की खरीद

†२१०९. **श्री तंगामणि** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया इण्टरनेशनल और इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिये नये विमान खरीदे जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस प्रकार के विमान खरीदे जायेंगे और उनका मूल्य क्या होगा ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख) एयर इण्डिया इण्टरनेशनल ने चौथे बोइंग ७०७ जेट विमान के लिये आर्डर दिया है । इसका मूल्य ४ करोड़ रुपये होगा जिसमें फालतू इंजन, कल पुर्जों और अन्य सहायक साज सामान का मूल्य भी शामिल होगा ।

कारपोरेशन की तीसरी योजना की अवधि में और जेट-विमान खरीदने की योजना है किन्तु अभी यह निश्चय नहीं किया गया कि कितने और किस प्रकार विमान खरीदे जायेंगे ।

इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पांच मीडियम रेंज के दो इंजनों वाले फौक्कर फ्रेंडशिप टर्बो प्रापत विमानों का आर्डर दिया है जिनका कुल मूल्य २३४ लाख है। आशा है कि ये विमान १९६१ की पहली तिमाही तक मिल जायेंगे । कारपोरेशन चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले कुछ पुराने विसकाउण्ट विमान प्राप्त करने की सम्भावना की भी जांच कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कारपोरेशन तीसरी योजना की अवधि में डकोटा विमानों के स्थान पर अतिरिक्त विमान खरीदने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है किन्तु अभी यह निश्चय नहीं किया गया कि कितने और किस किस्म के विमान खरीदे जायेंगे ।

कार दुर्घटना

†२११०. **श्री तंगामणि**: क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १३ अगस्त, १९६० को नई दिल्ली में राज पथ और ओल्ड मिल रोड के जंक्शन पर एक भीषण कार-दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या जांच की गयी और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां

(ख) चार ।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०४-क के अन्तर्गत तत्काल ही मामला दर्ज कर लिया गया था और तफशीश शुरू की गयी थी । दुर्घटना होने का मुख्य कारण, दुर्घटनाग्रस्त दो कारों में से एक के ड्राइवर द्वारा कार को बहुत तेज और लापरवाही से चलाना था। इस कार का ड्राइवर तत्क्षण मर गया, इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं था । दूसरे ड्राइवर के सम्बन्ध में तहकीकात हो रही है ।

कारों का निर्धारित गति से तेज और लापरवाही से चलाने की रोकथाम करने के लिये यातायात पुलिस ने विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के लिये निर्धारित गति-सीमा का पालन करवाने के लिये निरीक्षण दल नियुक्त किये हैं । चौक के यातायात द्वीप पर रोशनी लगा दी गयी है और इस स्थान पर स्वयंचालित यातायात नियन्त्रण संकेत लगाने के लिये कार्यवाही की गयी है ।

गांवों में पक्की गलियां

२१११. **श्री बाल्मीकी** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में गांवों में गलियों तथा छोटी गलियों को ईंटों से पक्का करने और पक्की नालियां बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) पिछले चार वर्षों में कितने गांवों में (खण्डवार) यह कार्य हुआ है;

(ग) प्रत्येक राज्य को इस कार्य के लिए कितना धन मंजूर किया गया है और उसमें से कितना व्यय हुआ है ;

(घ) क्या यह सच है कि हरिजनों की बस्तियां या उन के मुहल्ले छोड़ दिये जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) १९५८–५९ और १९५९–६० में विकास खण्डों में गांवों की पक्की की गई गलियों तथा बनाई गई पक्की नालियों का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). खंडवार तथा गांववार जानकारी उपलब्ध नहीं है । सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है । केन्द्र द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कोई निधि निर्धारित नहीं की जाती है । पंचायत समिति या खंड विकास समिति के अनुमोदन से इन योजनाओं को भेदमूलक बजट में व्यवस्थित निधि में से खण्डों में कार्यान्वित किया जाता है ।

(घ) मंत्रालय में ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) यदि विशिष्ट मामले सरकार की जानकारी में लाये गये तो आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना

२११२. **श्री बाल्मीकी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अब तक कितने गावों (राज्यवार) में बिजली लगाई गई;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस पर कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). राज्य सरकारों द्वारा सूचित की गई ३१ मार्च, १९५९ तक की उपलब्ध जानकारी नीचे दी गई है :—

राज्य का नाम	विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या	व्यय हुआ (लाखों में)
असम . . .	१५	७२.८२
बिहार .	६१९	५५.३४
बम्बई	४६१	३००.००
केरल	६५२	२०६.५२
मद्रास	३,९२५	१,५०५.००
मध्य प्रदेश .	१६८	१६७.०६
मैसूर .	४०७	१०९.१४
उड़ीसा .	४८	९६.२५
पंजाब . . .	१,११३	१,२०१.०१
राजस्थान	१	३३.१७
उत्तर प्रदेश .	९२	८८.११
जम्मू तथा काश्मीर	२९	१४.२७
पश्चिमी बंगाल	१३६	९६.२५
आन्ध्र प्रदेश .	१,०८२	९९४.००
केन्द्र प्रशासित क्षेत्र .	१२५	७३.७३
योग	८,८७३	५,०१२.६७

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चिकित्सा संबंधी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण

†२११३. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण किन केन्द्रों में दिया जाता है;

(ख) इन केन्द्रों में आजकल कितने छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) इन केन्द्रों के प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोत्तर प्रशिक्षण निम्नलिखित केन्द्रों में दिया जाता है :—

१. गर्भ विज्ञान तथा स्त्री-रोग संस्था, स्त्रियों तथा बच्चों का सरकारी अस्पताल, मद्रास ।

२. गुप्त-रोग संस्था, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास ।

३. इंस्टिट्यूट आफ अनाटमी, स्टैनले मेडिकल कालेज, मद्रास ।

४. बरनाई इंस्टिट्यूट आफ रेडियोलाजी, गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, मद्रास ।

५. अपग्रेडड डिपार्टमेंट आफ पेडियाट्रिक्स, मद्रास मैडिकल कालेज, मद्रास ।

६. अपग्रेडड डिपार्टमेंट आफ पेथालाजी, आन्ध्र मैडिकल कालेज, विशाखापत्तनम ।

७. अपग्रेडड डिपार्टमेंट आफ पलास्टिक एण्ड मैक्सिल्लो-फेसियल सर्जरी, मैडिकल कालेज, नागपुर ।

८. आल इंडिया इंस्टिट्यूट आफ मैंटल हैल्थ ।

९. इंडियन कैंसर रिसर्च सैंटर, बम्बई ।

१०. वल्लभभाई पटेल चैस्ट इंस्टिट्यूट, दिल्ली ।

११. थोरेसिक सर्जरी यूनिट, क्रिश्चियन मैडिकल कालेज, वेल्लोर ।

१२. अपग्रेडड डिपार्टमेंट आफ हिस्टरी आफ मैडिसन, उस्मानिया मैडिकल कालेज, हैदराबाद ।

१३. लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज, नई दिल्ली ।

१४. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली ।

१५. विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली ।

१६. इर्विन अस्पताल, नई दिल्ली ।

१७. मौलाना आज़ाद मैडिकल कालेज, नई दिल्ली ।

(ख) २०५ ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अपग्रेडड डिपार्टमेंट में प्रविष्ठ होने वाले विद्यार्थियों को उनकी मूल उपाधियों के आधार पर १५० से ले कर २५० रु० तक मासिक छात्रवृत्ति दी

†मूल अंग्रेजी में

जाती है। किन्तु दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, पेथालाजी, मिडवाइफरी, अनाटमी, फिजीआलाजी, फार्मेसालाजी, बैक्टरिआलाजी, बायो-कैमिस्ट्री, क्षय-रोग, एने स्थीसिया और बाल-स्वास्थ्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिये प्रत्येक विद्यार्थी को प्रति मास १५० रु० की छात्रवृत्ति दी जाती है।

हिमाचल प्रदेश में सड़कें

२११४. **श्री पद्म देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में कितने मील लम्बी सड़कें बनाई गई ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : मोटर व जीप चलने योग्य सड़कों की कुल लम्बाई नीचे दी गयी है। (इस में पैदल चलने वाली सड़कों की लम्बाई शामिल नहीं है) :—

१.	महासू जिला	३३३ मील
२.	सिरमूर जिला	१७१ मील
३.	बिलासपुर जिला	९९ मील
४.	मंडी जिला	२३० मील
५.	चम्बा जिला	२३६ मील
६.	किन्नौर जिला	११३ मील
	कुल	११८२ मील

यौगिक विधि से मधुमेह का इलाज

†२११५. **श्री आसर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि राजस्थान सरकार ने यौगिक विधि से मधुमेह का इलाज करने के लिये ४० दिन के एक शिविर का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विधि से कुछ लोग बिल्कुल ठीक हो गये थे; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) सरकार को ज्ञात है कि एक शिविर का आयोजन किया गया था किन्तु सरकार को यह पता नहीं कि शिविर कितने दिनों के लिये लगा था।

(ख) सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चीनी का वितरण

२११६. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारें राज्यों में वितरण के लिये दी जाने वाली चीनी पर प्रबन्ध व्यय के रूप में अधिभार वसूल करती हैं और इस प्रकार चीनी का मूल्य बढ़ जाता है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रति मन कितना अधिभार लिया जाता है ; और

(ग) इन राज्यों में चीनी का विक्रय मूल्य क्या है ?

कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) : (क) और (ख). दो राज्य सरकारें अर्थात् उत्तर प्रदेश और आसाम चीनी पर क्रमशः २५ न० प० और १३ न० प० प्रति मन प्रशासन प्रभार लागू कर रही हैं ।

पंजाब सरकार को राज्य भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिस में शिमला, कांगड़ा, कुल्लू लाहौल और स्पीती जैसे दूर स्थित तथा अगम्य पहाड़ी क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, एकसम संगृहीत मूल्य पर चीनी बांटने की एक योजना है । इस योजना के अन्तर्गत कुछ स्थानों पर हुई हानि को दूसरे स्थानों पर हुए लाभ से पूरा किया जाता है । इस योजना से राज्य सरकार को कुछ बचत भी हुई है ।

महाराष्ट्र सरकार जिलों में सहकारिता समितियों द्वारा बांटी जाने वाली चीनी पर १ रुपया प्रति बोरी और वृहद् बम्बई में सहकारिता समितियों द्वारा बांटी जाने वाली चीनी पर २० न० प० प्रति बोरी अधिभार लागू कर रही है । राज्य सरकार चीनी कारखानों से चीनी खरीदने के लिये सहकारिता समितियों को राज्य सरकार सहकारिता बैंक के द्वारा अग्रिम ऋण देती है । यह अधिभार राज्य सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज वसूल करने के लिये है । इस योजना के अन्तर्गत केवल थोड़ी मात्रा में चीनी—१००० टन प्रति मास से भी कम—बांटी जा रही है ।

(ग) चीनी का बिक्री मूल्य उस किस्म की और चीनी कारखानों की दूरी के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है । उपरोक्त राज्यों में मध्यम किस्म की चीनी का परचून बिक्री मूल्य निम्न प्रकार है :—

राज्य	परचून दाम प्रति सेर
	रु०
उत्तर प्रदेश (कानपुर)	१.०२
आसाम (गोहाटी)	१.०६
पंजाब (राज्य भर में)	१.०५
महाराष्ट्र (बम्बई)	१.०९

रेलवे में न्यूनतम मजूरी

२११७. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के खड़गपुर जिले में, दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेलवे ठेकेदारों द्वारा सामान्य मजदूरों को न्यूनतम मजूरी दी जाती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) दक्षिण-पूर्व रेलवे के खड़गपुर जिले में माल और पार्सलों के ठेकेदारों द्वारा लगाये गये जमजदूरों को, ठेकेदारों और मजदूरों के बीच हुए समझौते के अनुसार मजूरी दी जाती है । इन दरों को निर्धारित करते समय स्थानीय स्थितियों, जैसे उस क्षेत्र में वैसे ही कम काम के लिये दी जाने वाली मजदूरी, मजदूरों की उपलब्धि आदि बातों पर ध्यान रखा जाता है, किन्तु न्यूनतम मजूरी जैसी कोई बात निर्धारित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश बुकिंग एजेंसी का स्थानान्तरण

†२११८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश बुकिंग एजेन्सी रूपड़ से किरातपुर साहिब ले जाई गई है ;

(ख) क्या माल की सुरक्षा के लिये वहां एक गोदाम बनाने के लिये गत वर्ष सर्वेक्षण किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उस का निर्माण कार्य आरम्भ करने में कितना समय लगेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां । हिमाचल सरकारी परिवहन द्वारा संचालित बिलासपुर आउट एजेन्सी पहले रूपड़ स्टेशन से हो कर चालू की गई थी लेकिन बाद में सर्विस स्टेशन किरातपुर साहिब में रख दिया गया । क्योंकि राज्य सरकार ने यह निश्चय किया था कि उस की परिवहन गाड़ियां केवल किरातपुर साहिब तक ही चलेंगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्यों ही पंजाब सरकार से काम की लागत की मंजूरी प्राप्त हो जायगी और उस के अनुमान मंजूर हो जायेंगे, काम शुरू कर दिया जायगा ।

दिल्ली में टेलीफोन कनैक्शन

†२११९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में दिल्ली में कितने नये कनेक्शन दिये गये ;

(ख) कुल कितनी रकम खर्च की गई ; और

(ग) कनेक्शन्स के लिये अभी कितने आवेदन पत्र पड़े हुए हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) १३८६ ।

(ख) व्यक्तिगत टेलीफोन कनेक्शन्स देने पर कितना खर्च हुआ यह मालूम करना संभव नहीं है किन्तु ग्राहकों की जगह में टेलफोन लगाने पर लगभग २,०७,९०० रुपये खर्च हुए ।

(ग) २७,५०० ।

हिमाचल प्रदेश में मछलियों का नाश

†२१२०. **श्री शि० न० रामौल :**
श्री ज० बि० स० बिष्ट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में गिरे और अन्य नदियों में, जिन के निकट लोक निर्माण विभाग सड़कें बनाता है, डायनामाइट का विस्फोट कर उस विभाग ने एक बड़े पैमाने पर मछलियां नष्ट कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायगी ।

हिमाचल प्रदेश में मीन क्षेत्र

†२१२१. { **श्री शि० न० रामौल :**
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८, १९५८-५९ और १९५९-६० में हिमाचल प्रदेश में "मिरर-कार्प" नामक मछली के मत्स्य-पालन क्षेत्र (हैचरीज) पर कुल कितनी रकम खर्च की गई ;

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष में हिमाचल प्रदेश में कितनी छोटी-छोटी मछलियां वितरित की गयीं ; और

(ग) उस से कितनी आय हुई ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र वह सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अनाज की सप्लाई के लिये राज्यों को राज सहायता

†२१२२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८-५९, १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल, बम्बई और मद्रास राज्य को गेहूं और चावल सप्लाई करने के लिये कितनी राज सहायता दी ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले अनाज के सम्बन्ध में भारत सरकार राज्य सरकारों को ऐसी कोई राजसहायता नहीं दे रही है । केन्द्रीय रिजर्व से अनाज दिये जाने के लिये जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं उन में राजसहायता का अंश शामिल है ।

१९५८-५९ और १९५९-६० में पश्चिम बंगाल, बम्बई और मद्रास राज्यों को निर्धारित निर्गम मूल्यों पर चावल और गेहूं की सप्लाई में निहित राज सहायता की रकमें इस प्रकार हैं :—

(लाख रुपयों में आंकड़े)

	१९५८-५९	१९५९-६०
पश्चिम बंगाल . .	३१५	३३८
बम्बई . . .	१८९	२४४
मद्रास	१२	३५

१९६०-६१ के लिये आंकड़े वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद ही निकाले जा सकते हैं ।

उड़ीसा में बौद्धों के स्थानों के लिये सड़कें

†२१२३. **श्री बें० च० मल्लिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बौद्धों के स्थानों जैसे ललितनगर, रत्नगिर और उदयगिर के लिये सड़कें बनाने के लिये उड़ीसा राज्य सरकार को कोई धनराशि दी गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगित हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख). जी, हां। ललितगिर, रत्नगिर और उदयगिर जाने वाली सड़कें बनाने या उन में सुधार करने के खर्च का ५० प्रतिशत देने के लिये कुल ६,३७,३०० रुपये के सहायक अनुदान नवम्बर, १९५८ में मंजूर किये गये थे :—

कार्य का नाम	स्वीकृत अनुदान
	(लाख रुपये)
१. सलीपुर से कुअ्रांपाल तक सड़क का सुधार .	२,२२,९००
२. बसीचन्द्रपुर से ललितगिर तक सड़क का सुधार	५२,७५०
३. ललितगिर से गोपालपुर तक सड़क बनाना	८७,१५०
४. गोपालपुर से उदयगिर तक सड़क बनाना .	१,१९,०७०
५. बेनीपुर से रत्नगिर तक सड़क बनाना	१,५४,८००
	६ ३७,३००

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, १९५९-६० के अन्त तक इन निर्माण कार्यों का अनुमानित खर्च ९०,००० रुपये था ।

केन्द्रीय सड़क निधि

†२१२४. **श्री बै० च० मल्लिक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी योजना अवधि में राज्य की सड़क परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सड़क निधि (नियतन) से उड़ीसा राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का वचन दिया गया था ;

(ख) अब तक कितनी रकम दी जा चुकी है ;

(ग) कितनी सड़क परियोजनाओं के लिये सहायता का वचन दिया गया था ; और

(घ) सड़कें बनाने के सम्बन्ध में वास्तव में कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ग). दूसरी योजनायें उड़ीसा राज्य के केन्द्रीय सड़क निधि नियतन लेखे से ७३·६८ लाख रुपये की अनुमानित लागत के २५ निर्माण कार्यों के लिये मंजूरी दी गई थी ।

(ख) ९·२२ लाख रुपये की रकम अब तक दी जा चुकी है ।

(ग) राज्य लोक निर्माण विभाग निर्माण कार्यों को कार्यान्वित कर रहा है । उन की प्रगति के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारी

†२१२५. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

†मूल अंग्रेजी में

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में विभिन्न श्रेणियों में कितने वैज्ञानिक कर्मचारी अस्थायी रूप में नियुक्त हैं और वे कितनी अवधि से अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं ; और

(ख) अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों का क्या अनुपात है और उन्हें स्थायी बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा)** : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८८]** ।

कोटा-भोपाल रेलवे लाइन

†२१२६. **श्री ओंकार राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा से भोपाल तक एक नई रेलवे लाइन बनाने का भारत सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यह योजना संभवतः कब कार्यान्वित की जायगी ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उस के कारण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) यह प्रस्तावित लाइन तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल नहीं की गई है।

अनुसूचित जातियों को दिये गये चाय की दुकानों के ठेके

†२१२७. { **श्री प० ला० बारूपाल** :
श्री बाल्मीकी :
श्री नारायण दीन : }

क्या **रलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, १९५९ से ३० अगस्त, १९६० तक की अवधि में रेलवे स्टेशनों पर चाय, पानी, दूध, लस्सी आदि की दुकानें खोलने के लिये अनुसूचित जाति के लोगों से कितने प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए ;

(ख) अनुसूचित जाति के कितने परिवारों को ये ठेके दिये गये और ये ठेके उक्त कालावधि में किन-किन रेलवे स्टेशनों पर दिये गये ; और

(ग) कितने प्रार्थनापत्र अब भी विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पालम रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना

†२१२८. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १६ अगस्त, १९६० को करीब १०·१० बजे दिन में बिजवासन और पालम रेलवे स्टेशनों के बीच एक मां और उसका बेटा दिल्ली एक्सप्रैस के नीचे आ जाने के कारण मारे गये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) और (ख). १६ अगस्त,१९६० को लगभग ९.४५ बजे, ४ साल के बच्चे के साथ एक औरत उत्तर रेलवे के दिल्ली-रेवाड़ी सेक्शन में शाहबाद मुहम्मदपुर में गाड़ी रुकने की जगह के पास २०३ अप दिल्ली-अहमदाबाद एक्स्प्रेस के नीचे आ गयी और मारी गयी ।

बिल्होर और उत्तरीपुरा के बीच हाल्ट स्टेशन

†२१२९. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौर सलूर के निवासियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के बिल्हौर तथा उत्तरीपुर रेलवे स्टेशनों के बीच धौर सलूर के स्थान पर एक हाल्ट स्टेशन स्थापित करने के लिये कोई ज्ञापन भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह ज्ञापन कब दिया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

रलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी, हां ।

(ख) मई, १९५८ में एक ज्ञापन मिला था । उसी साल नवम्बर में उसका उत्तर दे दिया गया था जिसमें रेल प्रशासन के इस फैसले की सूचना दी गयी थी कि हाल्ट स्टेशन खोलने के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है ।

रेलवे क्वार्टरों का बारी से बाहर नियतन

†२१३०. **श्री रामजी वर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में रेलवे क्वार्टरों के बारी से बाहर नियत किये जाने की क्या शर्तें हैं, उसके लिए कितना कोटा दिया गया है और कौन सा अधिकारी नियत करने के लिए सक्षम है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** दिल्ली क्षेत्र में रेलवे क्वार्टरों का आउट आफ टर्न एलाटमेंट दया के कारण या सेवा के हित में किये जाते हैं । इसके लिए २ प्रतिशत कोटा है उत्तर रेलवे का सीनियर डिप्टी जनरल मैनेजर ही नियंत्रक पदाधिकारी है ।

मेसर्स पी० सी० राय एंड कम्पनी

†२१३१. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि उत्तर अन्दमान में मेसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी के साथ किये गये करार के खण्ड ७ के अनुसार उस फर्म द्वारा १९५६–५७ के बाद कम से कम ७५,००० टन लकड़ी पर रायल्टी दी जायगी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि न्यूनतम रायल्टी ७५,००० टन से कहीं कम के आधार पर आंकी गयी है और ली गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) से (ग). करार के खण्ड ७ के अनुसार, कम से कम ७५,००० टन लकड़ी पर रायल्टी १९५७–५८ से ली जानी थी किन्तु जैसा कि १५-२-१९६० को लोक-सभा की टेबल पर रखे गये अन्दमान वन विभाग संबंधी टिप्पण के पैरा

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१.५ और ६ में बताया गया है, यह ज्ञात हुआ है कि उत्तर अन्दमान में बिक्री योग्य जितनी किस्मों की लकड़ी मिलती है उनसे इस बात के लिए कोई औचित्य नहीं है कि प्रत्याभूत न्यूनतम मात्रा इतनी ऊंची संख्या हो और उस क्षेत्र के लिए नवीनतम कार्यवाही योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे कम करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

चूंकि प्रत्याभूत न्यूनतम संख्या कम करने के प्रश्न पर अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है, उस फर्म से रायल्टी वास्तव में निर्यात की गयी लकड़ी और उसकी लापरवाही से खोयी तथा १९५१-५६ से जो कमी हुई उस पर भी ली जा रही है।

सभा-पटल पर रखा गया पत्र

विध आयोग का प्रतिवेदन

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं भारतीय आयकर अधिनियम १९५२ के बारे में विधि आयोग के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। (पुस्तकालय में रखी गई। [देखिये एल० टी० संख्या २३५३/६०]।

राज्य-सभा से सन्देश

†**सचिव** : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से एक संदेश प्राप्त हुआ है जिसके साथ उन्होंने राज्य-सभा द्वारा ३० अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में पारित किय गये भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६० की एक प्रति संलग्न की है।

भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६० को, राज्य-सभा द्वारा पारित किये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा २९ अगस्त, १९६० को लोक सभा में दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयकों को सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण तथा चिन्ह लगाना) संशोधन विधेयक, १९६०।

(२) प्रैस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९६०।

(३) निष्क्रांत हित (प्रथक्करण) संशोधन विधेयक, १९६०।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

नागा विद्रोहियों द्वारा विमानों पर हमला

†**श्री आसर** (रत्नागिरी) : नियम १९७ के अधीन मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर आकर्षित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

> "अगस्त १९६० के अन्तिम सप्ताह में नागा विद्रोहियों द्वारा एक विमान को गोली से मार गिराने, दूसरे को क्षति पहुंचाने और एक चौकी पर हमला करने की कथित घटनायें ।"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : कोहिमा जिले के एक सुदूर कोने में नागा विद्रोहियों द्वारा स्थानीय रूप से फिर कुछ गड़बड़ की गई थी ।

हमारी "पर" नामक चौकी पर जहां कि आसाम राइफल के सिपाही तैनात थे २५ अगस्त को गोली बारी की गई, जिसमें रक्षक सेना के कुछ व्यक्ति घायल हो गये और फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई । इस चौकी ने जहां हवाई जहाजों से चीजें पहुंचाई जाती थीं आवश्यक प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही की । अगले दिन तक इस घटना ने अधिक गम्भीर रूप धारण नहीं किया था ।

२६ अगस्त को लगभग ५०० विद्रोही राइफलें तथा लाइट मशीनगनें लेकर सवेरे ढाई से ३-५० बजे तक के बीच वहां चौकी के आस पास चारों ओर से घिर आये । उनके भारी आक्रमण के बावजूद भी चोकी बच गई लेकिन वहां पानी तथा गोला बारूद की कमी हो गई ।

वायुसेना के दो भारतीय मालवाहक विमानों को उस चौकी पर आवश्यक वस्तुओं को गिराने का काम सौंपा गया । उनमें से एक विमान को उस चौकी पर पानी पहुंचाने में तो सफलता मिल गई लेकिन आवश्यक खाद्य सामग्री तथा गोला बारूद की पूर्ति करने में किसी को सफलता नहीं मिली । नागा विद्रोही वायुसेना के संभरण विमानों के विरुद्ध राइफलों तथा लाइट मशीनगनों का बराबर प्रयोग करते रहे ; ये विमान अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये नीची उड़ान ले रहे थे । पहले विमान पर एक से अधिक बार गोलियां लगीं लेकिन वह अपने केन्द्र स्थान पर वापस लौट आया । दूसरे वायुयान पर भी गोली लगी अतः वह जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था उस पर स्थिर न रह सका और मजबूर होकर उसे मेलुरी नामक चौकी के पास नीचे उतरना पड़ा । चौकी की देखभाल भी आसाम राइफल द्वारा की जाती हैं । यह विमान ग़लती से उस नदी के दूसरी ओर मजबूर होकर उतरा जो 'पर' की चौकी को मेलुरी से अलग करती है ।

२६ अगस्त को दोपहर बाद सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्री को पहली बार इन घटनाओं की सूचना मिली और यह बताया गया कि भारतीय वायुसेना के वायुयान पर आक्रमण किया गया था और उनमें से एक को मजबूर होकर कहीं उतरना पड़ा । मैं उस दिन लद्दाख में था और अगले दिन प्रातः वापस आने वाला था । मैंने उसी दिन शाम को दिल्ली वापस आने का निश्चय कर लिया ताकि सेना के अध्यक्षों से तथा मंत्रालय के पदाधिकारियों से बातचीत कर सकूं कि इस मामले

---

†मूल अंग्रेजी में

चौकी की इस घटना ने बड़ा विकट रूप धारण कर लिया । सभा को मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि यह चौकी भारत बर्मा की सीमा पर ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कि नागा विद्रोही बहुत ही क्रियाशील हैं । 'पर' के गैरीसन को हालांकि वह बराबर मुकाबला कर रहा था, इस बात का भय था कि कहीं उसे खत्म न कर दिया जाये क्योंकि उसकी आवश्यक वस्तुओं का संभरण कम पड़ रहा था ।

उस रक्षक सेना (गैरीज़न) की हर तरह से सहायता पहुंचानी थी । हालांकि दो विमानों को मारकर गिरा दिया गया था और आयन्दा भी प्रयत्न कम ऊंचाई और कम गति पर विमान भेजकर ही जाना था लेकिन यह काम तो करना ही था । अतः २७ अगस्त को पूर्वी एयर कमान के एयर आफीसर कमांडिंग इन-चीफ़, एयर वाइस मार्शल सौंधी ने तुरन्त ही और वस्तुओ के भेजने का आदेश दिया, और भारतीय वायुसेना की शानदार परम्पराओं के अनुसार वह स्वयं उस विमान में गये और गोलाबारूद तथा दवाइयां वहां उस चौकी पर डालने में सफलता प्राप्त की । इस विमान पर भी नागा विद्रोहियों ने गोलियां चलाईं लेकिन यह अपने केन्द्र स्थान पर सुरक्षित रूप् से लौट आया । दुर्भाग्य से मौसम भी हमारे प्रतिकूल और नागाओं के अनुकूल था ।

इसी बीच सेना द्वारा मेलुरी चौकी से सहायता दल और सैनिक टुकड़ियां वहां भेजने के लिये कार्यवाही की गई । मैं पहले बता चुका हूं कि मेलुरी और 'पर' के बीच एक नदी पड़ती है । जैसे ही मुख्यालय को सूचना प्राप्त हुई वैसे ही सहायता सेना चल पड़ी लेकिन नदी में बाढ़ होने के कारण उस नदी को पार नहीं कर सकी । नदी के पुल को भी नागा विद्रोहियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और हमारी सैनिक टुकड़ियों पर जो कि चौकी पर तैनात थी तथा इस सहायता सेना पर छोटे छोटे हथियारों से गोली चलाई गई ।

नदी के उस किनारे पर नागा विद्रोहियों का आधिपत्य था; अतः नदी पार करने वाली सैनिक टुकड़ी पर भारी गोली चलाई गई । चौकी की स्थिति बहुत खराब हो चली थी लेकिन फिर भी इसने डट कर मुकाबला किया ।

२७ अगस्त, को वायुसेना के लड़ाक विमानों ने उस स्थान का फोटो लिया और उन्होंने उस विमान का पता लगा लिया जिसे मजबूर होकर उतरना पड़ा था ।

इस सहायता सैनिक दस्ते तथा मेलुरी की सैनिक टुकड़ी ने नदी को पार करने के लिये कई बार प्रयत्न किया लेकिन नदी की बाढ़ तथा दूसरी ओर से नागा विद्रोहियों की भारी गोलाबारी के कारण ये सैनिक टुकड़ियां नदी पार नहीं कर सकीं लेकिन सहायता टुकड़ी ने २७ अगस्त के लगभग ६ बजे शाम को आगे उत्तर दिशा में नदी को पार कर लिया । २७ २८ की सारी रात नागा विद्रोही उस चौकी पर गोलाबारी करते रहे; फलस्वरूप २ सैनिक घायल हो गये ।

२८ अगस्त को इस बात का पता चला कि चौकी का गोला बारूद बहुत तेज़ी से समाप्त हो रहा है और उस पर लगातार गोलाबारी की जा रही है और जब तक कि वहां गोला बारूद आदि नहीं पहुंचाया जायेगा उसको बचाना असम्भव है । हालांकि एक असुरिक्षत परिवहन विमान द्वारा एक उड़ान में कुछ गोला बारूद और दवाइयां भेजी गई थीं लेकिन यह निश्चित हो चुका था कि उचित मात्रा में सामान भेजना, पूरी तरह नष्ट हो जाने का खतरा उठाये बिना सम्भव नहीं है जब तक कि उनके साथ लड़ाकू जहाज भी बचाव के लिये न भेजे जायें । इसलिये इन विमानों के साथ सुरक्षा के लिये लड़ाकू विमान भेजने की व्यवस्था करनी भी आवश्यक थी । अतः २८ अगस्त को लड़ाकू विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के कुछ वायुयान आवश्यक सामान गिराने के लिये भेजे गये, परिणामस्वरूप

[श्री आसर]

नागा विद्रोहियों को गोली चलाना बन्द करना पड़ा और सामान गिराने का काम पूरा हो गया । इसके परिणामस्वरूप नागा विद्रोही अपने स्थान से ८०० से ९०० गज पीछे हट गये । इसी प्रकार की एक सुयोजित कार्यवाही ३१ अगस्त को फिर एक बार की गई । 'पर' चौकी पर अब काफी मात्रा में गोला बारूद, पानी, दवाइयां तथा खाने का सामान है ।

इसी दौरान में ३० अगस्त तक इंजीनियरों ने एक पैदल-पुल उस नदी पर तैयार कर लिया । सहायता सेना नागा विद्रोहियों के घोर विरोध के होते हुए भी ३१ अगस्त को दोपहर बाद 'पर' चौकी पर पहुंचने में सफल हो गई । क्षतिग्रस्त विमान तक सैनिक टुकड़ी ३ सितम्बर को दोपहर बाद ही पहुंच पाई। इसी बीच मेलुरी चौकी के सैनिकों द्वारा नदी को पार करने के लिये लगातार प्रयत्न जारी रहा, लेकिन मुझे यह बताने में खेद है कि ऐसा करने से हमारे दो सैनिकों की मृत्यु नदी में डूब जाने से हो गई । क्षतिग्रस्त विमान को ढूंढ़ने के लिये जो टुकड़ी ३ सितम्बर को वहां पहुंची उसे वहां वायुयान के आसपास कुछ भी नहीं मिला ।

यह दुख की बात है कि उस वायुयान के व्यक्तियों का, जो कि मजबूरन उतरा था, अभी तक कोई पता नहीं चला है । हमारे सैनिकों ने उस विमान का तो पता लगा लिया है लेकिन उस पर ऐसे कोई निशान नहीं हैं जिससे पता लगे कि मजबूरन उतरने के पश्चात् उस विमान को नागा विद्रोहियों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया हो । व्यक्तियों की खोज के लिये भरसक प्रयत्न जारी है और जारी रखा जायेगा । अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है अथवा वे जीवित हैं । फिर भी उनके सुरक्षित होने सम्बन्धी अनिश्चितता के कारण हमें काफी चिन्ता है ।

सभा को मैं यह बताना चाहूंगा कि नागा पहाड़ियों के कुछ भागों में विद्रोह की घटनाएं फिर से शुरू हो गई हैं । हो सकता है कि यह उपद्रव थोड़े से नागाओं के असन्तोष के कारण हों जो भय उत्पन्न करके संवैधानिक विकास में रुकावट डालना चाहते हों । सरकार स्थिति के प्रति अच्छी तरह से जागरुक है और गांवों के विशाल बहुसंख्यक नागाओं की सुरक्षा के लिये सभी दृढ़ आवश्यक कार्यवाही की जायेंगी ।

मुझे विश्वास है कि सभा भी उस विमान के कर्मचारियों के जीवन के बारे में चिंतित होगी, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है । और इन उपद्रवों में काम आये लोगों के परिवारों के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करेगी । वे चौकियां तब तक बनी रहेंगी जब तक कि वहां विधि और व्यवस्था की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती । और असैनिक पदाधिकारियों द्वारा जो भी सहायता मांगी जायेगी वह उन्हें दी जायेगी । नागालैण्ड के समझौते के परिणामस्वरूप पुनर्निर्माण तथा वैधानिक विकास के कार्य में प्रगति की जाती रहेगी । सरकार उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी जो संवैधानिक प्राधिकार को हिंसा और अपराधों के आधार पर उलटना चाहते हैं ।

औषधि (संशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री करमरकर द्वारा ३० अगस्त, १९६० को प्रस्तुत इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि औषधि अधिनियम, १९४० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कोडियान अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

†**श्री कोडियान** (क्विलोन–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं भेषजीय जांच समिति की सिफारिशों का उल्लेख कर रहा था । उस समिति ने सिफारिश की है कि औषधियों के सम्बन्ध में एक विकास परिषद् का निर्माण किया जाय परन्तु सरकार समिति की सिफारिशों को बहुत ही मंथर गति से कार्यान्वित कर रही है । औषधियों के सुधार के लिये ऐसी परिषद् का होना नितान्त आवश्यक है ।

इसी तरह से समिति ने अधिनियम को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने के लिये जो सुझाव दिये थे उन पर भी सरकार ने विचार नहीं किया है । सरकार को न केवल यह देखना चाहिये कि कृत्रिम औषधियां ही समाप्त हों बल्कि ऐसा उपाय भी करना चाहिये जिससे देश में तैयार की गयी औषधियां भी उचित दामों पर उपलब्ध हो सकें । सब औषधि निर्माताओं को लागत का सही ब्यौरा रखना चाहिये । इससे सरकार भी सुविधापूर्वक औषधियों के मूल्य निर्धारित कर सकेगी । आज बहुत से लोग अच्छी औषधियां केवल इस कारण से नहीं खरीद सकते कि वह महंगी मिलती हैं । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार निर्माताओं को लागत के आंकड़े रखने के लिये कहे और निरीक्षक उसकी जांच करें ।

†**श्री नंजप्पा** (नीलगिरि) : औषधि सम्बन्धी कानून का इतिहास बताते हुए माननीय मंत्री ने कहा था कि जब विश्व युद्ध के समय औषधियों का अभाव हुआ तो भारत में अनेक कृत्रिम औषधियां बिकने लगीं । इस पर तत्कालीन सरकार ने १९३० में एक समिति बनाई और इस मामले की जांच की । तदनंतर १९४० में औषधि कानून बनाया गया । परन्तु इससे भी कृत्रिम औषधियों पर कोई उचित रोक न लगी । इस कारण १९५३ में सरकार ने भाटिया समिति को नियुक्त किया । इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप वर्तमान कानून बनाया गया । किन्तु इस कानून को भी सफलता नहीं मिली ।

इन संशोधनों के द्वारा केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती है जिनके बल पर वह राज्य सरकारों को हिदायत दे सके और अपने निरीक्षक तथा विश्लेषक नियुक्त कर सके ।

किन्तु सरकार इस कानून से केवल एलोपेथी की दवाओं का प्रमापीकरण ही करना चाहती है । मेरा मत इस बारे में यह है कि एलोपेथी के प्रमापीकरण से ही कृत्रिम औषधियों की समस्या हल न होगी। आज देश में अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियां भी बिक रही हैं । जब तक ऐसा ही कानून उन पर भी लागू नहीं किया जाता तब तक इसका लाभ पूर्ण न होगा । आज देश के आयुर्वेदिक तथा यूनानी वैद्य एवं हकीम सभी यह कह रहे हैं कि सरकार को इन प्रणालियों को भी एलोपेथी के बराबर मान्यता प्रदान करनी चाहिये । यदि सरकार इन्हें एक अच्छे स्तर पर लाना चाहती है तो उसे चाहिये कि वह इन प्रणालियों के प्रमाणित भेषज शास्त्रों का निर्माण कराये तथा अच्छे लोगों के हाथों में इनको दे । इन दोनों प्रणालियों का वृहत् औषधि शास्त्र भी तैयार होना चाहिये । आज छोटी छोटी दुकानों में भी सल्फा औषधियां प्राप्त हो जाती हैं । वही लोग मादक चीजों का भी विक्रय करते हैं । अतः सरकार को इनकी रोक थाम के उपाय करने चाहियें ।

मैंने विधेयक की धारा २३ की उपधारा (६) में संशोधन रखा है । उससे यह प्रभाव होगा कि निरीक्षक अन्य वस्तुओं के साथ साथ औषधि को भी छीन सकेगा । यदि निरीक्षक को इतना अधिकार भी न दिया गया तो विधेयक का ज्यादा प्रभाव न रह पायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नंजप्पा]

इसी प्रकार खण्ड ७ में भी मैंने एक संशोधन रखा है जिसका आशय है कि सरकार निर्माताओं के विज्ञापन सम्बन्धी व्यय पर भी नियन्त्रण रखे क्योंकि वस्तुतः विज्ञापन के व्यय से ही चीजों का मूल्य अधिक बढ़ता है । यदि माननीय मन्त्री यह कह दें कि इनकी व्यवस्था अमुक कारणों से नहीं की गयी तो मैं अपने संशोधन वापस ले लूंगा ।

†**श्रीमति इला पाल चौधरी** (नवद्वीप) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं क्योंकि इससे सरकार कृत्रिम औषधियों की रोकथाम के लिये कार्यवाही कर सकेगी ।

एलोपैथी के आविर्भाव से पूर्व हमारे देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों का निर्माण होता था । किन्तु स्वतन्त्रता आन्दोलन के साथ ही देश के कुछ महापुरुषों ने देश ही में एलोपेथी की दवाइयों का निर्माण आरम्भ किया । कुछ समय तक यह उद्योग जनता की अभूतपूर्व सेवा करता रहा किन्तु बाद में यह भी रुपया बनाने का साधनमात्र रह गया । यह बड़े दुख की बात है ।

विधेयक के खण्ड ४ द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य सरकार योग्य व्यक्तियों को विश्लेषक नियुक्त कर सकती है और वे लोग औषधियों का विश्लेषण कर सकते हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि जो औषधियां अस्पतालों में प्रयोग की जाती हैं उनकी प्रतिक्रिया का अध्ययन करके, सरकार को उन कम्पनियों को सारी बात से अवगत कर देना चाहिए जो अस्पतालों में दवाएं भेजती हैं । इससे औषधियों का निर्माण प्रमाणित ढंग पर हो पायेगा ।

धारा ३१ को भी तनिक स्पष्ट करने की जरूरत है । वस्तुतः कृत्रिम औषधियों का व्यापार बड़ी तेजी से ज्यों का त्यों चल रहा है । लोग दवाओं की बोतलें खरीद कर उनमें कृत्रिम दवा भर देते हैं और भोले लोगों को अपनी बेइमानी का शिकार बना लेते हैं । गांव गांव घूम कर वह स्त्रियों को कहते हैं कि इस औषधि के सेवन से उनके बाल लम्बे हो जायेंगे आदि, आदि । इस प्रकार से वे लोगों को उलटा रोगी कर डालते हैं । अतः सरकार को इन चीजों का अनुसंधान करके अपराधियों को दंड देना चाहिए ।

आप निरीक्षकों को नियुक्त करके ही कृत्रिम औषधियों के निर्माण तथा विक्रय को नहीं रोक सकते बल्कि आप को तो तभी सफलता मिल सकती है जब कि आप कृत्रिम औषधियों के विक्रय करने वाले समूहों को गिरफ्तार करें और उन्हें दंड दिलवाएं ।

जहां तक भारतीय चिकित्सा प्रणालियों का सम्बन्ध है उनके बारे में एक प्रमाणित फारमाकोपिया बनना चाहिए । हमारे देशवासी अपनी ही जड़ी बूटियों से शीघ्र अच्छे होते हैं । इसके पश्चात् मैं यह भी कहूंगी कि यह प्रबन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ही रहना चाहिए ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : इस विधेयक के लिए मैं माननीय मंत्री को बधाई देती हूं । हालांकि अब तक इस सम्बन्ध में इतने कानून बनाये जा चुके हैं परन्तु अभी तक भी कृत्रिम औषधियों का बाजार ठंडा नहीं पड़ा । आजकल औषधियों का अपमिश्रण भी काफी हो रहा है । वस्तुतः यह विषय राज्यों का है और उन में से कुछ इस विषय के बारे में सतर्क हैं और कुछ नहीं हैं ।

हम इस विधेयक की सभी धाराओं का स्वागत करते हैं । यह अच्छी बात है कि जहां केन्द्र अपने हाथ में कुछ अधिकार ले रहा है वहां यह भी व्यवस्था की जा रही है कि कृत्रिम औषधियां बेचने वालों को दंड भी दिया जाय । वस्तुतः कृत्रिम औषधि निर्माता खूनी के बराबर के अपराधी

---

†मूल अंग्रेजी में

होते हैं। यदि किसी का बच्चा बीमार पड़ जाय और एक दवाई से उसे आराम आ सकता हो तो कितनी अच्छी बात है परन्तु यदि वह बेचारा कृत्रिम दवाई ले आये और उसके सेवन से बच्चे का देहान्त हो जाय तो निश्चय ही उस हत्या का उत्तरदायित्व कृत्रिम दवा बनाने वालों का है। अतः ऐसे लोगों को दंड दिया जाना चाहिए। यह भी अच्छी व्यवस्था है कि निरीक्षक औषधियों को जब्त कर सकते हैं। परन्तु इसमें सरकार को एक सावधानी बरतनी चाहिए। निरीक्षकों का वेतन अच्छा होना चाहिए और वे योग्य होने चाहिएं।

जहां तक औषधि निर्माण करने वाली संस्थाओं को अनुज्ञप्तियां देने का सम्बन्ध है उसके बारे में, मैं यह प्रार्थना करना चाहती हूं कि दवाओं के निर्माण में स्तर तथा सुरक्षा का ध्यान पहले रखा जाना चाहिए। अतः जिस समय वाणिज्य मंत्रालय किसी संस्था को अनुज्ञप्ति दे उस समय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह भी ली जानी चाहिए। इस तरह पर कम स्तर की औषधियों का निर्माण बन्द हो जायगा। राज्य सरकारें भी ऐसे लाइसेंस देती हैं। इस कारण सरकार को चाहिए कि उस मामले में भी उन्हें उचित हिदायतें दे।

आज औषधियों के विज्ञापन भी आपत्तिजनक ढंग पर निकाले जाते हैं। इन्हें रोकना चाहिए। इसी तरह से आज भारत में एक ही गुण वाली अनेक औषधियां बन रही हैं। इससे द्विविधा उत्पन्न होती है और जनता बेकार परेशान हो जाती है। इस दिशा में भी प्रमापीकरण करना श्रेयस्कर है।

इसी तरह हम अनेक ऐसी औषधियों का आयात कर रहे हैं जिनके नाम अलग हैं किन्तु गुण एक जैसे हैं। इस कारण इस चीज की भी रोकथाम की जाय।

कुछ लोगों ने कहा है कि इस विधेयक को आयुर्वेदिक प्रणाली पर भी लागू किया जाय। परन्तु मैं समझती हूं कि वे लोग इसे पसन्द न करेंगे; अभी तो वैद्य लोग अपने काम के लिए खुद दवा तैयार कर लेते हैं फिर उन्हें कठिनाई हो जायगी। उस के प्रमापीकरण के अलग से कार्यवाही करनी चाहिए।

[श्री जगन्नाथ राव पीठासीन हुये]

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : सब से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि औषधि निर्माण उद्योग को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की परिधि से निकाल कर स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत कर देना चाहिए क्योंकि यह उद्योग अन्य सामान्य उद्योगों से भिन्न प्रकार का है।

वस्तुतः भारत में औषधियों की जो नकल की जाती है उसके भी कारण हैं। हमारे यहां हालात ही खराब हैं। हमें औषधि के तत्वों के लिए विदेशों पर निर्भर करना पड़ता है। यदि हम आवश्यक तत्वों का निर्माण इसी देश में कर पायें तो निस्संदेह हमारे यहां भी औषधियां काफी सस्ती तैयार होने लगें।

इस समय भी सरकार विदेशी संस्थाओं से मिलकर कतिपय अनिवार्य औषधियों का निर्माण कराने की व्यवस्था कर रही है। इस रिपोर्ट में आया है कि इस तरह की साझेदारी से हमारे देश का रहा सहा सामर्थ्य भी जाता रहता है। इस तरह से राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो सकती। जब तक हम अपने आप प्रयास नहीं कर सकते तब तक हमें सफलता शायद प्राप्त न होगी। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि यदि वह विदेशों से साझेदारी किये बिना काम ही नहीं चला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वारियर]

सकती तो उसे इस प्रकार की शर्तों पर साझेदारी करनी चाहिए जिससे हमारी स्वतंत्रता को कोई चोट न पहुंचे ।

इसी पक्ष का दूसरा पहलू यह भी है कि हमारा अपना भेषज शास्त्र एलोपैथिक भेषज शास्त्र से कहीं अधिक व्यापक है । किसी ने मुझे बताया कि सामान्यतया श्मशानभूमि के निकट उगने वाले एक प्रकार के पुष्प प्रमेह रोग के लिए बड़े लाभदायक होते हैं । परन्तु हमारी सरकार ने अभी तक इस विषय में कोई गवेषणा नहीं की । इसी तरह से हमें सर्पगंधा के गुणों का भी कोई पता नहीं था । मलाबार के पहाड़ों से विदेशी सारी बूटी ले गये । हिमालय पर भी अनेक अद्भुत औषधियां उत्पन्न होती हैं । अतः जब तक हम लोग इन चीजों की पूरी खोज नहीं कर पाते तब तक कृत्रिम औषधियों की रोकथाम भी कठिन ही दिखाई पड़ती है ।

जहां तक विटामिनों तथा हारमोनों के निर्माण का सम्बन्ध है, हमें यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि वे ऐसे स्थानों पर बनाये जाते हैं जहां उनका कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता । इस तरह से उद्योग का समुचित विकास नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में भी सरकार को उचित कार्यवाही करनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि उन कारखानों में जहां औषधियों का निर्माण होता है वहां पर कारखानों के सामान्य नियमों का पालन नहीं किया जाता । वहां स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जाता । इस तरह से कारखानों में तैयार होने वाली दवाओं में गंदगी रहती है और उसका प्रभाव घातक हो जाता है । हमें पता ही है कि हमारी सभा के एक माननीय सदस्य इन्जेक्शन लेते ही चल बसे थे । अतः सरकार को सामूहिक रूप से विचार करके ऐसे उपाय निकालने चाहिएं जिनके सहारे औषधियों का निर्माण स्वच्छता से हो और कोई खराबी न रहने पाये । इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को अधिकार प्राप्त होने चाहिएं ।

दंड आदि के भय से शायद यह समस्या न सुलझे । इस के सुलझाने का एक ही रास्ता है और वह यह कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस दिशा में अधिक प्रयास करे और अधिक अधिकार प्राप्त करे ।

श्री रामजी वर्मा (देवरिया) : सभापति महोदय, इस बिल को जिस उद्देश्य को सामने रखते हुए माननीय मंत्री जी ने पेश किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। किन्तु जिस गति से यह बिल हाउस में आ रहा है और जिस प्रकार से इस मुल्क के लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जा रहा है, वह ज़रा विचारणीय है । सन् १९३० में चोपड़ा कमेटी बनी थी और उसके दस बरस बाद यानी सन् १९४० में, इस हाउस का जो भी रूप रहा हो, एक कानून बना जिसको १९४० का ड्रग कानून कहा जाता है । आज़ाद होने के बाद सन् १९५३ में मेजर जनरल भाटिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और फार्मास्यूटिकल इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई । एक बरस उससे पहले इसी हाउस की एस्टीमेट्स कमेटी ने भी एक रिपोर्ट पेश की थी और उसके बाद अब १९६० में यह बिल इस रूप में हमारे सामने पेश किया गया है ।

भारतीय जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, भारतीय जनता की तन्दरुस्ती की दृष्टि से इस तरह के बिल की बहुत आवश्यकता थी । व्यापारिक धंधे जो हैं उनसे उतनी हानि नहीं होती है जितनी कि एडल्ट्रेशन से, मिलावट से या दूसरे तरीकों से दवाइयों को खराब करके देने से होती है । आप जानते ही हैं कि सभी व्यापार, सभी उद्योगधंधा नफे की दृष्टि से होता है और यही दृष्टिकोण

दवाइयों में जो लोग डील करते हैं, उन में भी आ गया है । उनके अन्दर भी यह भावना आ गई है कि किसी न किसी तरह से रुपया अर्जित किया जाये । लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना खतरनाक है और जैसा कि मुझ से पूर्व बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि स्ट्रेप्टोमाइसीन की जगह पर शीशियों में स्टार्च भरा हुआ है, मार्फिया का कहने को तो इंजेकशन दिया गया लेकिन उसमें एक्चुअली मार्फिया नहीं था । इस तरह की घटनाओं की रोकथाम करना बहुत जरूरी है । ये सब काम नफे की दृष्टि से किये जाते हैं । मैं समझता हूं कि इस पवित्र धंधे के लिये, देशभक्ति और अधिक पवित्र धंधा समझ करके नहीं बल्कि मानव-भक्ति की भावना से प्रेरित हुआ धंधा समझ कर, इस बिल को कोई और रूप दे दिया गया होता तो शायद ज्यादा अच्छा रहता ।

तीन बातें कही गई हैं । यह कहा गया है कि इम्पोर्ट, मैनुफैक्चर और सेल को कंट्रोल करने के लिए बिल बनाया जा रहा है । इम्पोर्टिड ड्रग्ज़ आपके यहां पर शुद्ध रूप में आती हैं । लेकिन नफा की दृष्टि से, गंदी से गंदी दवायें जो सड़कें पर तथा दूसरी जगहों पर बेची जाती हैं, उनके बारे में क्या कहा जाये । जो लोग इनको बेचते हैं वे या तो अपनी आजीविका चलाने के लिए ऐसा करते हैं या फिर सरकार द्वारा उस तरफ ध्यान न दिये जाने के कारण वे ऐसा कर रहे हैं । सरकार को चाहिये कि इन लोगों की गतिविधियो पर किसी न किसी तरह से रोक लगाये, इनको भी कंट्रोल करे । किन्तु इस बिल में ऐसा नहीं किया गया है । इस बिल में जो खास चीज की गई है वह यह है कि इंस्पैक्टरों और एणलिस्टों की संख्या बढ़ा दी गई है । अब तक स्टेट लेवेल पर इंस्पैक्टर और एणलिस्ट हुआ करते थे, अब सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्पैक्टर और एणलिस्ट होंगे । ऐनालिस्ट्स जिन दवाओं को पकड़ेंगे या मैनुफैक्चरर्स जिन दवाओं को लाइसेंस लेने के लिये आपके पास भेजेंगे, क्या आपकी मशीनरी इतनी संगठित और इतनी बड़ी होगी कि वह उनके बारे में अपनी रिपोर्ट टाइम से पहुंचा सकें ? मैं समझता हूं कि बजट में जितना रुपया रक्खा गया है उसके अन्तर्गत आप इंसपेक्टर्स और ऐनालिस्ट्स की जितनी संख्या बढ़ायेंगे वह शायद एक या दो महीने ही बीत जाने के बाद नहीं, दो वर्ष बीत जाने के बाद भी अपनी रिपोर्ट न पहुंचा सकें । यदि इन्सपेक्टर की रिपोर्ट किसी का चालान करने के लिये है तो वह कम्पनी एक वर्ष या दो वर्ष तक रुकी रहेगी और इस तरह इस काम में कोई एफिशियेंसी नहीं आयेगी । जो दवायें मिलती भी थीं उनका मिलना बन्द हो जायेगा और हमारा काम भी रुकेगा ।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आप इस काम को अपने हाथ में ले रहे हैं तो इसको कुछ और अधिक स्पष्ट करने की जरूरत है कि स्टेट लेवेल के जो इंसपेक्टरर्स और ऐनालिस्ट्स होंगे उनका क्या कार्य होगा और जो केन्द्रीय लेवेल के इन्सेपेक्टर्स और और ऐनालिस्ट्स होंगे उसनका क्या कार्य होगा । लोगों के लिये और आवश्यक सामग्री पहुंचने की जगह पर दवायें तुरन्त पहुंच सकें, इसमें कोई रुकावट न हो, इस कानून से जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके कार्य में बाधा न पड़े, शिथिलता न आये और अधिक स्वरित गति से इस काम का सम्पादन हो, इसके लिये आपको जितने इन्सपेक्टर्स और ऐनालिस्ट्स बनाने पड़ें उनके काम का बटवारा भी ठीक से हो । उनके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिये वर्ना यह होगा कि हमारा काम उचित ढंग से नहीं हो सकेगा । इस मुल्क में बहुत से इन्सपेक्टर्स हैं,पुलिस इन्सपेक्टर्स,सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर,फैक्टरी इन्सपेक्टर, फिर स्टेट इन्सपेक्टरर्स, यूनियन इन्सपेक्टरर्स, इन इन्सपेक्टरों की संख्या बढ़ा कर कहीं हम उनके ही तरह से इन से भी काम न लें । मैं विषयान्तर नहीं करना चाहता लेकिन बहुत से इन्सपेक्टरों की बदौलत इस मुल्क में घूस और करप्शन ज्यादा बढ़ा है । कहीं प्राकृतिक बीमारियों की औषधि बनाने के स्थान पर उसमें करप्शन की बीमारी भी नये सिरे से न घुस जाये । इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस ऐक्ट को जो स्कोप आप बढ़ा रहे हैं, उसमें इसका विचार जरूर करें ।

[श्री रामजी वर्मा]

एक चीज और है, कुछ भाइयों का इस पर भी ऐतराज होता है कि यह जो सब्जैक्ट है वह कांकरेंट सब्जैक्ट्स में है और इस तरह स्टेट गवर्नमेंट का जो अधिकार क्षेत्र है उस पर क्या केन्द्रीय सरकार एंक्रोचमेंट नहीं कर रही है ? लेकिन चूंकि यह कांकरेंट लिस्ट में है तो एक तरह का स्टैंडर्ड हो, एक तरह का ऐडमिनिस्ट्रेशन हो, इस दृष्टि से जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऐक्ट हो और उसके अन्तर्गत इसके लिये स्कोप हो कि हर स्टेट अधिक से अधिक अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सके। हम को यूनिफार्मिटी लाने की दृष्टि से, प्लानिंग की दृष्टि से उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिये जितना आवश्यक हो। लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन का भार अगर स्टेट गवर्नमेंट के मातहत रक्खेंगे तभी यह कार्य शीघ्र होगा, वर्ना यदि एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी आप ले लेंगे तो यह काम भी उसी तरह से होगा जिस तरह से कि एक एक मुकदमे की मिस्ल पर सुनवाई होने में हाईकोर्टस और सुप्रीम कोर्ट में चार-चार और छः छः साल लग जाते हैं और इन्सपेक्टरों की रिपोर्टों पर काम होने में काफी देर होगी। इसलिये यूनिफार्मिटी लाने की दष्टि से और प्लानिंग की दष्टि से ही इसे आप अपने अन्दर रक्खें, बाकी ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है वह स्टेट्स के पास होना चाहिये। साथ ही इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिये कि आपके इन्सपेक्टर्स और ऐनालिस्ट्स का क्या काम है और स्टेट्स के इन्सपेक्टर्स और ऐनालिस्ट्स का क्या काम है।

एक बात और कहना चाहता हूं। ड्रग ऐक्ट के अन्तर्गत सिर्फ ऐलोपैथिक दवायें ही आई हैं। कुछ लोगों की राय है कि यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं को इसमें मिला कर हम इसे और कन्फ्यूजन कर दें। किन्तु जहां तक इन दवाओं की शुद्धता और मिलावट तथा करप्शन की शिकायतों का सम्बन्ध है, मैं कह सकता हूं कि यूनानी और आयुर्वेदिक में ज्यादा शिकायतें हैं। लेकिन सिर्फ एक ही दृष्टि से जो फार्मूला ऐलोपथिक पर लागू हो वह इन पर नहीं लागू होना चाहिये। उनको आपने छोड़ दिया है तो अच्छा किया है। लेकिन उनको आप ज्यादा दिनों तक छोड़ न रखिये। इनके लिये आप को अलग से बिल लाना चाहिये और उन को भी कण्ट्रोल में लेना चाहिये।

सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस के लिये भारतीय दवाओं की कोई फार्मेकोपिया विशेष रूप से हो। ऐलोपैथिक दवाओं के लिये हम को ब्रिटेन और अमरीका की फार्मेकोपिया अवेलेबल हैं और उनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, किन्तु भारतीय दवाओं के लिये हमारे पास कोई फार्मेकोपिया न होना एक खलने वाला अभाव है। आप को इस की तरफ भी शीघ्र ही ध्यान देना चाहिये और यहां की इण्डियन फार्मेकोपिया तैयार करनी चाहिये। उसके पश्चात् आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं पर कोई ऐक्ट आना चाहिये।

अभी यह बिल इम्पोर्ट, मनुफैक्चर और सेल्स के लिये है। मैं तो कहूंगा कि फार्मेकोपिया जिस दिन तैयार होगी और उसमें आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को आप शामिल करेंगे तो उस में शायद आप को एक क्लाज और लगाना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्ट ही नहीं, दवाओं का एक्सपोर्ट भी हो सकता है जो कि देश के लिये एक गौरव की बात होगी, जिसकी ओर मेरे पूर्व वक्ता ने आपका ध्यान दिलाया है। सर्पगन्धा के सम्बन्ध में विशेष रूप से जिक्र हुआ है। एक भाई ने संजीवनी बूटी की तरफ भी ध्यान दिलाया है। यह बात बहुत ज्यादा समय लेने वाली नहीं है। भारत में जड़ी बूटियों और दूसरी दवाओं की कमी नहीं है। यह देश सबसे पहले सभ्य हुआ, उसकी सभ्यता का इतिहास सबसे पुराना है, साथ ही इसकी दवाओं का इतिहास भी पुराना है, परन्तु स्पष्ट है कि इस ओर हमारा ध्यान नहीं है। हमारे तरफ के यूनानी और आयुर्वेदिक वैद्य हर बजट सेशन में इस बात पर जोर देते हैं, उनकी अभिलाषा को पूरी करने के लिये मैं मन्त्री जी से जोरदार शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि इन दवाओं के लिये आप एक बिल लायें, उनको कन्ट्रोल करने के लिये। तभी इसके प्रति लोग अपना दायित्व समझेंगे और इसकी तरफ ध्यान

देंगे, जिससे फार्मेकोपिया तैयार करने की ओर भी और बढ़िया बसे बढ़िया दवाओं को सुन्दर रूप में, विशुद्ध रूप में तैयार करने की ओर भी लोगों की प्रवृत्ति बढ़ेगी। उसके बाद इम्पोर्ट ही नहीं बल्कि हम भारत से दवाओं का एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे जो कि देश के लिये एक गौरव की बात होगी।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर): जहां तक सामान्य जनता का सम्बन्ध है आपको साधारणत: वह यही शिकायत करते मिलेंगे कि कृत्रिम औषधियां अधिकाधिक प्रयोग होने लगी हैं। इसलिये इस विधेयक का उद्देश्य सराहनीय है। यह ठीक है कि इस विधेयक से वे थोड़ी अधिक प्रभावपूर्ण कार्यवाही कर सकेंगे किन्तु मुझे तो यही लगता है कि इससे कृत्रिम औषधियों की समस्या हल न हो पायेगी। यह समस्या बड़ी भयंकर समस्या है।

जाली दवायें बनाने वाले लोग आज भी कर बाढ़ों की भांति जनता को क्षति पहुंचा रहे हैं। अभी प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार बाढ़ों की रोकथाम नहीं कर सकती इसी तरह क्या सरकार इस बाढ़ की रोकथाम कर सकेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि सरकार यदि राष्ट्रीयकरण में विश्वास रखती है तो उसे सर्वप्रथम औषधि उद्योग का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये ताकि यह पता चल जाय कि जाली औषधियों का निर्माण करने वाले लोग कौन हैं।

मैं आयुर्वेदिक या यूनानी हकीमों के बारे में ऐसी कोई बात नहीं कहता। उनका तो मैं सम्मान करता हूं। अपने तरीके से वे ज्यादा अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं।

इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण के औचित्य के लिये एक दूसरी चीज और भी प्रभावकारी है और वह यह कि जनता को सस्ती दवा चाहिये परन्तु ये निर्माता लोग महंगी औषधियां तैयार करते हैं। सरकार इन लोगों पर कोई ज्यादा नियन्त्रण भी नहीं कर सकती। राष्ट्रीयकरण से न केवल औषधियां सस्ते दामों पर ही प्राप्त होंगी बल्कि अच्छी किस्म की औषधियां भी जनता को मिलने लगेंगी।

मैं समझता हूं कि द्वैध शासन व्यवस्था कभी भी जनता के हित में नहीं होती। इस विधेयक द्वारा केन्द्रीय सरकार भी कुछ अधिकार प्राप्त कर रही है और उधर राज्य सरकारों को भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इससे व्यवस्था कभी भी अच्छी न हो सकेगी। इसलिये मैं सुझाव देता हूं कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार को ही सारा काम अपने हाथों में ले लेना चाहिये ताकि काम प्रभावपूर्ण ढंग से हो पाये।

जहां तक एक वर्ष के कारावास के दण्ड का सम्बन्ध है, मैं तो यही कहूंगा कि यह सज़ा बहुत ही थोड़ी है। ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कड़ी सज़ा ही दी जानी चाहिये। इसलिये इसी विधेयक में दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थाओं को और ज्यादा सख्त बना दिया जाय।

यह अच्छी बात है कि आप निरीक्षकों के अधिकारों को तनिक और व्यापक बनाने जा रहे हैं किन्तु यह भी विचित्र बात है कि जहां आप उन्हें कृत्रिम औषधियों को जब्त करने का अधिकार दे रहे हैं वहां आप यह शर्त भी रख रहे हैं कि उन्हें पहले न्यायालय से मंजूरी लेनी होगी। जितनी देर में मंजूरी ली जायगी उतनी देर में तो माल ही गायब ही जाया करेगा। इसलिये उन्हें ही माल जब्त करने का अधिकार प्रदान किया जाय।

इसके अलावा हमें एक केन्द्रीय विश्लेषण संस्था का भी निर्माण करना चाहिये। यद्यपि यह विधेयक अच्छा है तथापि इस महान् कुरीति का मिटना इससे सम्भव नहीं दीखता। हाथी को बच्चों के खेलने वाली बन्दूक से नहीं मारा जा सकता। इस व्यसन को समाप्त करने के लिये हमें और ज्यादा कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री आसर (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, यह जो बिल सदन के सामने लाया गया है वह फार्मास्यूटिकल इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशों के छः वर्ष बाद लाया जा रहा है। मुझे अफसोस है कि इतनी देर के बाद इसे यहां पर लाया जा रहा है और इतना होने पर भी जितना कम्परिहेंसिव इस बिल को होना चाहिये था उतना नहीं है। इसमें बहुत सी कमियां हैं जिनकी ओर माननीय सदस्यों ने मन्त्री महोदय का ध्यान खींचा है। अगर इस बिल को और थोड़ी सी देर के बाद लाया जाता लेकिन कम्परिहेंसिव इसको बना कर लाया जाता तो अच्छा था ; अगर ऐसा किया गया होता तो फिर दुबारा और एमेंडिंग बिल लाने की आवश्यकता महसूस न होती। ड्रग एक्ट १९४० में बना था। १९५५ में इसको एमेंड किया गया और आज फिर एमेंड किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में बहस का उत्तर देते हुए बताया था कि एक कम्परिहेंसिव बिल वह ला रहे हैं। लेकिन इस तरह से अलग-अलग बिल लाने से यह अच्छा होता कि एक ही कम्परिहेंसिव बिल लाया जाता ताकि इसको बार बार एमेंड करने की जरूरत न पड़ती। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

इस बिल का उद्देश्य यह है कि इंस्पैक्टरों की नियुक्तियां की जा सकें, सैम्पल ले सकें, और जो नकली दवायें वगैरह बनाते हैं उन पर रोक लगाई जा सके। इस में स्टेट गवर्नमेंट्स को डायरेक्शन देने का जो अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ है, उस को मान्य किया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि इस बिल पर अमल कैसे होगा। इस का कारण यह है कि १९५५ के ऐमेंडिंग बिल में जो अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को मिले हुए हैं, उन के बारे में भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन देने के अधिकार को मान्य किया गया है। इस के आखिर में लिखा है कि केन्द्र राज्यों को ऐसी हिदायतें दे सकता है जो इस अधिनियम को लागू करने के लिये आवश्यक हों।

मैं समझता हूं कि केवल डायरेक्शन देने की ही बात थी तो इस बिल को यहां पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस से भी ज्यादा अधिकार हमारी सरकार को अपने हाथ में लेने चाहियें थे। आवश्यकता इस बात की थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स से अधिकार निकाल कर सेंटर उन अधिकारों को अपने हाथ में लेता। अब कहा गया है कि सेंट्रर के इंस्पैक्टर भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स के इंस्पैक्टर भी होंगे। इस का नतीजा यह होगा कि कार्रवाई जितनी अच्छी तरह से होनी चाहिये, नहीं हो सकेगी। थोड़ा काम सेंटर करेगा, थोड़ा स्टेट्स करेंगी। एक कहावत है कि दो घर का महमान भूखा रहता है। वही हालत इस बिल की होने वाली है। स्टेट्स के जो इंस्पैक्टर हैं वे कहेंगे कि यह काम हमारा नहीं है और सेंटर के इंस्पैक्टर कहेंगे कि हमारा नहीं है और जब यह किसी का काम नहीं होगा तो जो स्पूरियस दवाइयां बनाने वाले हैं वे अपना काम करते जायेंगे। इस तरह की बातों का स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है जोकि माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। एक उदाहरण मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। पिछले सैशन में एक सवाल मैं ने मंत्री महोदय से पूछा था जिस के जवाब ने में उन्हों ने बताया कि सैनिटैक्स कैमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, बड़ौदा को उन्हों-ने ३२ दवायें, विदड्रा करने को कहा है। लेकिन उस कम्पनी ने अपने एजेंटों और व्यापारियों को पत्र भेजा है जिस में कहा है कि जो कुछ प्रेस में आया है, उस पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और कम्पनी की बात को माना जाय। ये दवायें कितनी अच्छी हैं, इस का विवरण इस चिट्ठी में दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो पत्र कम्पनी की ओर से कनफिडेंशली लिखा गया है, इस पर हमारी सरकार ने क्या कार्रवाई की है। हमारे पास इंस्पैक्टर हैं, स्टाफ है, क्या ये सब चीजें उन के नोटिस में नहीं आती हैं। यहां पर लोक सभा में सवाल पूछा जाता है और उस के जवाब में कहा जाता है कि कम्पनी से कह दिया गया है कि वह ३२ दवाओं को विदड्रा कर ले लेकिन

ऐसा नहीं किया जाता है और और कम्पनी पत्र लिख कर कहती है जो कुछ अखबारों में छपा है, गलत है। उन्हों ने लिखा है कि "यह बात हमें बताई गई है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जो खबरें छपी हैं उस से हमारे बारे में एडवर्स इम्प्रेशन बन गया है।"

उन का कहना है कि एडवर्स इम्प्रेशन बन गया है। वे नहीं मानते कि ३२ दवायें जो सरकार ने विदड्रा करने को कही थीं वे खराब थीं।

यह बहुत टैक्नीकल है और मैं इस में नहीं जाना चाहता हूं। आखिर में उन्हों ने कहा है :—

"हम अपनी चीजों को अपनी प्रयोगशाला में जांचते हैं जिस में आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हैं। जब कोई चीजें खराब पाई जाती हैं तो हम उसे बाजार से ही वापस कर लेते हैं।"

ये जो ३२ दवायें हैं वे आज तक विदड्रा नहीं हुई हैं, ये आज भी मार्किट में बिक रही हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार बताये उस ने इस के बारे में क्या किया है। ऐसी दवाओं के बनाने वालों के खिलाफ जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जायेगी तब तक ये दवायें बनती और बिकती रहेंगी।

मंत्री महोदय ने कहा था उसी सवाल के जवाब में कि कम्पनी को एक्सपायरी डेट डालने को भी कहा गया है। लेकिन दो सैनिटैक्स कैमिकल इंडस्ट्रीज़ आज तक एक्सपायरी डेट नहीं लिख रही है। मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि उस कम्पनी के पास अच्छे एक्सपर्ट हैं, अच्छे टैक्नीकल एक्सपर्ट हैं, अच्छा काम करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि कम से कम एक आदमी को तो मैं जानता हूं जोकि टैक्नीकल एक्सपर्ट नहीं है और उस को बतौर टैक्नीकल एक्सपर्ट के रख लिया गया है। उस को इस का कोई भी ज्ञान नहीं है। ये सब बातें हैं जिन की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान जाना चाहिये। देखा जाता है कि उस की सब-स्टेंडर्ड दवायें बाजार में बिकती हैं। ह्यूमिडिटी कंट्रोल रूम वहां नहीं है। ऐसी जो मामले हैं उन पर कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिये और जो डिफाल्टर्स हैं उन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिये। जिन कारखानों में इस तरह की खराब दवाइयां बनती हैं उन पर नज़र रखी जानी चाहिये और उन का अच्छी तरह से इंस्पैक्शन होना चाहिये। मैं ने एक उदाहरण आप के सामने रखा है लेकिन इस तरह के और भी बहुत से उदाहरण हैं जो मैं आप के सामने रख सकता हूं। मैं चाहता हूं कि इस तरह की चीज़ों की तरफ आप का ध्यान जाय।

श्री दी० चं० शर्मा जी ने कहा कि हम ने कानून में एक वर्ष के दंड की व्यवस्था की है, एक वर्ष की शिक्षा रखी है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह अपने अन्तःकरण से पूछ कर बतायें कि क्या वह सिंसियरली स्पूरियस मैडिसिंस की बिक्री को रोकना चाहते हैं या उन का बनना रोकना चाहते हैं और अगर चाहते हैं तो क्या उस के लिये प्रयास कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि एक वर्ष की शिक्षा कम है, इस के लिये दस वर्ष की शिक्षा होनी चाहिये। जब आप एक गलत बात का अन्त करना चाहते हैं, अच्छे परिणाम लाना चाहते हैं तो जो लोग पैसे के वास्ते, अपने फायदे के वास्ते लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन को आप को छः महीने की नहीं, एक वर्ष की नहीं बल्कि दस दस वर्ष की सज़ा देनी चाहिये।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारे देश में करीब करीब १७०० छोटे मोटे कारखाने हैं और ड्रग कंट्रोल की दृष्टि से, इतने कारखानों के सैम्पल निकालना और हर एक को एग्ज़ेमिन करना हमारे लिये कठिन है। फार्मास्यूटिकल इनक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट के पैरा ४ में लिखा है :—

"औषधियों का परीक्षण करने के लिये प्रयोगशालाओं की सुविधायें बहुत कम हैं और इस से परीक्षण में विलम्ब होता है। नमूना लेने के नौ महीने बाद तक परिणाम का पता चलता है। इस लम्बे समय के बाद पुराने माल के सम्बन्ध में कार्यवाही करना व्यावहारिक नहीं रहता।"

[श्री आसर]

जब आप स्पूरियस ड्रग्ज़ को रोकना चाहते हैं, इन को बन्द करना चाहते हैं तो इस के लिये यह आवश्यक है कि हमारे पास अच्छी लबोरिट्री हो । इस रिपोर्ट के बाद से छः वर्षों में हमारे यहां बहुत से कारखाने बढ़े हैं लेकिन लबोरेटरी फैसिलिटीज़ जिस परिमाण में बढ़नी चाहियें, उस परिमाण में नहीं बढ़ी हैं । इस का परिणाम यह होता है कि सैम्पलस इंस्पैक्टर्स निकालेंगे और वे छः छः आठ आठ और दस दस महीने पड़े रहेंगे और उन का टैस्ट एग्जैमिनेशन होगा । ऐसा करने के लिये दवा को छः छः और आठ आठ महीने तक खुले में रखना होगा और जब केस इतना पुराना पड़ जाता है तो जब वह कोर्ट में जाता है तो वह स्टैंड नहीं हो सकता है और हमारा अनुभव बताता है कि बहुत से केसिस छूट जाते हैं ।

मैं अपनी स्टेट का अनुभव बतलाता हुं । हमारे यहां प्राहिबिशन है । प्राहिबिशन के कारण बहुत से केसेज़ होते हैं । वहां पर जो वाइन चलती है उस के सैम्पल को बाटलों में भर लिया जाता है, पंचायतनामा वगैरह किया जाता है । उस के बाद जब आठ, दस या पंद्रह दिनों में बाटल खोली जाती है तो यह चमत्कार हो जाता है कि उस में इल्लिसिट वाइन नहीं रह जाती, केवल पानी रह जाता है । वह इल्लिसिट वाइन जो भर कर रक्खी जाती है वह पता नहीं कहां चली जाती है । जब ओरिजिनल वाइन की यह हालत हो जाती है आठ या दस दिनों के अन्दर तो जो दवायें बोतलों में बन्द कर के रक्खी जाती हैं और वे छः छः आठ आठ महीनों तक लेबोरेटरी में रक्खी रहती हैं, तो उन का क्या परिणाम होता होगा । आखिर वे केसेज़ किस तरह से सफल होंगे, इस पर विचार करने की आवश्यकता है । इसलिये जब हम इस बारे में कड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं तो देश में लेबोरेटरी फसिलिटीज़ का बढ़ाना भी आवश्यक है । अगर हम इसे बढ़ाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये जो ड्रग अमेंडमेंट बिल हम पास कर रहे हैं उसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से चला सकेंगे । इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिये ।

बिल का उपयोग केवल एलोपैथिक यानी विदेशी पद्धति की दवाओं के लिये होने वाला है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस का उपयोग आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिये करने की जरूरत नहीं ? क्या आयुर्वेदिक और यूनानी दवायें स्पूरिअस नहीं बनाई जातीं ? मेरा यह दृष्टिकोण है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धति की तरफ हमें जितना ध्यान देना चाहिये उतना हम ध्यान नहीं देते । इन पद्धति में भी नकली दवाओं का निर्माण होता है । लेकिन हमारी विचार पद्धति इतनी गलत है जिस का ठिकाना नहीं है, हम इस की तरफ ध्यान नहीं देते, हम केवल विदेशी दवाओं के बारे में ही विचार करते हैं । इस का परिणाम यह होता है कि लोगों को विदेशी दवाओं का उपयोग करने की ज्यादा प्रेरणा होती है । लोग कहते हैं कि चूंकि यहां कोई नियम नहीं है इसलिये देशी पद्धति से अच्छी दवायें नहीं बनती हैं । लोगों को कहते सुना गया है कि अगर हमारी विदेशी दवायें स्पूरिअस बन सकती हैं, जिन पर इतने प्रतिबन्ध लगाये गये हैं तो आयुर्वेदिक औषधियों का तो कहना ही क्या । इसलिये मेरा कहना है कि आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियों के नाम जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हो रहा है उस को छोड़ देना चाहिये । हमारे लिये यह विचार करना आवश्यक है कि आज स्वतंत्र भारत में हमारी आयुर्वेदिक और यूनानी पद्धतियां जो हैं उन को बढ़ावा देने का प्रयत्न करना चाहिये । मैं तो यहां तक कहने के लिये तैयार हूं कि इस बिल के साथ ही वह बिल भी आना चाहिये जिस से आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं का स्पूरिअस रूप से बनना दूर किया जाय ।

मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार एलोपैथिक दवाओं पर लेबल लगा रहता है कि उन के क्या क्या इन्ग्रीडिएन्ट्स हैं, उसी प्रकार आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के ऊपर भी इस तरह के लेबल लगने चाहियें । इस के लिये नियम होना चाहिये कि देशी दवाओं के ऊपर भी लेबल लगाया

जाय जिस में इन्ग्रीडिएन्ट्स लिखे हों । अगर यह नहीं लगाये जाते तो लोगों के मन में शक रहता है कि पता नहीं बाजार में ठीक चीज मिलती है या नहीं या कौन चीज़ ठीक है और कौन सी गलत । कई मेम्बरों ने बतलाया कि जब लोग घर में बाजार से दवा ले कर जाते हैं तो उन को वहां पहुंच कर कई बार धोखा उठाना पड़ता है । इस तरह की जो स्थिति है उस के लिये कुछ न कुछ प्रयत्न करना चाहिये । इसी लिये मैं कहता हूं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं को स्प्यूरिअस ढंग से बनने से रोकने के लिये अलग बिल लाया जाय ताकि इन के साथ जो स्टेपमदरली ट्रीटमेंट हो रहा है वह खत्म हो ।

एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं जिस की इस बिल में बड़ी आवश्यकता है । हम ड्रग अमेंडमेंट बिल तो पास कर रहे हैं लेकिन उस के कानून बनने के बाद जो छोटे छोटे दुकानदार हैं देहातों में, जिन के पास हाउसहोल्ड रेमेडीज़ होती हैं, और जिन की हर एक आदमी को हर समय आवश्यकता पड़ती रहती है, उन को बड़ी मुश्किल पड़ जाती है । मेरा मतलब है पेन बाम से, नीलगिरि आयल से, कैस्टर आयल से, एस्प्रो, सेरिडान आदि से । इन के रखने वाले दुकानदारों को बड़ी मुश्किल होती है । अगर यह बिल पास हो जाता है तो वे अपने पास इस तरह की दवायें नहीं रख पायेंगे क्योंकि इस कानून का पालन करना उन के लिये कठिन हो जायगा और देहात के आदमियों को जोकि रोज ऐस्प्रो, यूकैलिप्टस आयल, सेरिडान वगैरह चाहते हैं, वे चीजें नहीं मिल सकेंगी । इसलिये दुकानदारों को जो तकलीफ होती है उस को दूर करने की कोशिश की जाय । मैं ने मंत्री महोदय से भी बात चीत की है और मंत्री महोदय ने भी आश्वासन दिया है इस के बारे में । यहां पर उन के लिये ५ रु० की लाइसेंस फीस रक्खी गई है । यहां पर लाइसेंस फीस का प्रश्न उतना नहीं है, जितना उन को जो परेशानी होती है इस सिलसिले में उस को दूर करने की । इसलिये इस बिल में जो कमियां रह गई हैं उन को दूर करने का प्रयत्न किया जाय ।

†**श्री प्र० क० देव** (कालाहांडी) : सब से पहले १९४० में औषधि नियंत्रण विधेयक बनाया गया । छः वर्ष के पश्चात् उस का संशोधन कर दिया गया किन्तु अब भी हम यही देखते हैं कि देश में कृत्रिम औषधियों की भरमार है । खैर तब भी इस दिशा में जो कुछ भी किया जा रहा है वह श्रेष्ठ है । जनता के स्वास्थ्य की दृष्टि से ऐसा करना अत्यावश्यक था ।

संवैधानिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र ने यह विधेयक बना कर राज्यों की स्वायत्तता का अतिक्रमण किया है । इसलिये मैं यह चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस विषय में योजना भले ही बनाये परन्तु इस काम को राज्यों द्वारा कार्यान्वित कराया जाये । इसी तरह से विश्लेषकों की नियुक्तियां भी राज्यों ही को करनी चाहियें ।

वस्तुतः औषधियों का अपमिश्रण उस समय होता है जबकि उन्हें डिब्बों या बोतलों में बन्द किया जाता है । मुझे पता है कि पेंसिलिन के कारखाने में पेंसिलीन तैयार हो कर बम्बई के कुछ व्यापारियों के हाथ बिक जाती है और वे उस को दोबारा बोतलों में बन्द करते हैं । यहीं पर गड़बड़ हो जाती है । हमें तो पता ही है कि पेंसिलीन के कारण हमारे एक सदस्य की मृत्यु हो चुकी है । इसी तरह की और भी अनेक घटनायें हो चुकी हैं । इसलिये सरकार को इस समस्या का ठीक हल करना चाहिये ।

हमें स्वतंत्र हुए भी तेरह वर्ष का समय हो चुका है । किन्तु बड़े दुख से हमें यह बात कहनी पड़ रही है कि अभी तक हम भारतीय फारमाकोपिया तैयार नहीं कर पाये । सर्पगंधा भारतीय औषधि है और इसी प्रकार हमारे देश में अनेक जड़ी बूटियां विद्यमान हैं । हमें इन का व्यापक अनुसंधान कर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० क० देव]

के एक विस्तृत फारमाकोपिया बनाना चाहिये । थोड़ी कोशिश तो की गई है किन्तु कोशिश ज्यादा करनी चाहिये ।

यह ठीक है कि सरकार कृत्रिम औषधि बेचने वालों के दंड की व्यवस्था कर रही है पर इस से ही कुछ न होगा । महत्व तो इस बात का है कि वह कितने अपराधियों को दंड देती है और कितना काम करती है ।

जिन क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू किया गया है उन में भी शराब बिक रही है पर यह औषधियों के रूप में बिकती है । दुकानों में मृत संजीवनि सुरा आम बिकती है । वह शराब ही तो है । इस धोखे को भी बन्द करना चाहिये । बम्बई आदि नगरों में अफीम खाने वाले लोगों ने मौरफिया के इन्जेक्शन लेने शुरू कर दिये हैं । इस से अनेक परिवार बर्बाद हो चुके हैं । इस का भी उपयुक्त उपाय किया जाये ।

श्री राधेलाल व्यास (उज्जैन) : सभापति जी, यह जो ड्रग्ज़ अमेंडमेंट बिल---औषधि (संशोधन) विधेयक---हमारे सामने लाया गया है यह इस दृष्टि से लाया गया है कि ड्रग्ज़ ऐक्ट में जो खामियां थीं उनको दूर कर दिया जाये । ठीक है । लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ? ड्रग्ज़ ऐक्ट का सही या इस अमेंडमेंट का सही, मुख्य उद्देश्य यही है कि कोई नकली दवाएं न ले और उसका स्वास्थ्य न बिगड़े । इसकी तह में यदि हम जायें तो इसका खास उद्देश्य यह है कि लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जाये और उसको बिगड़ने न दिया जाये ।

इन छोटी छोटी बातों की तरफ तो काफी ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे इतने बड़े देश में कि जहां ४० करोड़ की आबादी है, उसके अन्दर नकली दवा लेने वाले कितने होंगे और नकली दवा देने वाले कितने होंगे । अगर इनकी संख्या देखी जाये तो ये लोग बहुत कम निकलेंगे । लेकिन, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज फिर निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जो मोटी बात है, जिसका सम्बन्ध आम तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से है, उसकी तरफ अभी तक हैल्थ मिनिस्ट्री का ध्यान नहीं गया है । बगैर दवा दिये लोगों के स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने के लिए अभी तक कोई इन्तिजाम नहीं किया जा रहा है ।

कल मैं श्री एस० के० डे के यहां था, जो कि हमारे कम्युनिटी डेवेलपमेंट और कोआपरेशन के मिनिस्टर हैं । वहां रात को एक फिल्म दिखाया गया था । वह फिल्म शायद यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका के सम्बन्ध में था । उसमें दिखाया गया था कि नदियों में जो गन्दगी होती है उसको रोकने के लिए वहां क्या क्या प्रयत्न किया गया है । उसमें दिखाया गया था कि उस गन्दगी से कितनी बीमारियां होती हैं, उस जल में रहने वाले जीवों जैसे मछलियों आदि को कितना नुकसान होता है, जो आदमी उस पानी को पीते हैं और उसमें स्नान करते हैं उनको किस प्रकार नुकसान होता है और उस पानी से जो दूषित गैस निकलते हैं उनसे किस प्रकार स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है । और उस गन्दगी को दूर करने के लिए और पानी को साफ करने के लिए देश में किस प्रकार जगह-जगह प्लांट लगाये गये हैं । मैं उस सब को देख कर आश्चर्य में आ गया । लेकिन हमारे देश में नदियों और तालाबों में काफी गन्दगी है । दिल्ली में ही पानी की गन्दगी के कारण किस प्रकार जॉडिस (पीलिया) लोगों को हुआ था । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गन्दगी को रोकने के लिए हैल्थ मिनिस्ट्री प्रयत्न करे । उसका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए । आज देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोकने के लिए आज ध्यान नहीं दिया जा रहा है। छोटी छोटी

बातों की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जब कि जो लोग करोड़ों की संख्या में इस प्रकार अपना स्वास्थ्य खो रहे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसका मुझे बड़ा दुःख है ।

समय आ गया है कि शासन को ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा रखा जा सके । दवाइयों से आप कब तक मनुष्यों को स्वस्थ रखेंगे ? महात्मा गांधी ने लिखा है कि अच्छी दवाई भी देंगे तो आदमी का स्वास्थ्य उससे बिगड़ेगा ही अच्छा नहीं होगा । जो प्राकृतिक चिकित्सा के पंडित हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, जो डाक्टर रहे हैं, वैद्य रहे हैं वे भी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दवाई चाहे अच्छी हो या बुरी वह वाकई में उसके लिए एक जहर है । अब होता यह है कि दवा से वक्ती आराम हो जाता है लेकिन जो उससे हमेशा के लिए स्वास्थ्य मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है और देखा यह जाता है कि उस समय तो वह दवाई किसी न किसी रूप में उस बीमारी को दबा देगी लेकिन आगे चल कर वह पुनः भड़क उठती है और उस दवाई का रिएेक्शन (प्रभाव) स्वास्थ्य के लिए हानिकर साबित होता है । हम शुद्ध जल और शुद्ध वायु का अगर सबके वास्ते इंतजाम न कर सकें तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो बुराई होती है और पानी को बिगाड़ने वाली जो गंदगी और जहरीला मादा पानी में आकर मिलता है उसको तो नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं । मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह अपने डिपार्टमेंट वालों को कहें । वह यह मालूम करें कि कल जो फिल्म शो दिखाया गया था उस के सम्बन्ध में लिटरेचर मंगायें और देखें कि दूसरे देशों में पानी में जो यह गंदगी और जहरीले तत्व मिले होते हैं उनको नष्ट करने के वास्ते क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं और क्या उपाय किये जा रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उन उपायों और प्रयत्नों का हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना में समावेश होना चाहिए । जहां तक कि इसके लिए पैसे जुटाने का सवाल है तो आवश्यक पैसा आपको लोगों के सहयोग से अवश्य मिलेगा क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसमें हर एक शख्स की दिलचस्पी स्वाभाविक है और धन के लिए आप व्यक्तियों से, म्युनिसपैलटियों से और इंडस्ट्रीज से अपील कर सकते हैं और मुझे विश्वास है कि आप को उनसे आवश्यक धन प्राप्त हो सकेगा ।

आप इंडस्ट्रीज से इस में सहयोग ले सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज बड़ी हद तक पानी को गंदा बनाने के वास्ते जिम्मेदार होती हैं । अब मैं आपको बतलाऊं कि एक कारखाना है, एक करोड़ गैलन रोज उसको पानी चाहिए और बाद में वह एक करोड़ गैलन पानी गंदगी मिला हुआ और जहर मिला हुआ नदी के अन्दर डाला जाता है और मैं आपको बतलाऊं कि मछलियां वहां की मरी हुई लोगों ने देखी हैं । उस से गैस निकलती है और जिससे कि लोगों ने फसल नष्ट हुई देखी है, दरख्त सूखे हुए देखे हैं । यह सारी चीजें हैं । अगर यह चीजें नष्ट हो सकती हैं तो उस गंदे और जहरीले पानी का मनुष्यों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर नहीं पड़ता है, समझ में आने वाली बात नहीं है और अवश्य ही मनुष्यों के स्वास्थ्य पर उस का खराब असर पड़े बगैर नहीं रह सकता है ।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं जिसमें यह प्रयत्न किया जा रहा है कि नकली दवाइयों की रोकथाम हो ताकि लोगों के धन और स्वास्थ्य से खिलवाड़ न किया जा सके । दवाइयों में नकलीपन और मिलावट को रोकने के वास्ते जो यह इंस्पैक्टर्स मुकर्रर किये जाने हैं तो मेरा निवेदन यह है कि इतनी बड़ी स्टेट में १, २ इंस्पैक्टर्स मुकर्रर किये जाने से कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं है । हमें काफी तादाद में यह इंस्पैक्टर्स रखने होंगे ।

इसके अलावा हमें यह भी व्यवस्था रखनी पड़ेगी कि इंस्पैक्टर अपनी चैकिंग की रिपोर्ट किसी मैडिकल आफिसर को करे अर्थात् एक तरह से उस पर मैडिकल आफिसर का नियंत्रण रहे ताकि आज जो अधिकारियों द्वारा पावर्स के मिसयूज करने की शिकायतें आये दिन सुनने को मिलती हैं वे न मिलें और वे अपनी पावर्स का दुरुपयोग न कर सकें । मुझे आशा है कि मूल बात की ओर मिनिस्टर महोदय का ध्यान जायगा और वे इसके हेतु आवश्यक व्यवस्था करेंगे ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : माननीय सदस्यों के भाषण सुनने से यही लगता है कि इस विधेयक की व्यवस्थायें नकली दवाओं के व्यापार को अधिक नहीं रोक पायेंगी । इसके लिये कुछ सख्त उपाय किये जाने चाहिये ।

बम्बई में नकली दवाओं का व्यापार काफी सुसंगठित है । पुलिस को उसकी जानकारी है । लेकिन सरकार के पास उसे रोकने के लिये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ।

नकली दवाओं का व्यापार सिर्फ लेबिल बदलने, डिब्बे या दवाओं के बदलने तक सीमित नहीं है । बड़े-बड़े नामी दवा-विक्रेता भी उस से लाभ उठाते हैं । उसे रोकना इसलिये मुश्किल होता है कि अचानक छापा मारने की कोई व्यवस्था अधिनियम में नही है । जरूरी है कि इन्स्पैक्टरों को अधिक शक्तियां दी जायें । उनको जब वे चाहें अचानक छापा मारने की शक्तियां दी जानी चाहियें । यदि नकली दवा की एक बोतल भी किसी दूकान में मिले, तो दूकान पर ताला डालने की शक्ति उसे दी जानी चाहिये ।

इसमें दूसरी त्रुटि यह है कि एक तो आपने पहले ही कम से कम सजा की व्यवस्था की है, और दूसरे यह कि यदि मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे भी कम कर सकता है । मैजिस्ट्रेट को स्वयं विवेक की यह शक्ति नहीं दी जानी चाहिये, हां, हाई कोर्ट में अपील की व्यवस्था रहनी चाहिये ।

नकली दवाओं का व्यापार करने वालों को जब तक सामाजिक रूप से लांछित नहीं किया जायेगा, इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा । इसलिये व्यवस्था यह होनी चाहिये कि एक बार सजा पाने पर, दूकानदार को अनिवार्य रूप से एक साल तक अपनी दूकान पर बोर्ड लगाना पड़ेगा कि उसे नकली दवा बेचने या बनाने के लिये सजा मिल चुकी है ।

अनुज्ञप्तियां रद्द करने की व्यवस्था भी होनी चाहिये । ऐसे विक्रेताओं को दूसरे नाम से भी अनुज्ञप्तियां नहीं लेने दी जानी चाहियें ।

साथ ही हमें इसका भी पता लगाना चाहिये कि नकली दवाओं का व्यापार होने के मूल कारण क्या हैं । मूल कारण यह है कि इसमें मुनाफा बहुत होता है । सरकार को खास-खास दवाओं का निर्माण अपने हाथ में लेना चाहिये ।

इस विधेयक की व्यवस्थाएं हैं तो ठीक, लेकिन वे आवश्यकतानुसार प्रभावशाली नहीं हैं । उनको अधिक सख्त बनाया जाना चाहिये । तभी नकली दवाओं के निर्माण को एक हद तक रोका जा सकेगा ।

†**श्री आचार** (मंगलौर): मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । औषधि-उद्योग पर नियंत्रण करने का समय आ गया है ।

ज्यादा अच्छा यह रहता कि इस विधेयक के खण्ड ५ या खण्ड ६ में यह व्यवस्था कर दी जाती कि इन्स्पैक्टर जब भी जांच के लिये जाये तो अपने साथ दो इज्जतदार आदमियों को भी ले ले । वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मूल अधिनियम में व्यवस्था है कि जांच के मामले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की व्यवस्थायें लागू होंगी । यदि यह व्यवस्था होती तो स्पष्टता आ जाती ।

इस में जुर्माने और सजा की जो व्यवस्था रखी गई है वह न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं । दण्ड संहिता में जहां भी जुर्माने की व्यवस्था है वहां अधिकतम दण्ड की ही व्यवस्था की गई है, न्यूनतम दण्ड नहीं रखा गया । लेकिन इसमें न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था करके, न्यायाधीश के स्वयं

---

†मूल अंग्रेजी में

विवेक को नियंत्रित कर दिया गया है। दण्ड संहिता में खून तक के दण्ड के लिये जो व्यवस्था है उसमें भी अधिकतम दण्ड का ही उल्लेख है। क्या नकली दवा बेचना या तैयार करना उससे भी बड़ा अपराध है? वैधानिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। इसका फैसला न्यायाधीशों पर छोड़ा जाना चाहिये।

इधर हम ने कई ऐसे अधिनियम पारित किये हैं जिनमें न्यायपालिका के प्रति उचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया गया। न्यायपालिका की शक्तियां सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह अनुचित है।

माननीय मंत्री कहेंगे कि न्यायाधीश विशेष कारण बताकर सजा कम कर सकता है। फिर भी यह अनुचित है, न्यायाधीशों को संदेह की दृष्टि से देखना है।

हम सभी चाहते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के सम्बन्ध में कानून बनना चाहिये। उनकी नकली दवाओं का बनना रोका जाना चाहिये। इसकी ठीक-ठीक स्थिति का पता लगाने के लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये।

†**श्री बालकृष्णन्** (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मुझे औषधियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है।

मैं सिर्फ एक बात आप के सामने रखना चाहता हूं। दुनिया में हमारा ही देश एक ऐसा है जिसने मद्य निषेध में सफलता पाई है। लेकिन मद्य निषेध के मूल अधिनियम में भी कुछ त्रुटियां हैं। उसमें इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि दवा की दूकानों में 'एसेन्स' (रस-सार) न बेचे जायें। इससे होता यह है कि लोग उनके खुले आम खरीद कर शराब के बदले पीते हैं। इस विधेयक में स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये कि अधिक प्रतिशत मात्रा का 'एलकोहल' दवा की दूकानों पर नहीं बेचा जायेगा। माननीय मंत्री से मेरा यही अनुरोध है।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : सभापति जी, बड़े सौभाग्य की बात है कि जो हमारे हैल्थ मिनिस्टर आज हैं, वे पहले कामर्स ऐंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उस समय उन्होंने कितनी स्पूरिअस मेडिसिन्स (नकली दवायें) बनवाईं, यह तो वे ही जानते होंगे। अब वे यहां पर यह बिल प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस तरह से वे स्पुरिअस मेडिसिन्स का आगे बनना रोकने की चेष्टा करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि इस में लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : जीवन का नहीं, मरण का ही है।

श्री झुनझुनवाला : यह ठीक है, मरण का ही प्रश्न है। इस के लिये जो बिल लाया गया है वह बहुत ठीक है। इस में बहुत सी चीजें कही गई हैं, जिन के द्वारा यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस को सजा दी जायेगी। परन्तु जैसा मैं ने कहा, पहले हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय कामर्स ऐंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और वे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं किस प्रकार से लोग मिलावट करते हैं और क्या क्या गड़बड़ियां करते हैं। यदि वे कोई इस प्रकार का उपाय करें जिस से कि स्पूरिअस मेडिसिन्स बने ही नहीं और लोगों के मन में इस के बारे में भावना लाई जाय तो यह एक अच्छी बात होगी।

जो लोग स्पूरिअस मेडिसिन्स बनाते हैं, वे केवल लाभ के लिये, पैसे के मोह में पड़ कर मेडिसिन्स को सस्ती बनाने के लिये इस प्रकार की मिलावट करते हैं। जैसा हमारे कई भाइयों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री झुनझुनवाला]

ने बतलाया, ऐसे लोगों की बनाई हुई मेडिसिन्स को ऐनालाइज (विश्लेषण) करता, उन लोगों को पकड़ना बड़ी मुश्किल की बात है। जब तक उन को पकड़ेंगे तब तक न जाने कितनी दवायें बाजार में बिक चुकी होंगी और लोगों के जीवन के ऊपर उन का क्या असर पड़ चुकेगा यह तो हमारे मंत्री महोदय ही जान सकते हैं। तो जैसा मेरे मित्र श्री दी० चं० शर्मा ने कहा, क्यों नहीं हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद अपने ऊपर यह भार ले लेते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उन को नेशनलाइज कर दें। आज बहुत सी चीजें नेशनलाइज की जा रही हैं, अगर मेडिसिन्स भी नेशनलाइज कर दी जायें और वे केवल गवर्नमेंट की देख रेख में ही बनें, तो इस में किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका ही नहीं रहेगी। यदि प्राइवेट सेक्टर में भी यह चीजें बनाई जायें तो भी वे सरकार की देख रेख में बनाई जायें ताकि बनने के बाद उन को ऐनालाइज करने या, उन को देखने का मौका ही न रहे। मैं समझता हूं कि प्राइवेट सेक्टर में कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है जिस के अन्दर प्राफिट मोटिव न हो कर मानव सेवा की भावना हो। परन्तु ऐसे आदमी का पाना इस समय जरा मुश्किल बात है। हमारी सरकार तो वेलफेअर सरकार है, मैं तो उस के ऊपर भी जोर दूंगा जिस प्रकार की बातें यहां कही गई हैं यदि उस प्रकार की स्प्यूरिअस मेडिसिन्स बनाई जाती हैं तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। यहां पर कहा गया कि अगर कोई मार्फिया इंजेक्शन ले कर मरना भी चाहे और कहे कि मरने के लिये हमें इस की जरूरत है, तो उस को भी सही चीज नहीं मिल सकती है। इसलिये बहुत आवश्यक है कि इस चीज की ओर ध्यान दिया जाय।

अभी हमारी बहन डा० सुशीला नायर ने एक बात बहुत अच्छी बतलाई कि एक ही दवा आज कई नामों से बिकती है। जब उस की खरीदने वाले जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि वे यह लें कि यह लें या तीसरी लें। एक बार एक डाक्टर से नुस्खा लिया, उस ने कहा कि इस बीमारी के लिये यह चीज लाओ, फिर उसने दूसरे डाक्टर से नुस्खा लिया, तो उसने उसी दवा के लिये दूसरा नाम लिख दिया कि यह लाओ। तब आदमी डाक्टर से पूछता है कि फलां डाक्टर ने इसी बीमारी के लिये यह चीज दिलवाई थी, अब आप बतलाइये कि कौन सी ठीक चीज है ताकि मैं उसे ले आऊं। तो वह कहते हैं कि नहीं दोनों एक सी हैं, थोड़ा बहुत इधर-उधर फर्क होगा। ऐसा कहने से उसके मन में भारी शक पैदा हो जाता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो एक से अधिक नामों से प्रचलित हैं। इसमें धोखा देने का बहुत मौका मिलता है। इसको यदि आप बचा सकें तो बहुत अच्छा होगा।

कई भाइयों ने कहा कि आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं के लिये भी इस तरह का बिल आना चाहिये। आप कह सकते हैं कि दस पन्द्रह बरस बाद हम एक काम्प्रिहेंसिब बिल लाएंगे जिसमें यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भी कानून बनाया जाएगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह बिल आखिर किस दिन आएगा और कब लोगों की भलाई होगी। मैं चाहता हूं कि इस बारे में मिनिस्टर साहब बतला दें तो अच्छा हो।

मुझे कुछ विशेष कहने को नहीं है। यह बहुत ही महत्व की चीज़ है। इसको बहुत सीरियसली हमको लेना चाहिये। हमारे आचार साहब ने बहुत सी कानूनी बातें बतायी हैं कि मजिस्ट्रेट को यह पावर होनी चाहिये और उसको यह पावर होनी चहिये। मिनिस्टर साहब वकील भी हैं, वह कामर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं और अब वह हैल्थ मिनिस्टर हैं। इसलिये सब बातों को सोच कर उनको ऐसा कानून बनाना चाहिये ताकि ये सब चीजें न होने पाएं। मेरी मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि इस बिल को ऐसा बनावें कि यह इफैक्टिव (प्रभावशाली) हो।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं तो इस विधेयक के बारे में बीमारों के दृष्टिकोण से ही कुछ कह सकूंगा।

नकली दवाओं का व्यापार बम्बई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समूचे देश में फैला हुआ है और सुसंगठित है। अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता में ग्राइपवाटर की नक़ल हुई थी। ग्राइपवाटर की बोतलों में उसे बेचा गया था और जिन भी बच्चों को वह पिलाया गया, वे फिर होश में नहीं आ सके थे।

नकली दवाओं के अलावा, कानपुर में 'टिंचर जिन्जर' भी चलता है। कानपुर में पूरी तरह मद्य निषेध है। वहां 'टिंक्चर जिन्जर' दवाओं की दूकानों पर बिकता है। लोग उसे शराब के बदले पीते हैं, लेकिन है वह शराब से भी बुरी चीज़। लोग दवाओं की दूकानों में जा कर उसे पीते हैं और झूमते हुए बाहर निकलते हैं।

मजदूरों की पत्नियों ने मुझे इसके बारे में संसद् में प्रश्न पूछने के लिये लिखा है। उनके पति इस तरह शराब पर अपनी तनखा खर्च करते हैं। जब कि कानपुर में मद्यनिषेध करने का मंशा यही था कि मजदूरों की तनखा उस पर बर्बाद न हो।

माननीय मंत्री को राज्य सरकार के साथ इसके बारे में लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। कानपुर में इसके व्यापार को बन्द करने का विरोध केवल कुछ धनी ही करेंगे, क्योंक केवल धनी लोग ही यह व्यापार करते हैं। यदि सरकार इसकी जांच कराये, तो मैं उसकी मदद करने को तैयार हूं।

इस उद्योग के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठाया गया है। सरकार ने सोवियत यूनियन के सहयोग से एन्टी बायोटिक दवायें बनाने का कारखाना खड़ा करके बड़ा अच्छा किया है। हमारे यहां पिम्परी में तैयार होने वाली पेनीसिलीन विदेशों की पेनीसिलीन के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। सरकार कई और दवाओं के कारखाने भी खड़े कर सकती है। आवश्यकता इसी बात की है कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये, लेकिन उससे पहले राष्ट्रीयकृत उद्योग चलाने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

नकली दवाओं के बारे में, माननीय मंत्री ने कई प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। इस समस्या को तभी हल किया जा सकेगा जब लोगों की सामाजिक चेतना जगाई जाये। ऐसे असामाजिक कृत्य के बारे में भी अभी तक कोई प्रलेखीय चलचित्र नहीं बनाया गया। जनता में यह भावना पैदा की जानी चाहिये कि मुनाफे के लोभ में अंधे हो कर ऐसे लोग दूसरे की जान ले लेते हैं।

यह विधेयक प्रगतिशील है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह विधेयक व्यापक नहीं है। व्यापक विधेयक के लिये शायद १०–१५ साल रुकना पड़ेगा। तब तक इस पर ही सख्ती से चलना चाहिये।

अन्त में मुझे यही कहना है कि माननीय सदस्यों के सभी सुझावों पर गौर किया जाना चाहिये।

†सभापति महोदय : अब हम अगला विषय लेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : म प्र.ताव करता हूं :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन पर, जो १७ दिसम्बर, १९५९ को लोक-सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

यह संघ लोक सेवा आयोग का नवां प्रतिवेदन है जो १-४-५८ से ३१-३-५९ की अवधि के सम्बन्ध में है। हमें यह १८-११-५९ को मिला था और इसे हमने १७-१२-५९ को सभा में उपस्थापित कर दिया था। उसी पर आज सभा में चर्चा की जा रही है।

इससे संबंधित मामलों के बारे में कुछ कहने से पूर्व, मैं सभा का तथा आपका ध्यान संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों द्वारा कही गई कुछ बातों की ओर ले जाना चाहता हूं। प्रतिवेदन के ३४वें पैराग्राफ में उन्होंने कहा है 'कि प्रतिवेदन से संबंधित वर्ष में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, जिसमें आयोग की सलाह सरकार ने स्वीकार न की हो।' इससे स्पष्ट हो जाता है कि हम सदा संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार करते रहे हैं। इसके बारे में एक बार कुछ कहा गया था इसीलिए मैंने यह बताया है कि संविधान के अधीन संघ लोक सेवा आयोग का काम सलाह देने का होने पर भी हमारी यही नीति रही है कि उसकी सभी सिफारिशों अथवा सलाहों को मान लें।

१९५०-५१ में हमने उनकी सलाह ६ मामलों में नहीं मानी थी। १९५१-५२ में एक मामले में नहीं मानी थी; १९५२-५३ में दो मामलों में, १९५३-५४ में पांच मामलों में तथा १९५५-५६ और १९५६-५७ में एक एक मामले में हमने उनकी सलाह नहीं मानी थी। परन्तु १९५७-५८ तथा १९५८-५९ में आप देखें कि हमने संघ लोक सेवा आयोग की सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली थीं। इस प्रकार जिन आधारों पर श्री माथुर तथा अन्य माननीय सदस्य हमारी आलोचना करते हैं, उनमें एक आधार तो इस उत्तर से समाप्त हो जाता है।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं]

सरकारी कार्यों में वृद्धि के साथ साथ संघ लोक सेवा आयोग का काम भी बढ़ रहा है। हमने उनकी लगभग सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। पर्याप्त कर्मचारी उन्हें दे दिये गये हैं और अब मैं समझता हूं कि उन्हें कोई असुविधा नहीं है। हम उनके सुझावों पर भी ध्यान दे रहे हैं।

मैं सभा का ध्यान केवल कुछ बातों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगी परीक्षायें होती ही रहती हैं। अभ्यर्थियों की संख्या ६२,७०४ थी, यानी ५,७४८ और बढ़ गई। इसका कारण यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिए बहुत से व्यक्तियों के नाम की सिफारिश की गई थी।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों की संख्या धीरे धीरे इन परीक्षाओं में बढ़ रही है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि यह वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रही है

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार करते समय जिन परिस्थितियों की यहां चर्चा हुई थी, उन्हीं के कारण ऐसा है। सभा को यह भी मालूम ही है कि हम ने नियम बना दिये हैं जिनके अधीन इन लोगों के लिए स्तर कुछ ढीला कर दिया गया है और इसीलिए अब इनकी संख्या बढ़ रही है।

संघ लोक सेवा आयोग ने यह भी बताया है कि कुछ मामलों में वैज्ञानिक तथा प्रविधिक पदों के लिए कुछ हद तक और सामान्य प्रशासनिक पदों के लिये अभ्यर्थियों का मिलना कठिन हो जाता है। अधिसूचनायें निकाली ही जाती हैं और विज्ञापन अंग्रेजी भाषा तथा कुछ अन्य प्रादेशिक भाषाओं में दिये जाते हैं और सामान्यत: अभ्यर्थी मिलते भी हैं परन्तु आयोग ने फिर भी बताया है कि कुछ पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी कठिनाई से मिलते हैं। उन्होंने बताया है कि कम से कम ७२ पदों के लिये उपयक्त व्यक्ति नहीं मिले। ऐसा उन पदों के लिये कुछ विशेष प्रकार की योग्यता अपेक्षित होने के कारण हुआ है। सरकार इन विशेष प्रकार के विषयों में शिक्षा देने के लिये ट्रेनिंग क्लास खोल रही है, जहां उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते।

संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ शिकायतें तथा कुछ सुझाव दिए हैं। हम इन सभी शिकायतों तथा सुझावों पर ध्यान देंगे। शिकायतें कितने ही प्रकार की है। एक देर से नियुक्ति करने के बारे में हैं। सिफारिशें मिल जाने के बाद सरकार कभी कभी नियुक्तियां इस कारण से नहीं करती है कि नियुक्ति करने अथवा न करने के बारे में पूरा निश्चय नहीं होता; फिर मितव्ययता की नीति भी है इन कारणों से नियुक्ति करने में बिलम्ब हो जाता है।

उन की शिकायत विलम्ब से किए गए निर्देशों के बारे में भी है। यह सच है कि कुछ मामलों में विलम्ब हुआ है, परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि वह विलम्ब कुछ कठिनाइयों के कारण ही हुआ है। इस प्रकार के पांच उदाहरण उन्होंने बताये हैं। परन्तु यहां भी मैं सामान्यत: यह बताना चाहता हूं कि कुछ मामलों में भरती के नियम नहीं बताये गये थे। जहां राज्य सरकारों का सम्बन्ध था उस में भी कुछ कठिनाइयां थीं। इसलिये इन सभी मामलों में कुछ न कुछ कठिनाइयां अवश्य थीं। हम ने जब यह सब कठिनाइयां उन्हें बताईं तो बाद में उनकी सामान्य सहमति से सभी नियुक्तियां नियमित कर दी गईं।

संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष तो नहीं लेकिन इस से पहले दो वर्षों के प्रतिवेदन में एक बात बताई थी कि परीक्षाओं से ऐसा मालूम होता है कि अभ्यर्थियों का, सामान्यत: लिखित परीक्षा में और कुछ हद तक मौखिक परीक्षा या "व्यक्तित्व की परीक्षा" में स्तर गिरता जा रहा है। पिछली बार जब यह प्रश्न सभा के सामने आया था तो मैं ने सभा में आश्वासन दिया था कि सरकार यथासंभव शीघ्र इसका कोई उचित हल निकालने का प्रयत्न करेगी। इस विषय से हमारा सम्बन्ध तो सेवाओं के प्रश्न तक ही सीमित है। असल में तो राज्यों के शिक्षा मंत्रालयों से मिल कर केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय को इस प्रश्न को हल करना है। यह आसान प्रश्न नहीं है। हाल में ही दूसरी सभा में बोलते हुए सरदार पणिक्कर ने बताया कि ऐसी शिकायत भारत में ही नहीं है अन्य देशों में भी है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है। हम बहुत उत्सुक हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा रखा जाये और इसीलिए मेरे मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय को लिखा है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकारों को इस के बारे में लिखा है क्योंकि यह सुधार दो स्तरों पर

[श्री दातार]

यानी माध्यमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर दोनों पर किया जाता है । वह राज्य सरकारों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं । उत्तर मिल जाने पर शिक्षा के स्तर में सुधार के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। शिक्षा मंत्रालय संघ लोक सेवा आयोग तथा मेरे मंत्रालय का एक सम्मेलन बुलाया जायेगा । यदि आवश्यक समझा गया तो अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों का भी परामर्श लिया जायेगा ।

हम शिक्षा पर करोड़ों रुपया व्यय कर रहे हैं और जब संघ लोक सेवा आयोग जैसी संस्था इसी के बारे में शिकायत करती है तो इस के बारे में शीघ्र कार्यवाही की जानी चाहिए । माननीय सदस्यों के संतोष के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस समस्या के बारे में पूरी तरह सजग है और वह राज्य सरकारों के सहयोग से इसका उचित हल निकालने को उत्सुक है । आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के परिणाम एकदम दिखाई नहीं देंगे क्योंकि यह सुधार माध्यमिक और उच्च शिक्षा में धीरे धीरे ही हो सकता है । मैं यह भी बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने तथा राज्य सरकारों ने कुछ क़दम उठाये हैं। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पूर्व भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा में कितने सुधार की की आवश्यकता है इसकी जानकारी के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। जो कागजात हमें मिले हैं उन से स्पष्टतः मालूम हो जाता है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय तथा राज्य सरकारों ने आपसी सहयोग से कुछ कार्यवाही की है और कर रही हैं। उच्च शिक्षा के बारे में कई प्रश्न विचाराधीन हैं। एक तो यह है कि कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में प्रवेश किस प्रकार नियमित किया जाये यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन है । अन्ततः हमें इन सभी प्रश्नों को हल करना है जिस से जो करोड़ों रुपया हम व्यय कर रहे हैं उसका अपव्यय ही न हो । हमारा उद्देश्य शिक्षा का सामान्य स्तर बढ़ाना है ; सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है । मुझे पूरा विश्वास है कि यथासंभव शीघ्र कोई कार्यवाही की जायेगी ।

मैं अन्त में केवल इतना कहना पर्याप्त समझता हूं कि कुछ बहुत थोड़े मामलों को छोड़ कर अन्य सभी मामलों में संघ लोक सेवा आयोग पूरी तरह संतुष्ट है कि जो भी सिफारिशें वह करता है हम उनका आदर करते हैं और उनको कार्यान्वित करते हैं। उनको इसका भी संतोष है कि अपने कार्यों को पूरा करने के लिए उनको हमारा पूरा सहयोग मिल रहा है ।

†**सभापति महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। अब इस पर चर्चा होगी। श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : सभापति महोदय, यह प्रतिवेदन ठीक नहीं है क्योंकि वह पूर्ण नहीं है । इसे पढ़ कर यह नहीं जाना जा सकता है कि आयोग ने क्या क्या सुधार किए हैं अथवा करने का विचार किया जा रहा है । प्रतिवेदन देखने से यही मालूम होता है कि उस में मंत्रालय के विरुद्ध कुछ शिकायतों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इस में कुछ सेवा निवृत्ति सेनाधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश किया गया है । इसके संबंध में केवल इतना ही कहा गया है कि आयोग ने २०—२२

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा निवृत्त सेनाधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की । यह नहीं बताया गया है कि कितने सेवा निवृत्त अधिकारी नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं अथवा भरे जाने वाले पदों की संख्या कितनी है । इस प्रकार की सूचना का क्या लाभ हो सकता है ?

यही बात व्यक्तित्व की परीक्षा के सम्बन्ध में भी है । प्रतिवेदन में यह कहीं नहीं बताया गया है कि व्यक्तित्व की परीक्षा का भरती पर क्या असर पड़ रहा है । मैं चाहता हूं कि आयोग ऐसा विवरण पेश करे जिस में अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक और व्यक्तित्व की परीक्षा में प्राप्त अंक दिए गए हों ।

फिर यह कहा गया है कि आयोग ने राज्य आयोगों के साथ विचार विमर्श किया। परन्तु उसके परिणाम का संकेत कहीं नहीं मिलता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन दिया जाय वह ऐसा हो कि एक विषय संबंधी समस्त सूचना मिल सके। इस प्रकार की सूक्ष्म जानकारी सर्वथा व्यर्थ है । म आशा करता हूं कि अगले वर्ष अधिक अच्छा प्रतिवेदन पेश किया जायगा ।

पिछले अवसर पर मैं ने आयोग के कार्य करण के विरुद्ध गंभीर कुछ बात कही थीं। अब एक वर्ष का समय हो गया है । इस बीच में माननीय मंत्री ने उनकी सत्यता का निर्धारण अवश्य कर लिया होगा। क्या वह सभा में यह कह सकते हैं कि मैं ने जो बातें कहीं थीं वे गलत हैं? मैंने उस समय भी यह चुनौती दी थी । आशा है कि अब तक उन की जांच पूरी हो चुकी होगी और आयोग के सम्मान की रक्षा के लिए वह मेरे कथन को गलत सिद्ध कर सकेंगे। मेरा निवेदन है कि संघ तथा राज्य आयोगों को जनता का विश्वास अवश्य प्राप्त होना चाहिए तभी लोग यह समझेंगे कि उन के साथ न्याय हो सकेगा। मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि राजस्थान की समस्त सेवायें यह समझती हैं कि राज्य आयोग द्वारा नियुक्तियों और पदोन्नतियों के मामले में न्याय नहीं किया जाता है और आयोग की परीक्षायें हंसी का विषय बन गई हैं। इसलिए संघ लोक सेवा आयोग को जनता के हृदय में विश्वास की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए।

इस संबंध में मैं असिस्टेंट सुपरिनटेन्डेन्ट्स की परीक्षा का निर्देश करना चाहता हूं। जिसका निर्देश राज्य सभा में भी किया गया था। सचिवालय के लोग यह महसूस करने लग गये हैं कि संघ आयोग गृह मंत्रालय के अधीनस्थ बन गया है ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य हमारे संबंध में चाहे जो कह सकते हैं परन्तु आयोग के संबंध में, जो एक परिनियत निकाय है, कुछ सावधानी बरती जानी चाहिए।

†**सभापति महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि जो लोग सभा में उपस्थित न हों उन के संबंध में ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए क्यों कि वे उनका उत्तर नहीं दे सकते हैं। माननीय सदस्य सरकार की तथा मंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं परन्तु आयोग के संबंध में इस प्रकार के गंभीर आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। जब तक कोई प्रमाण न हो तब तक सामान्य दोषारोपण करना ठीक नहीं है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मैं केवल तथ्य ही उपस्थित कर रहा हूं । १९५५ में असिस्टेंट सुपरिनन्डेन्ट्स की जो परीक्षा हुई थी उस में केवल २६ आदमी नियुक्त किए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

जाने थे । परन्तु वास्तव में यह हुआ कि उतने आदमी तो रख लिए गए और शेष व्यक्तियों की, जिन्होंने ४५ प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे, सूची रखी गई और अगले दो वर्षों में भी उस सूची के आदमियों को ही नियुक्त किया गया । मेरा निवेदन है कि जब केवल २६ नियुक्तियों की सूची ही की जानी थी तो इतने व्यक्तियों की सूची क्यों बनाई गई। क्या परीक्षा के स्तर को ६० प्रतिशत नहीं रखा जा सकता था ? यही नहीं, १९५९ में जो परीक्षा हुई थी उसका परिणाम ही अभी तक घोषित नहीं किया गया है । यदि आयोग इस प्रकार गृह मंत्रालय के इशारों पर चलेगा तो उस पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा । वास्तव में मैंने पिछली बार जो गंभीर बातें कही थीं उसका उद्देश्य यही था कि आयोग और माननीय मंत्री इस प्रकार आचरण करें जिससे आयोग का सम्मान कायम रहे और लोगों में उस के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके ।

इस के बाद मैं कुछ छोटी मोटी बातों का निर्देश करूंगा । आयोग ने विलम्बित निर्देशों और अस्थायी नियुक्तियों की शिकायत की है । माननीय मंत्री के कहने से आयोग इस के लिए तैयार हो गया है कि सरकार एक साल के लिए अस्थायी नियुक्तियां कर सके। यह रियायत प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से दी गई थी परन्तु उसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ है । आयोग ने बड़े कड़े शब्दों में मंत्रालय के कार्य की आलोचना की है ।

आयोग ने भरती के सम्बन्ध में पूर्व आयोजन की ओर भी मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है । बहुत सी कठिनाइयां केवल इसलिये उत्पन्न होती हैं कि उनके सम्बन्ध में पहले से आयोजन नहीं किया गया था । कम से कम सेवा निवृत्त होने वालों की सूचना तो सरकार को रहती है । परन्तु उनके सम्बन्ध में भी समय में कार्यवाही नहीं की जाती है। खेद है कि इस प्रकार की शिकायतों पर भी उनके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । जब हम इस प्रकार की चर्चा करते हैं तो माननीय मंत्री को यह बताना चाहिए कि उन्होंने गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? ऐसा करने से आयोग का सम्मान बढ़ेगा और हमें भी सन्तोष होगा कि अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ।

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कुछ ऐसे पदों का निर्देश भी किया है जिनके लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं । उदाहरण के लिए पृष्ठ ७ पर अध्यापकों की भरती सम्बन्धी कठिनाई का उल्लेख है। मैंने पपिछली बार तथा एक अन्य अवसर पर भी यह कहा था कि विकासशील प्रजातंत्र में अध्यापकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है । अच्छे अध्यापक न मिलने का क्या कारण है ? हम जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रालय ने इसके सम्बन्ध में कोई जांच कराई है और इसके लिये कोई कदम उठाये हैं कि प्रशासकीय पदों की ओर झुकाव कम हो सके ? भारतीय प्रशासकीय सेवा तथा तथा अन्य परीक्षाओं के परिणाम देखने से ज्ञात होता है कि २० से २५ प्रतिशत तक उम्मीदवार कालेजों के अध्यापक होते हैं । मैं यह बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में इस सम्बन्ध में कुछ कदम उठाये गए थे और मुझे खुशी है कि वहां अब यह कठिनाई खत्म हो गई है । सरकार को इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करके शीघ्र ही कुछ कदम उठाने चाहिए ।

कुछ और भी बातें ऐसी हैं जिनका निर्देश मैं करना चाहता था परन्तु समय समाप्त हो जाने के कारण अब मैं अपना भाषण खत्म करता हूं ।

†श्री अय्याकण्णु (नागापट्टिनम्–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन बड़ा महत्वपूर्ण संलेख है क्योंकि आयोग उन प्रशासकों का प्रवरण करता है जो देश का शासन चलाते हैं। मैं उसकी कुछ बातों के सम्बन्ध में संक्षिप्त निर्देश करूंगा। जहां तक व्यक्तित्व परीक्षा के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा निवेदन है कि यदि हम व्यक्तित्व परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों की सूची देखें तो ज्ञात होगा कि उनमें से ८० प्रतिशत शहरों के रहने वाले और बड़े घरों में पैदा हुए लोग होते हैं। मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि ऐसा किसी पक्षपात के कारण होता है। वास्तव में शहरों की परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें रह कर शहरी अभ्यर्थी ग्रामीणों की अपेक्षा अधिक योग्यता प्राप्त कर लेता है। मेरा निवेदन है कि गांवों के विद्यार्थी उन सुविधाओं से सर्वथा वंचित हैं जो शहर वालों को प्राप्त हैं। अतः हमारे संविधान में जो अवसर की समानता का उपबन्ध है वह वास्तविक नहीं कहा जा सकता। हम सामाजिक न्याय की बात तो बहुत करते हैं परन्तु उसे कार्य रूप में परिणत नहीं करते हैं। यहां मैं एक निर्दिष्ट प्रश्न का निर्देश करूंगा।

हमारे संविधान के अनुच्छेद १६(४) के अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों की सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फिर भी हम संविधान में दी गई इस गारंटी को पूरा नहीं कर रहे हैं। संभवतः इसके सम्बन्ध में किसी ने ने विचार ही नहीं किया है। इन लोगों के कल्याण का विभाग गृह-मंत्री जैसे योग्य हाथों में होने पर भी कुछ नहीं किया गया है। यह ठीक है कि प्रशासकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अधिक संख्या में लेने के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है परन्तु फिर भी प्रशासकीय सेवाओं में अनुसूचित जाति के अधिकारियों का प्रतिशत अत्यन्त नगण्य है। १९५८ और १९५९ में भारतीय प्रशासकीय सेवा की लिखित परीक्षाओं में अनुसूचित जातियों के क्रमशः ३० और ३४ अभ्यर्थी सफल हुए थे परन्तु उन वर्षों में क्रमशः २ और ६ को ही चुना गया। यदि वर्तमान गृहमंत्री, जो लौह पुरुष कहे जाते हैं, के समय में उनके लिए सुरक्षित कोटा नहीं भरा गया तो आगे कभी भी नहीं भरा जा सकेगा। इसलिए मैं गृहमंत्री से अपील करता हूं कि परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों में से सर्वोत्तम को चुन लिया जाना चाहिए ताकि उनका कोटा पूरा हो सके। यदि नहीं हो सकता तो सरकार रक्षित कोटे को आयोग के क्षेत्राधिकार से हटा ले और प्रत्यक्ष नियुक्ति करे। यदि इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तो भावी सन्तति कांग्रेस सरकार को यह दोष देगी कि वह अनुसूचित जातियों में से पर्याप्त प्रशासक तैयार नहीं कर सकी।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि १९३७ में जब राजा जी मद्रास के मुख्य मंत्री थे तो क्या हुआ था। जब डिप्टी सुपरिनटेन्डेन्ट पुलिस और डिप्टी कलक्टर के पद के लिए उपस्थित हुए अनुसूचित जाति के दोनों अभ्यर्थी अस्वीकृत कर दिए गए तो मुख्य मंत्री ने उस फाइल पर लिखा कि इस वर्ष उन्हें चुन लिया जाय और फिर देखिए अगले वर्ष वे कैसे निकलते हैं। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि वे दोनों अभ्यर्थी क्रमशः रेलवे पुलिस के डिप्टी इंसपेक्टर जनरल और हरिजन कल्याण निर्देशक के पद तक पहुंच गए। इससे स्पष्ट है कि यदि अनुसूचित जाति के लोगों को मौका दिया जाए तो वे योग्य सिद्ध हो सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि व्यक्तित्व परीक्षा में अभ्यर्थी की मानसिक रुझान का विचार भी किया जाना चाहिए। विकास कार्य के लिए केवल योग्यता ही नहीं वरन् सेवा की भावना भी आवश्यक है। इसलिए मेरा सुझाव है कि व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आवण्टित ४०० अंकों में से कम से कम १०० अंक मानसिक रुझान के लिए रखे जाने चाहिएं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अय्याकण्णु]

तीसरी बात जिसका निर्देश मैं करना चाहता हूं वह है संघ आयोग के सदस्यों को पेंशन देना। संविधान के अनुसार आयोग का सदस्य केन्द्र अथवा राज्यों में कोई काम नहीं कर सकता है। पता नहीं यह उपबन्ध क्यों रखा गया है जब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तक को वैसा करने की अनुमति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त बम्बई, बिहार और राजस्थान में राज्य सेवा आयोग के सदस्यों को पेंशन दी जाती है। इसलिए संघ आयोग के सदस्यों को या तो पेंशन दी जाए या उन्हें कोई अन्य काम स्वीकार करने की अनुमति दी जाय ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी रह सके।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : सभापति महोदया, वर्तमान प्रशासकीय असफलताओं का कारण हमारे प्रशासकों की अयोग्यता नहीं वरन् उनका दृष्टिकोण है। उनमें समयानुकूल भावना का अभाव है। इससे स्पष्ट है कि आयोग का कार्य दोष रहित नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में श्री माथुर ने जो कुछ कहा है वह सर्वथा ठीक ही है। आज भी आयोग में वही लोग बैठे हैं जो एक वर्ग विशेष से सम्बन्धित और जिनके पृथक सामाजिक तथा आर्थिक हित हैं। उनमें से अधिकांश आई० सी० एस० लोग हैं जो ब्रिटिश काल में भी रह चुके हैं। वे लोग वर्तमान परिस्थितियों में कभी भी उपयोगी नहीं हो सकते हैं। सरकार ऐसा समझती है कि बड़े बड़े कार्य आई० सी० एस० लोग ही कर सकते हैं।

†**श्री दातार** : क्या माननीय सदस्य यह नहीं जानते कि संविधान के अन्तर्गत आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिन्हें दस वर्ष का प्रशासकीय अनुभव हो ?

†**श्री राजेन्द्र सिंह** : जब हमारा संविधान बनाया गया था तब हमने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया। हम भविष्य में आने वाले सामाजिक परिवर्तनों की पूर्वकल्पना नहीं कर सके। यही तो समस्त कठिनाई का मूल है।

फिर यह कहा जाता है कि देश में स्वतंत्र स्पर्धा के लिए समस्त अवसर खुले रहने चाहिए। अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की ओर से यह मांग की गयी है कि उन्हें सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में पिछड़े क्षेत्रों का प्रश्न भी उतना ही महत्व-पूर्ण है जितना कि पिछड़े वर्गों का। हम देखते हैं कि मंत्रियों तक की नियुक्ति जाति के विचार से की जाती है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसके कुछ खास कारण हैं। परन्तु यह बात मेरी समझ में नहीं आती है कि विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में देश के एक खास भाग के लोग ही अधिक क्यों आते हैं ? मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उस भाग में ही योग्यता अधिक पाई जाती है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं के लिए विभिन्न राज्यों का कोटा निर्धारित किया जाय। इसमें हमें यह सन्तोष रहेगा कि हमारी अखिल भारतीय सेवाओं में एक विशेष भाग के लोग ही नहीं हैं वरन् देश भर के लोग हैं। ऐसा करने से भाषा विवाद भी खत्म हो जाएगा जो इतने दिनों से चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि राज्यों का कोटा निश्चित किया जाय और उपलब्ध अभ्यर्थियों में से सर्वोत्तम को चुन लिया जाय जैसा कि अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में सुझाव रखा गया है। दूसरे शब्दों में मैं चाहता हूं कि प्रतियोगिता का आधार भारत का औसत नहीं वरन् राज्य का औसत हो। मेरा विश्वास है कि इससे भाषा विवाद भी हल हो जाएगा।

अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि शिक्षित लोगों में प्रशासकीय पदों की ओर जो झुकाव बढ़ रहा है उसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारे देश में प्रविधिज्ञों की कमी

---

†मूल अंग्रेजी में

है फिर भी हमारे विशेष शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी प्रशासकीय सेवाओं में ही जाना पसन्द करते हैं। इसका कारण यह है कि हमारी प्रशासकीय सेवाओं में आर्थिक लाभ अधिक है। इसलिए पदों का वेतन ऐसा रखा जाना चाहिए कि प्रशासकीय सेवाओं के लोग भी उस ओर आकृष्ट हों।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं अपने सहयोगी श्री माथुर की इस बात का समर्थन करता हूं कि संघ आयोग को सेवाओं में विश्वास का संचार करना चाहिए। मेरा विचार है कि आयोग बड़ी योग्यता से प्रवरण कार्य कर रहा है। मैं विभागों द्वारा की जाने वाली तदर्थ नियुक्तियों को ठीक नहीं समझता हूं। आयोग विभिन्न प्रकार के पदों के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची हमेशा अपने पास रख सकता है। उदाहरण के लिए यदि कृषि विभाग को कुछ व्यक्तियों की आवश्यकता है तो आयोग द्वारा उसी प्रकार के पद के लिए पहले बुलाये गए व्यक्तियों में से कुछ को लिया जा सकता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि आयोग जब किसी परीक्षा के सम्बन्ध में इन्टरव्यू करे तो सफल अभ्यर्थियों की एक स्थायी सूची रखी जाय। तदर्थ नियुक्तियों से हमारे नौजवानों पर बुरा असर पड़ता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसे अवसरों पर पहुंच वाले आदमी रख लिए जाते हैं और कुछ समय बाद आयोग से उनकी पुष्टि करा दी जाती है।

अन्त में मैं असिस्टेंट्स और असिस्टेंट सुपरिनटेन्डेन्ट्स की परीक्षा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जब परीक्षा हुई थी तो यह कहा गया था कि १०० या १२० व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। परन्तु आयोग ने बहुत अधिक लोगों की सूची सरकार को दी। मेरा निवेदन है कि आवश्यक व्यक्तियों की संख्या में थोड़ा बहुत हेरफेर चल सकता है परन्तु बहुत अधिक हेर फेर होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : सभापति महोदया, सब से पहले मैं होम मिनिस्टर साहब को एक बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि जो सर्टिफिकेट यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन ने उनको दिया है .....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह हमेशा ही रहता है।

श्री राधे लाल व्यास : कमिशन ने कहा है कि कोई भी ऐसा केस नहीं है जिस में कि जो सिफारिश उसने की हो, गवर्नमेंट ने उससे असहमति प्रकट की हो। सभी सिफारिशों को गवर्नमेंट ने मंजूर किया है। इसके लिए मैं शासन को बधाई देता हूं।

इस रिपोर्ट में जो बातें बताई गई हैं उनके बारे में अब मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं। एक बात जिस की ओर मेरे मित्र श्री माथुर ने ध्यान आकर्षित किया है उसका मैं भी ज़िक्र करना चाहता हूं और वह कान्फ्रेंसिस के बारे में है। ये कान्फ्रेंसिस चेयरमैनों और सदस्य-गणों की होती हैं। हमारे देश में कान्फ्रेंसों की एक परिपाटी सी चल गई है। ये कान्फ्रेंसे देश के अलग अलग भागोंमें होनी चाहियें ....

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : ज्यादातर काश्मीर में होनी चाहियें।

श्री राधे लाल व्यास : जिससे देश के अलग-अलग भागों में देखने को भी चीज मिलें और विचारों का भी आदान प्रदान हो सके। मुझे इन कान्फ्रेंसों के बारे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन साथ ही मैं चाहता हूं कि क्या उपयोगी बातें इन कान्फ्रेंसों में होती हैं, जो खराबियां होती हैं वे दूर हुई हैं या नहीं, दूसरी स्टेट्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देश में भिन्न भिन्न भागों में क्या क्या बुराइयां हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राधेलाल व्यास]

और उन बुराइयों को दूर करने के लिए क्या कुछ किया गया है, यह सब कुछ भी अगर रिपोर्ट में हमारे सामने आ जाया करे तो अच्छा हो । इसकी जानकारी हमको तथा जनता को भी हो जाया करे, ताकि लोगों को पता चल सके कि कमिशन जो बुराइयां हैं उनके प्रति सजग हैं, उनको दूर करना चाहते हैं, तो अच्छा हो । यदि ऐसा किया गया तो फिर कमिशन को उसकी बात मनवाने के लिए हम भी शासन पर जोर डाल सकेंगे । अब तो ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता है कि क्या क्या बातें कमिशन ने शासन को लिखी हैं, क्या क्या अपनी कठिनाइयां बताई हैं, क्या क्या बुराइयां बताई हैं और उसकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए शासन की तरफ से क्या प्रयास किया गया है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि ये सब बातें रिपोर्ट में हमारे सामने आनी चाहियें और मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब कमिशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगी तो इन सब बातों का उसमें समावेश होगा ।

दूसरी बात मैं डिलेड आफर्स आफ एप्वाइंटमेंट के बारे में कहना चाहता हूं । जो वहां से सिफारिशें होती हैं, उनकी नियुक्तियां देर से की जाती हैं इसके बारे में हमारे माथुर साहब ने कुछ आपत्ति की है । मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि सर्विसिस में एक बड़ी आशंका लोगों को रहती है कि जिनका हक है उनको वह मिलता नहीं है, जिन का जो जायज हक है वह उनको नहीं मिलता है । यह एक परिपाटी सी बन गई है कि खाली जगहों पर हमारे उच्चपदस्थ आफिसर अपने मिलने-जुलने वालों को या जिन पर उनकी कृपा होती है, उनको नियुक्त कर देते हैं और दूसरे लोग यह समझते हैं कि वे वर्षों तक चलते रहते हैं । जब सिलैक्शन हो गई तो नियुक्ति न करने का साफ मतलब यह है कि वहां दूसरे लोग काम कर रहे हैं, कोई जगह खाली नहीं रखी गई है, जितने अधिक से अधिक समय तक लोगों को रखा जा सकता है रखा गया है । समझ में नहीं आता है कि आफर्स देर से क्यों भेजी जाती हैं । हम चाहते हैं कि हमें इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए । जब सिफारिशें आ गई हैं तो क्यों नियुक्तियां करने में देरी की जाती है .....

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : साल साल भर देरी से की जाती हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : इस तरह की शिकायतों का मौका नहीं दिया जाना चाहिये । खास तौर से जबकि हमारे यहां प्रजातंत्र है तो लोगों को इस तरह की शिकायत का मौका देना सर्विसिस में एक तरह से डिमोरेलाइजेशन फैलाना है । इसके बारे में एपेंडिक्स ६ में ४० केसिस बतायें गये हैं । लेकिन वे ४० नहीं हैं, बल्कि १२० हैं। उसके पेटे में अगर घुस कर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक एक आइटम में दो दो चार चार और दस दस केसिस हैं जिन के बारे में सिफारिशें .....

श्री जयपाल सिंह (रांची-पश्चिम-रक्षित अनुसूचित जातियां) : ४२० है ।

श्री राधेलाल व्यास : ....आ गई हैं कमिशन की ओर से लेकिन उनकी नियुक्तियां देर से हुई हैं । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस तरह की शिकायत करने का मौका नहीं दिया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : वह ४२० बता रहे हैं ।

श्री राधेलाल व्यास : वह कह रहे होगें मैं तो १२० कह रहा हूं ।

अब मैं रिक्रूटमेंट कोआर्डिनेशन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिसका जिक्र सफा ६ पर है । इसके बारे में कमिशन ने एक सुझाव दिया है कि जो लोग पेंशन पर जाने वाले होते हैं जो रिटायर होने वाले होते हैं, उनके बारे में हमको पहले से पता होता है कि इस साल इतने रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगहों पर लोग नियुक्त हो सकें, इसकी सूचना पहले से ही कमिशन को दे दी जानी चाहये और पहले से प्लान काम को कर लिया जाना चाहिए । कमिशन ने कहा है कि यह पहले से प्लान कर लिया जाना चाहिये कि इस वर्ष हमारे इतने आदमी रिटायर होंगे और इतने आदमियों की हमको जरूरत होगी और उन आदमियों की गवर्नमेंट को बहुत पहले से ही सिलैक्शन करवा लेनी चाहिये । इतना ही नहीं कमिशन की यह भी अपेक्षा है कि उनकी नियुक्त से पहले उनको जो ट्रेनिंग वगैरह देनी है, वह भी पहले ही पूरी तरह से दे दी जानी चाहिये । अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारा जो प्लान है वह पीछे रह जाएगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कमिशन ने कही है और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर अमल करे ।

कमिशन ने यह भी कहा है कि एक ही किस्म के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए बार बार, साल में तीन तीन और चार चार बार कहा जाता है । अलग अलग मिनिस्टरीज़ की तरफ से ऐसा किया जाता है । इन पोस्ट्स के लिए वही क्वालिफिकेशसं होती हैं, वही ग्रेड होता है और जो दूसरी आवश्यकतायें होती हैं वे भी एक सी ही होती हैं । अलग अलग डिपार्टमेंट्स से लिस्टें जाती हैं । ऐसा नहीं होना चाहिये । कोआर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में होनो चाहिये । पहले से ही योजना तैयार कर ली जानी चाहिये जिससे कि समय की बचत हो, समय भी अधिक न लगे, खर्चा भी अधिक न हो और काम की भी खराबी न हो और साथ ही साथ समय पर अफसर मिल सकें । इस वास्ते इस कोआर्डिनेशन की तरफ भी आपका ध्यान जाना बहुत जरूरी है ।

इररेगुलर एप्वाइंटमैंट्स और डिलेड रेफ्रेंसिस के बारे में एपेंडिक्स १४ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें वैसे ३५ आइटम्स हैं लेकिन उसमें नियुक्तियां जो हुई हैं वे २२८ हैं । यह काफी बड़ी संख्या है। इस तरह की शिकायत करने का मौका कमिशन को नहीं मिलना चाहिये ।

प्रामोशंस टू दी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस राज्यों में जो होती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा अब कहना चाहता हूं । मैं मध्य प्रदेश के बारे में तो कुछ जानता हूं दूसरी स्टेटस के बारे में कुछ नहीं जानता । हमारे यहां तो यह बात है कि सिलैकशन किस तरह से होता है, इसका पता किसी को नहीं होता है । किस तरह से जो जूनियर केडर में हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जा सकते हैं, क्या आठ साल जिन की नौकरी हो गई हैं उन सब के केसिस को देखा जाता है या जिसको चीफ सैक्रेटरी या डिपार्टमैंटल सैक्रेटरी दस, बीस, सौ, दो सौ, नाम जो उसके सामने पेश हो जाते हैं, उनमें से छांट करके भेजता है उन्हीं के केसिस को देखा जाता है । मैं समझता हूं कि इसके बारे में कोई नियम होने चाहियें ताकि सब को पता चल सके कि सिलैकशन का क्या तरीका है । यह उनकी ही इच्छा पर नहीं छोड़ दिया जाना चाहियें कि जिसको चाहें भेज दें जिसको चाहें

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राघेलाल व्यास]

न भेज दें । अगर यह बात हुई तो पबलिक सर्विस कमिशन किस लिए है । मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस मद् में आ सकते हों, उनके नामों को भेजा जाना चाहिये, उनका ध्यान रखा जाना चाहिये ।

प्राविजनल एंड अदर टैम्पोरेरी एप्वाइंटमैंट्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट इसमें दी गई हैं और बताया गया है कि जो प्राविजनल पैंडिग रिक्रूटमेंट रखे गए थे उनकी संख्या ६८४ थी और जिन लोगों के सरविस में रख लिया था और जिनके लिए फिर से रिटेंशन ने वास्ते लिखना पड़ा, उनकी संख्या ४९५ थी, जो कि एक बड़ी संख्या है । यह ठीक है कि पबलिक सरविस कमीशन ने एग्री कर लिया लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरह का मौका आना चाहिए कि पहले से नियुक्यिां कर लें और फिर रिटेंशन के लिए लिखें । जहांतक हो पबलिक सरविस कमीशन की राय ले कर ही नियुक्तियां की जानी चाहिएं ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : सभापति महोदय, आज संघ लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन पर हम चर्चा कर रहे हैं । संविधान के अनुसार इस को हम स्वतंत्र समझते हैं परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि यह भी पूरी स्वतंत्रता से काम नहीं कर रहा है । १९५९ में सह अधीक्षकों के बारे में एक परीक्षा की गई थी जिसमें लगभग २०० व्यक्तियों ने ४५ प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए थे । परन्तु खद का विषय है कि आयोग ने पूरी सूची प्रकाशित नहीं की । माननीय मंत्री कृपया इसके बारे में बतायें ।

लोक-सभा में हमने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमों से आयोग तथा संविधान का निरादर किया गया है । परन्तु खेद के साथ बताना पड़ता है कि सरकार ने लोक-सभा की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया । मैं बताना चाहता हूं कि इन विनियमों का लाभ उठा कर कितनी ही अनियमित नियुक्तियां की गई हैं ।

परिशिष्ट १४ पृष्ठ ६१ से ६४ पर विलम्ब से निर्देशों के ३५ उदाहरण दिए गए हैं । प्रतिवेदन में भी ६ ऐसे मामले बताए गए हैं । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में ३ वर्ष से अधिक तक दो अधिकारियों को अनियमित रूप से नियुक्त रखा गया । श्रम और रोजगार मंत्रालय में दो मामलों का ३ तथा ४ वर्ष तक निर्देश नहीं किया गया । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इनका निश्चित उत्तर दें ।

परिशिष्ट ११ तथा १२ में ऐसे मामलों के बारे में बताया गया है कि जिनमें आयोग ने या तो विज्ञापन दे दिए थे या इन्टरव्यू कर लिए थे और सरकार ने इन पदों को बाद में रद्द कर दिया । प्रतिवेदन में बताया गया है कि सरकार की इस कार्यवाही के कारण अभ्यर्थियों तथा आयोग को बड़ी असुविधा उठानी पड़ी ।

शिक्षा के गिरते हुए स्तर के बारे में मंत्री महोदय ने बहुत कुछ कहा है । मैं उनका आभारी हूं और आशा करता हूं कि दसवें प्रतिवेदन में हमें बताया जायेगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है ।

व्यक्तित्व परीक्षाओं के बारे में जनता में बड़ी भ्रान्ति है और इसके बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ८४४ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि संघ लोक सेवा आयोग प्रयत्न करता है कि दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर होने वाली व्यक्तित्व परीक्षा उन्हीं व्यक्तियों से करायें जिन्होंने दिल्ली

---

†मूल अंग्रेजी में

में यह परीक्षा की हो। इससे सभी सेवाओं में चुनाव समान विद्वता के अभ्यर्थियों का हो सके। परन्तु ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि यह व्यक्तित्व परीक्षायें एक ही समय में होती हैं। मैं इस बात पर इसलिये अधिक जोर दे रहा हूं क्योंकि इनमें गड़बड़ी की संभावना रहती हैं। आप देखें कि २७८ अभ्यर्थियों में से ८२ अभ्यर्थियों को दिल्ली में इन्टरव्यू के द्वारा चुना गया जब कि अन्य स्थानों पर इन्टरव्यू के द्वारा केवल १३ अभ्यर्थी पहले १३६ अभ्यर्थियों में स्थान प्राप्त कर सके। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ८२ अभ्यर्थी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चुने गये और १९६ अभ्यर्थियों में से जिनका इन्टरव्यू अन्य स्थानों पर हुआ केवल १३ व्यक्ति पहले १३६ अभ्यर्थियों में आया था। इसके बारे में ३१ मार्च, १९६० के **हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड** में एक पत्र प्रकाशित हो चुका है जिसको पढ़ने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाता है।

इसी के बारे में ११ अप्रैल, १९६० के **अमृत बाजार पत्रिका** में एक पत्र 'व्यक्तित्व परीक्षा' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। उसमें बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय वैदेशिक सेवा के लिए २७८ अभ्यर्थियों की व्यक्तित्व परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के प्रधान तथा ४ सदस्यों ने की और ५१० की परीक्षा भारत के अन्य स्थानों पर अन्य व्यक्तियों ने की। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरे अभ्यर्थियों की ठीक परीक्षा नहीं हो पाती है।

मेरा इसीलिए माननीय गृहमंत्री से अनुरोध है कि वह इस बारे में हमें पूर्ण आश्वासन दें क्योंकि २९ अगस्त, १९६० को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया था कि 'व्यक्तिगत परीक्षा' के लिए निश्चित अंकों को कम करने पर विचार किया जा रहा है।

श्री भक्त दर्शन (गढ़वाल) : आदरणीय सभानेत्री जी, संघीय लोक सेवा आयोग के जिस प्रतिवेदन पर आज इस सदन में विचार किया जा रहा है वह १ अप्रैल, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक सम्बन्धित है। लेकिन जैसा कि माननीय मंत्री ने स्वयं अपने प्रारम्भिक भाषण में बतलाया कि १८ नवम्बर, १९५९ को स्वयं सरकार के पास यह रिपोर्ट आई और उसने लगभग एक महीने के बाद यानी १७ दिसम्बर को इस सदन की मेज पर उसे रखा। शायद इस बीच में वह रिपोर्ट छपती रही होगी इसलिए एक महीना लग गया। जब कि संघीय लोक सेवा आयोग को राज्य सरकारों से रिपोर्टें नहीं मंगाना है और दिल्ली में ही उसका कार्यालय है तब यह साढ़े सात महीने के बाद रिपोर्ट आना कुछ उचित नहीं जंचता। श्री तंगामणि ने ठीक ही कहा कि इस समय तो सन् १९५९-६० की रिपोर्ट पर बहस होनी चाहिए थी और मैं भी उनके इस सुझाव और राय से सहमत हूं और मैं भी माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस सदन की ओर से वे लोक सेवा आयोग से यह अनुरोध करें और हमारा अनुरोध आयोग को पहुंचायें कि उन्हें दो या तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देनी चाहिए ताकि कम से कम उसी वर्ष के अन्दर उस पर वाद-विवाद हो सके और कुछ सुझाव दिये जा सकें।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं और पिछली बार भी यह प्रश्न उठाया गया था कि आयोग की जो भी रिपोर्ट पेश की जाती है वह अंग्रेजी में ही होती है जब गृह मंत्रालय से उस वक्त हमने बहुत प्रश्न पूछे तब उन्होंने उसका हिन्दी अनुवाद कराने की कृपा की लेकिन वह भी कई महीनों के बाद। अब भारत सरकार ने अपनी नई घोषित नीति के अनुसार यह स्वीकार कर लिया है कि हिन्दी और अंग्रेजी समान रूप से प्रयोग की जायेंगी। । तब आखिर इसको अमल में क्यों नहीं लाया जाता। आशा है कि आगे से जितनी भी आयोग की रिपोर्टें सदन में रखी जायेंगी उनके हिन्दी और अंग्रेजी दोनों के संस्करण एक साथ सदन की मेज पर रखे जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भक्त दर्शन]

सभापतिजी महोदया, राष्ट्रपति के आदेश का यहां पर मैंने उल्लेख किया इसलिए मैं यह उचित समझता हूं कि उससे सम्बन्धित एक विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूं हालांकि इस रिपोर्ट से उसका सीधा सम्बन्ध नहीं है। राष्ट्रपति जी का राज भाषा के सम्बन्ध में जो आदेश सदन की मेज पर पिछले दिनों रखा गया था और जिसका कि उत्तर देते हुए गृह मंत्री महोदय ने बतलाया था अब उस पर कायवाही की जा रही है, कुछ कदम उठाये जा रहे हैं तो मैं यह जानना चाहूंगा राज्य मंत्री महोदय से कि क्या उस सम्बन्ध में आयोग से कुछ लिखा पढ़ी की गई है ? दो बातें उसमें खास तौर से ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि एक नोटिस दे कर के यानी पूर्वसूचना दे कर के हिन्दी के माध्यम द्वारा भी अखिल भारतीय जो परीक्षायें हों, प्रतियोगितायें हों उनमें बैठने की छूट दी जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस सम्बन्ध में कोई लिखा पढ़ी हो रही है या इस सम्बन्ध में आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया है और कोई तैयारी उस बारे में की जा रही है ?

अभी इस सदन में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बतलाया और स्वयं मंत्री जी ने इसे स्वीकार किया कि दो शिकायतें की गई हैं। एक तो यह कि विभिन्न राज्यों के बीच में जो इन सेवाओं का बटवारा होना चाहिए वह कुछ उचित नहीं मालूम पड़ता बल्कि उसमें बहुत कुछ पक्षपातपूर्ण होने की गंध आती है। दूसरी बात यह है कि हमारा स्तर गिरता चला जा रहा है। मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से खयाल यह है कि विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा जो हमारी प्रतियोगितायें हो रही हैं उसके कारण भी हमारे सामने बड़ी अड़चन पड़ रही है। ऐसे बहुत से विद्यार्थी होते हैं, प्रतियोगी होते हैं और जिनकी कि संख्या काफी होती है जो कि परीक्षा सम्बन्धी विषय के बहुत बड़े अधिकारी और विद्वान होते हैं लेकिन चूंकि उनका भाषा पर अधिकार नहीं है इसलिए उनके अन्दर पावर आफ एक्सप्रेशन नहीं होती, अभिव्यंजना शक्ति नहीं रहती जिससे कि वे अपने भावों को अच्छी तरह से प्रकट करने में असमर्थ रह जाते हैं और परिणामतः वे प्रतियोगिताओं में पूरे और ऊंचे नम्बर नहीं पाते हैं। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करें कि इसके बारे में आयोग से क्या परामर्श चलाया जा रहा है।

दूसरी बात उस आदेश में यह बतलाई गई है कि प्रत्येक प्रतियोगी को कम से कम जो हिन्दी के माध्यम के द्वारा परीक्षा दे उसे एक अंग्रेजी का पर्चा करना पड़ेगा और किसी दूसरी भारतीय भाषा में पर्चा देना होगा। जो अंग्रेजी के माध्यम के द्वारा परीक्षा देता है उसे कम से कम हिन्दी का एक पर्चा जरूर पास करना पड़गा। मैं इन दो चीजों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराते हुए उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस बारे में प्रकाश डालने की कृपा करें।

अभी कई मित्रों ने इस सदन् का ध्यान साक्षातकार अर्थात् पर्सनैलिटी टैस्ट की ओर दिलाया है। मैं यह चीज बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इसके बारे में मैं ने अभी तक यही समझा है कि यह एक महज गोरखधंधा और झंझट है और मेरा खयाल है कि अन्य माननीय सदस्य भी इसे एक गोरखधंधा और झंझट ही समझते हैं। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिन में एक दफा तो ४००, ४०० नम्बर १, १ लड़के को मिल जाते हैं और एक दफा ४० नम्बर भी नहीं मिलते हैं। समझ में नहीं आता है कि यह सब गड़बड़ क्या है ? ऐसे बहुत से उदाहरण हैं और कमीशन के सामने ऐसे बहुत से दृष्टान्त होंगे कि एक परीक्षार्थी को परीक्षा में इसलिये असफल कर दिया गया कि वह साक्षतकार अर्थात् पर्सनैलिटी टैस्ट में सफल नहीं हुआ लेकिन दूसरी बार दूसरी परीक्षा में वही बैठता है और सफल हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि बहुत से परीक्षार्थी राज्य सरकारों के जो आयोग हैं उनकी परीक्षाओं में तो असफल हो जाते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार यह पर्सनैलिटी टैस्ट तो मुझे एक बड़ा घपला और

गोरखधंधा मालूम पड़ता है। राज्य सभा में मंत्री जी ने यह घोषित किया था कि अब पर्सनैलिटी टैस्ट में उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। यह प्रतिबंध तो हटा दिया गया लेकिन एक तरफ ४०० नम्बर दे देना और दूसरी तरफ ४०२, ७५० नम्बर दिये जांय तो इससे कितना बड़ा अंतर पड़ जाता है। अगर लिखित परीक्षा में कोइ सिद्धहस्त भी हो और वह उसमें बहुत अच्छे नम्बर भी पाये तो भी वह उस भारी अन्तर को कहां तक पूरा कर पायेगा यह सोचने की बात है। मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार किया जाये। आयोग को भी विचार करना चाहिये और स्वयं हमारी केन्द्रीय सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या यह नहीं हो सकता कि इस तरह के जो यह साक्षात्कार की व्यवस्था है उसे बिलकुल समाप्त कर दिया जाय। उसके स्थान पर एक मैडिकल एग्जामिनेशन या कोई इस तरीके की चीज हो जिसमें पूरी तरह देख लिया जाय कि कोई अंधा, काना, लंगड़ा व गूंगा सर्विसेज में न आ जाय क्योंकि जाहिर है कि एक लंगड़े आदमी को देख कर जनता में क्या आदर होगा, यह सोचने की बात है। इसलिये शारिरिक परीक्षा उसकी हो जाये व एक विस्तृत डाक्टरी परीक्षा उसकी हो जाय। यह उचित ही है कि बिलकुल ही कमजोर और बुरे स्वास्थ्य के लड़के हमारी सर्विसेज में न जायें। लेकिन यह साक्षात्कार अर्थात् पर्सनैलिटी टैस्ट का धोखा और माया जाल फैलाये रखना मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा।

मैं अधिक समय न लूंगा। लोगों की एक बड़ी शिकायत यह रही है कि पिछले दिनों यहां इस सदन में एक विवाद उठाया गया था कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (मिनिस्ट्री आफ इनफौरमेशन एंड ब्राडकास्टिंग) की ओर से जो विज्ञापन दिये जाते हैं वे भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को बहुत कम दिये जाते हैं। तब डा० केसकर ने उसके बारे में यह कहा था कि हमारे सामन अड़चन यह है कि लोकसेवा आयोग हमसे सहयोग नहीं करता है क्योंकि यह अपने विज्ञापन सीधे समाचार-पत्रों को देता है और चूंकि अभी तक अंग्रेज़ी माध्यम के द्वारा यह प्रतियोगितायें होती हैं इसलिये अंग्रेजी समाचार पत्रों में ही यह विज्ञापन दिये जाते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा यह अनुरोध उनके पास पहुंचा दें कि उन्हें बदली हुई परिस्थितियों पर विचार करना चाहिये और जो ये परीक्षायें हैं, महत्वपूर्ण प्रतियोगितायें हैं, इनके जो विज्ञापन हैं उनको वे भारतीय भाषाओं के पत्रों में भी देने की कृपा करें।

एक और बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिला कर मैं समाप्त करता हूं। इस रिपोर्ट के सातवें पृष्ठ के पैरा १४ में दिया हुआ है कि २२ भूतपूर्व सैनिक अफसरों को नौकरी पर लगाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो फौजी अफसर हैं वे जब अवकाश ग्रहण करते हैं, रिटायर होते हैं, तो अकसर यह शिकायत रही है कि ४५ से ले कर ४८ वर्ष की उम्र म उनको रिटायर किया जाता है। यह ऐसी उम्र होती है जिस समय में कि उनके बच्चे विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में पढ़ते रहते हैं और एक दम से उनका वेतन घट करके आधा या तिहाई रह जाता है। इससे उनके सामने संकट का एक पहाड़ खड़ा हो जाता है। मैं अनुभव करता हूं कि उनकी सेवाओं से लाभ न उठाना, उनकी सेवाओं से बंचित हो जाना, उचित नहीं है। जो लोग यहां पर शसस्त्र सेनाओं के सम्बन्ध में दिलचस्पी लेते रहे हैं, उनके आन्दोलन के फलस्वरूप अब रक्षा मंत्रालय ने कुछ थोड़ी बहुत उम्र बढ़ाने की कृपा की है और शायद ४८ वर्ष के बजाय ५१ या ५२ वर्ष कर दी है। लेकिन फिर भी जब हम देख रहे हैं कि दूसरों के लिये रिटायर होने की उम्र ५५ वर्ष रखी गई हैं और किन्हीं के लिये ६० और ६५ वर्ष भी रखी गई

[श्री भक्त दर्शन]

है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिये तो इनको क्यों जल्दी रिटायर किया जाए। मैं आशा करता हूं कि आयोग का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और हमारे जो फौज से निकले हुए अधिकारी हैं, जो कि वास्तव में बड़े योग्य हैं और जिन की कार्यशीलता के बारे में कोई सन्देह नहीं किया जा सकता है, उनको अधिक संख्या में नौकरी में लिया जाएगा, और उनको सेवा करने का फिर अवसर दिया जाएगा ताकि उनकी योग्यता से, उनके अनुभव से देश लाभ उठा सके।

इन शब्दों के साथ मैं आयोग को और शासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमें यह अवसर दिया गया कि हम इस रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट कर सकें और मैं आशा करता हूं कि अगली रिपोर्ट जब आएगी तो जल्दी आएगी और उस पर भी वाद-विवाद करने का मौका सदस्यों को दिया जाएगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : इस विषय पर मैं इस कारण बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भर्ती का व्यक्तिगत अनुभव है। भर्ती का एक ढंग तो यह है कि आप आदमियों को लेते जायें और फिर अयोग्य व्यक्तियों को निकालते जायें। दूसरा ढंग परीक्षाओं द्वारा भर्ती करने का है।

प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान, जर्मनी सरकार ने अपने सैनिक अधिकारियों को भर्ती करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी चालू किया था इसके बाद यह ढंग लगभग सभी देशों में अपना लिया गया परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में योग्य मनोविश्लेषकों का अभाव है।

जो लोग व्यक्तित्व के मूल्यांकन का विरोध करते हैं उन्हें उसके वास्तविक महत्व का ज्ञान नहीं है। व्यक्तित्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इसका प्रभाव प्रत्येक अंग पर पड़ता है। सभी लोग चाहे वे आदिवासी अथवा अन्य, बराबर की योग्यता रखते हैं। यह बात दूसरी है कि कुछ लोगों को आगे बढ़ने के अवसर शीघ्र प्राप्त हो जाते हैं, जब कि दूसरों को थोड़ी देर बाद मिलते हैं। यदि हम भारत में समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को सेवाओं में अवसर देना होगा। हमारे आयोगों का ढांचा ही पूरी तरह से बदलना होगा। किन्तु मेरा यह अभिप्राय कभी भी नहीं है कि आयोग के व्यक्तियों को ले लेना चाहिये। हमें कुछ न कुछ स्तर कायम करना ही होगा।

कुछ लोग यह कहते हैं कि सेना में अनुसूचित जातियों के अधिकारी अधिक नहीं हैं। इसका उत्तर यह है कि उन बेचारों को दूसरे के बराबर अवसर उपलब्ध नहीं हुये होते। अतः वे पीछे रह जाते हैं। श्री भक्त दर्शन ने कहा है कि कुछ लोगों को लिखित परीक्षा में तो चार चार सौ अंक प्राप्त हो जाते हैं परन्तु व्यक्तित्व की परीक्षा में उन्हें केवल ४० अंक ही प्राप्त होते हैं। उसका कारण यह होता है कि कई बार ऐसे लड़के दूसरों पर विपत्ति डाल कर लाभ उठाने वाले होते हैं। जब ऐसी प्रवृत्ति का हमें ज्ञान हो जाता है तो हम उस व्यक्ति के नीचे किसी का जीवन खतरे में नहीं डालते।

नौकरियों के लिये चुनाव के पूरे प्रश्न पर फिर से विचार करना होगा। चुनाव को पूर्णतः वैज्ञानिक रूप देने के लिये हमें आयोग के पूरे ढांचे का ही अभिनवीकरण करना होगा। इसका एक ढंग यह भी है कि लोक सेवा आयोग को प्रशासनिक प्रभाव अथवा हस्तक्षेप से बिल्कुल मक्त कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि यह प्रतिवेदन पूर्ण नहीं है और सभी बातों का उल्लेख नहीं करता। जहां तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का सम्बन्ध है, मैं तो यह कहूंगा कि कुछ सीमा तक इसे स्वतन्त्र रूप से कार्य नहीं करने दिया गया। बल्कि इसे एक दिशा विशेष से काम करने के लिये कहा गया है। इससे पूर्व भी यह बात यहां पर कही गई थी, परन्तु सरकार यह समझती है कि वह कुछ पदों के बारे में आयोग की राय न लेकर संविधान के अनुच्छेद ३२३ का उल्लंघन नहीं कर रही। किन्तु सरकार ने हमें यह जानकारी नहीं दी कि किन किन पदों के बारे में ऐसा हो रहा है।

†**श्री बातार** : कुछ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के सम्बन्ध में ऐसा हो रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग ने भी मान लिया है कि ऐसे छोटे छोटे पदों को पूरा करने के लिये यहां न भेजा जाय ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : कुछ पद ऐसे हैं जिनका वेतन २०० रुपये मासिक होता है परन्तु सरकार ने उन्हें भी तीसरी श्रेणी में ही रखा है। इस दिशा में सरकार का क्या उत्तर है ?

जहां तक भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाओं का सम्बन्ध है उनमें से बहुत ही कम लोगों को इंटर्व्यू के लिये बुलाया जाता है। जो लोग लिखित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जायं उन्हें इंटर्व्यू के लिये एक से अधिक अवसर प्राप्त होना चाहिये। हो सकता है कि इस तरह से योग्य व्यक्तियों को भी सेवा में आने का अवसर प्राप्त हो जाय। मेरा सुझाव है कि लिखित परीक्षाओं का परिणाम एक साथ न निकाल कर खंडशः निकालना चाहिये। दूसरे मेरा यह भी सुझाव है कि जिन लोगों ने एक बार लिखित परीक्षा पास कर ली है उन्हें हर वर्ष केवल इंटरव्यू के लिये ही बुलाया जाये। और यह अवसर तब तक दिया जाये जब तक कि उनकी उम्र की कैद पूरी न हो जाये। हो सकता है कि ये विद्यार्थी किसी और दूसरे पदों के लिये उपयुक्त सिद्ध हो जायें।

कुछ पदों के लिये भर्ती करते समय सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को भी बोर्ड में बैठा दिया जाता है। इस प्रणाली का परित्याग करना ही हितकर है। उनकी मौजूदगी से उनके विभागीय उम्मीदवारों के पक्ष में अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

जहां तक अनियमित नियुक्तियों का सम्बन्ध है, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कई बार मंत्रालय तीन तीन वर्ष के पश्चात् पहले से भर्ती किये गये लोगों को आयोग के पास भेजते हैं। तब आयोग को उन्हीं लोगों को ही रखना पड़ता है। ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। इससे आयोग की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सरकार को पिछड़े हुए वर्गों के उम्मीदवारों को और अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये। आयोग के अन्दर एक अथवा दो सदस्यों को इन पिछड़े वर्गों में से नियुक्त किया जाना चाहिये ।

अन्त में मेरा निवेदन है कि इंटरव्यु में विषय से सम्बन्धित प्रश्न ही पूछे जाने चाहियें। यह नहीं होना चाहिये कि एक व्यक्ति इतिहास का अध्यापक बनने जाय और उससे गणित शास्त्र के प्रश्न पूछे जायें। मौखिक परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों और उनके उत्तरों का रिकार्ड रखा जाना चाहिये ताकि उम्मीदवार यह जान सकें कि उनस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या ऐसा रिकार्ड नहीं रखा जाता ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है परन्तु आयोग के सदस्यों को इस सम्बन्ध में जानकारी रहती है ।

†**श्री नरसिंहन्** : फैडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के काल में ऐसा रिकार्ड रखा जाता था ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : ऐसा करना बहुत जरूरी है । इसी से निष्पक्षता का आभास मिल पायेगा और इस बात का पता चल जायेगा कि विद्यार्थी को कितने नम्बर दिये गये हैं । ऐसा रिकार्ड रखने से विद्यार्थियों को इस बात की भी जानकारी हो जायगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि इन प्रश्नों का रिकार्ड रखा जाये और उन्हें प्रकाशित कराया जाये ।

†**श्री नरसिंहन्** (कृष्णगिरि) : यह प्रतिवेदन विशेष महत्व का है । यह संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है, अतः आयोग के इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की रीति और तरीके पर अधिक ध्यान देना चाहिये । सरकार जिन बातों में आयोग से विभिन्न मत रखती है उनके बारे में भी सरकार का स्पष्टीकरण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाना चाहिये । कई लोगों को सन्देह है कि इस दिशा में सरकार के स्पष्टीकरण का कोई चिह्न ही नहीं है । यह हो सकता है कि मंत्री द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण काफी न समझा जाय ।

यह भी देखने में आया है कि वैज्ञानिक और प्राविधिक कर्मचारियों को समुचित अंश प्राप्त नहीं हो रहा । कई जगहों पर अब भी आई० सी० एस० लोगों को प्राथमिकता दी जाती है । इस सम्बन्ध में चुनाव के मानदंड में उपयुक्त सुधार होना चाहिए ताकि वैज्ञानिक और प्रविधिक कर्मचारियों को अपना अधिकार प्राप्त हो सके । तकनीकी पदों के उम्मीदवारों का चुनाव करने वाला अधिकारी भी ऐसा ही होना चाहिये जिसको तकनीकी मामलों का पूरा ज्ञान हो । बदले हुए हालात का इस मामले में भी पूरा प्रभाव पड़ना चाहिये ।

†**श्री दातार** : इस मामले में विशेषज्ञों का मत ले लिया जाता है । जो समिति उम्मीदवारों का निर्वाचन करती है, उसमें इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के विशेषज्ञ को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है । इसके अतिरिक्त सम्बद्ध सदस्य तो होते ही हैं । इसके अतिरिक्त जिस मंत्रालय के लिये उम्मीदवार चुनने होते हैं उस मंत्रालय से सम्बन्धित अधिकारी भी समिति की बैठकों में बैठता है ।

†**श्री नरसिंहन्** : मेरा तात्पर्य यह है कि आई० सी० एस० अथवा आई० ए० एस० के लोगों के हाथों में ही बागडोर नहीं रहनी चाहिये, तकनीकी लोगों को भी आगे आने देना चाहिए । आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है ७० प्रतिशत लोग पहले ही परीक्षण में अयोग्य सिद्ध होते हैं । अयोग्य लोगों को ऐसे पदों पर आवेदन पत्र देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिये । मैं सरकार से यह प्रार्थना भी करना चाहता हूं कि वह अपने कुल आदमियों की जरूरत के लिये पहले से ही योजना बना ले । बाद में आयोग को कार्यक्रम को कार्यान्वित करते समय कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । इससे प्रशिक्षण इत्यादि के लिये काफी सुविधा हो जायेगी ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : लोगों की यह धारणा बनती जा रही है कि हमारी सरकार और इसके अधिकारियों की कथनी और करनी में आकाश पाताल का अन्तर हो रहा है । स्वराज्य का आनन्द केवल मंत्रीगण ही उपयोग कर रहे हैं जनता नहीं । पदों के लिये ठीक तरह के लोगों

---

†मूल अंग्रेजी में

को छांटने के लिए परीक्षा लेने का तरीका ठीक नहीं है। देश की शासन पद्धति में अच्छी तरह परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि लोग पुलिस अथवा अफसरों के हस्तक्षेप के बिना ही अपने आप अपना काम कर सकें।

श्री ब्रजराज सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट कमीशन ने पेश की है, मैं चाहूंगा कि वह ढर्रे की रिपोर्ट न बन कर, उस में कुछ नई बातें भी आयें। खास तौर से पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटव्यू के बारे में कई सालों से आलोचना होती रही है। क्या यह सम्भव नहीं है कि कमिशन की रिपोर्ट में इस बारे में भी कुछ हो और वह इसकी कुछ सूचना भी दे। मान लीजिये कि १५० आदमी बुलाये गये पर्सनैलिटी टैस्ट के लिये। जो आदमी मेरिट के हिसाब से ऊपर थे उन १५० में से कौन से आदमी ऐसे थे जो पर्सनैलिटी टेस्ट या वाइवा वोसी के इम्तहान के अन्दर मेरिट के हिसाब से नीचे जा कर पड़ गये और कितने नीचे पड़ गये ? अगर इस तरह की बात हमारे सामने आये तो कम से कम यह अन्दाजा तो लगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जो पर्सनैलिटी टेस्ट में आगे बढ़ जाते हैं और रिटेन टेस्ट में पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन के नम्बर नहीं आ पाते हैं। वैसे तो मैं कई सालों से कहता रहा हूं और आज भी दोहराता हूं कि पर्सनैलिटी टैस्ट ऐसी चीज है जो सिर्फ कुछ लोगों को आगे बढ़ाने के लिये है। उस से कभी भी मेरिट का अन्दाजा नहीं लग सकता है। हम कभी भी उस से नहीं देख सकते कि कौन कितना काबिल है।

आज के जमाने में कौन कैसे कपड़े पहनता है, कैसी भाषा बोलता है, या किस शक्ल का है, इस से शासन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब विदेशी शासन था तब तो यह माना जा सकता था कि अगर कोई अच्छी भाषा बोलना जानता है तो वह अच्छा कलेक्टर बन सकेगा या अच्छा कमिश्नर बन सकेगा। लेकिन आज जब हम जनता का राज्य कायम करने की बात कहते हैं, खासतौर से समाजवादी राज्य कायम करने की बात कहते हैं, तो कोई आदमी कैसी भाषा बोलता है, किस प्रकार के कपड़े पहनता है या उस की कैसी शक्ल है, इस का असर नहीं पड़ता है। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है जब कि पर्सनैलिटी टेस्ट को हमें खत्म कर देना चाहिये। इस के कतई माने नहीं हैं कि अगर कोई आदमी मेडिकली फिट नहीं है, उस की अच्छी तन्दुरुती नहीं है तब भी उसे ले लिया जाय, या किसी खास ऊंचाई का नहीं है तो भी उसे ले लिया जाय। इस के लिये तो आप नियम बना सकते हैं कि इस से कम ऊंचाई का आदमी अफसर नहीं बनेगा, या इस तरह की तन्दुरुस्ती होगी तभी अफसर बन सकेगा, उस के वास्ते वैसे ही इम्तिहान होते हैं। लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट ले कर आप बहुत से आदमियों को जो वहां आ सकते हैं, वहां आने से रोक देते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में यह भी आना चाहिये कि जो उम्मीदवार चुने जाते हैं आखिर वे किस वर्ग से आते हैं। मुझे कुछ ऐसा अन्दाज है कि एक ऐसा वर्ग बन गया है जिस के लड़के ही हमेशा पर्सनैलिटी टेस्ट में पास हो जाया करते हैं, इम्तहान में पास हो जाया करते हैं और वही हमेशा उस में आया करते हैं। नतीजा यह होता है कि हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा भाग ऐसा है जो कि यह महसूस करता है कि उन के बच्चे कभी भी सर्विसेस में पहुंच नहीं सकते। मैं उदाहरण दूं। हरिजनों की बात कही जाती है आदिवासियों की बात कही जाती है कि चूंकि वे हरिजन हैं आदिवासी हैं पिछड़े वर्ग के हैं इसलिये वे अच्छे अफसर नहीं बन सकते। मैं नहीं कहता कि इस में कोई बेईमानी की बात होगी, या नियत में कोई खराबी होगी। लेकिन यह कुदरती बात है कि चुनने वाले जिस वर्ग के होंगे वह हमेशा ही यही सोचेंगे कि

[श्री ब्रजराज सिंह]

जो आदमी उन के वर्ग से है वही अच्छा रहेगा और अनजाने में वह उसको चुनेंगे । इसका नतीजा यह होता है कि देश का एक बड़ा वर्ग सरविस तक नहीं पहुंच पाता । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस कमी को दूर करने के लिए यदि आवश्यक हो तो आपको संविधान की आर्टिकिल ३२० को भी बदलना चाहिए। उस में यह लिखा है कि परीक्षा ली जाएगी, और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि इस प्रकार की परीक्षा परम्परा के अनुसार ली जाती है । इस आर्टिकिल में यह नहीं कहा गया है कि किन किन विषयों में परीक्षा ली जाएगी। अब यह बात तै होनी चाहिये किन किन विषयों में परीक्षा होगी। अब पुराना ढर्रा नहीं चल सकता । और अगर आप पुराना ढर्रा ही चलायेंगे तो शासन भी पुराने ढंग का ही होगा। जैसे अफसर होंगे वैसा ही शासन चलेगा क्योंकि उन पर ही शासन निर्भर करता है । सरकारें तो आती हैं और जाती हैं, अफसर वही रहते हैं। इसलिए सरकार चाहे जैसी भी हो, जो स्थायी अफसर हैं शासन उन पर ही निर्भर करता है । आप नीतियां भले ही बना लें । लेकिन अगर उन पर ठीक प्रकार से अमल नहीं किया होगा तो उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए अगर आप को नया राज्य बनाना है, नया समाज बनाना है तो आपको अफसरों को चुनने का नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब अफसरों को चुनने की पुरानी परम्परा नहीं चल सकती। इस परम्परा को बदलने की जरूरत है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय गौर करें और अगर आवश्यकता हो तो आर्टिकिल ३२० और २१६ को बदल दें जिस में कहा गया है कि कमीशन के आधे मेम्बर ऐसे होने चाहिएं जो कहीं न कहीं सरविस में रह चुके हों। अब यह आवश्यक नहीं रह गया है कि कमिशन के कुछ मेम्बरों का सरविस में रहना आवश्यक हो। उनको शासन का अनुभव हो यह अच्छी बात है लेकिन यह जरूरी नहीं होना चाहिए कि कमीशन के आधे आदमी सरविस के आदमियों में से ही लिए जाएं ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं । आप केवल एक ही भाषा में सरविस के लिए विज्ञापन क्यों देते हैं । इस बारे में मिनिस्टर साहब आफ इनफारमेशन और ब्राडकास्टिंग से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह चीज तो पबलिक सरविस कमिशन के हाथ में है । इस लिए मैं चाहूंगा कि इस ओर गृह मंत्रालय ध्यान दे कि विज्ञापन केवल अंग्रेजी भाषा में ही न दिए जाएं। आज देश में जो अंग्रेजी पढे लिखे लोग केवल एक प्रतिशत हैं और ९९ प्रतिशत जो दूसरी भाषाएं पढे हैं. क्या उन के लिए ये विज्ञापन नहीं हैं।मेरा निवेदन है कि यदि आप अंग्रेजी के विज्ञापनों को रोक नहीं सकते हैं तो जो दूसरी १४ भाषाएं संविधान में दर्ज हैं उनमें भी सर्विसेज के लिए विज्ञापन देने की व्यवस्था करें जिससे कि आम जनता को इसके बारे में जानकारी हो सके । केवल एक भाषा में विज्ञापन देने से लोगों के मन में यह भावना पैदा होती है कि शासन एक भाषा के पत्रों को विशेष प्रोत्साहन दे रहा है । इस भावना को दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए । लोगों के मन में यह भावना नहीं रहने देनी चाहिए कि शासन अंग्रेजी के पत्रों को विशेष सुविधायें देकर उनको फाइनेंस कर रहा है और उनकी आमदनी बढ़ा रहा है और दूसरी भाषाओं के पत्र पिछड़ रहे हैं ।

इसी के साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हमको मैरिट के पुराने स्टेंडर्ड पर जिद नहीं करनी चाहिए । हमें हरिजनों और आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए उसी स्टेंडर्ड तक आने की जिद नहीं करनी चाहिए । और आखिर यह स्टेंडर्ड क्या है । हो सकता है कि किसी के अनुसार यह स्टेंडर्ड हो कि एक आदमी कितनी मिट्टी खोद सकता है या

कितने पल्ले डाल सकता है और दूसरे के अनुसार स्टेंडर्ड यह हो कि वह कैसी अंग्रेजी बोल सकता है। तो आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं और जिनमें अफसर नहीं हैं, अगर वह उस मेरिट के अनुसार नहीं भी हैं तो उनको लेना पड़ेगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हरिजनों और आदिवासियों के लिए संविधान में जितने पदों की व्यवस्था की गई है वे पद भी उनको पूरे नहीं मिल पाते। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के लोगों में भी अफसर नहीं हैं। इसलिए अगर हो सके तो कुछ समय के लिए इनके लिए ६० प्रतिशत स्थान सुरक्षित कर दिये जायें ताकि पांच दस साल में वे अपनी आबादी के अनुपात में अफसरों में आ सकें।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी मेरे मित्र श्री राजेन्द्र सिंह जी ने कहा कि राज्य के मुताबिक हमको अफसर लेने चाहिए। मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि ऐसा करने से प्रान्तीयता और रीजनिज्म फैलेगा और इससे मुल्क टूटेगा। मुल्क तभी आगे बढ़ सकता है जब कि लोगों में यह विश्वास पैदा हो कि हमारे आदमी भी शासन कर रहे हैं किसी एक वर्ग के ही लोग शासन नहीं कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता हैं कि हमको आजाद हुए इतना समय होने के बाद भी आज देश में लोगों में यह विश्वास नहीं है कि उनका अपना राज्य है। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि उनके अपने आदमी नौकरियों में नहीं पहुंच पाते।

हमारे मंत्री महोदय इस बात के लिए क्रेडिट लेना चाहते हैं कि इस साल कोई मामला ऐसा नहीं हुआ जिसमें गवर्नमेंट का कमीशन की राय से मतभेद रहा हो। उसी के साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनमें डिफरेंस हुआ है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में तीन तीन चार-चार साल से ऐसे कुछ पद चले आ रहे थे जिनमें कमीशन की राय नहीं ली गई थी। और जब चार पांच साल बाद राय ली जाती है तो कमीशन के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रहता कि उनको मंजूर कर ले। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हम लगातार कुछ ऐसे कारपोरेशन बना रहे हैं जिनमें बड़ी से बड़ी तनख्वाह वाली जगहों के लिए कमीशन को पूछने की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट के अन्त में कुछ पद दिये गये हैं जिनको रूल बना कर मुक्त कर दिया गया है यानी जिनमें कमीशन की राय लेने की जरूरत नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है :

"नार्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेन्सी के प्रशासन से सम्बन्धित कोई सर्विस या पोस्ट"

इसमें बड़ी से बड़ी तनख्वाह वाली जगह के लिए कमीशन से पूछने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा कारपोरेशन्स की बड़ी से बड़ी तनख्वाह वाली जगहों के लिए भी कमीशन की राय लेना जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत गड़बड़ पैदा हो सकती है। कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कारपोरेशन में जो बड़े बड़े पद हैं उनके लिए भी कमीशन की राय ली जाए।

†**श्री दातार** : प्रशासन के कार्य को सुधारने तथा सरकार और संघ लोक सेवा आयोग अपने कार्य को सुचारू रूप से चलायें इस बारे में माननीय सदस्यों ने जो भी सुझाव दिये हैं मै उनका स्वागत करता हूं। कई प्रकार के प्रश्न उठाए गए हैं और विशेष रूप से व्यक्तित्व परीक्षा का प्रश्न उठाया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्तित्व परीक्षा को बिल्कुल ही समाप्त करने के बारे में अपनी राय प्रकट की है। सरकार इस बारे में विचार कर ही है कि हमें क्या करना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

कुछ वर्ष पूर्व व्यक्तित्व परीक्षा के विरुद्ध यह आपत्ति उठाई गई थी कि इसको पास करना अनिवार्य न बनाया जाये। इस शर्त को हमने समाप्त कर दिया है। और हमने यह नियम बना दिया है कि हम परीक्षा में विद्यार्थी को जितने भी अंक मिलेंगे वह उसकी परीक्षा में प्राप्त कुल प्राप्तांकों में जोड़ दिये जायेंगे। इससे विद्यार्थियों को कुछ राहत मिली है। गुणिता के आधार पर सरकार सारे मामले पर विचार कर रही है लेकिन फिर भी हमें प्रश्न के दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझना चाहिये।

कुछ लोगों की धारणा थी कि यह व्यक्तित्व परीक्षा विद्यार्थी के कपड़ों तथा उसकी वशभूषा से सम्बन्ध रखती थी। ऐसा सोचना गलत है। यह परीक्षा तो इसलिये रखी गई थी कि परीक्षार्थी के व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन हो सके क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि विद्यार्थी किताबें घोट कर अधिक नम्बर प्राप्त कर लेते हैं। दस बारह मिनट के दौरान में उससे सामान्य जानकारी के बारे में नाना प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह देख लिया जाता है कि वह उस पद के लिये उपयुक्त है या नहीं जो कि उसे दिया जा रहा है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है और उस विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि सरकार इस पर विचार कर रही है।

शायद कुछ माननीय सदस्यों तथा समाचार पत्र वालों को यह भ्रांति है कि सभी परीक्षाओं के लिये प्राप्तांक एक ही से हैं। व्यक्तित्व परीक्षा तथा लिखित परीक्षा के लिये अलग अलग नम्बर और प्रत्येक पर्चों के भी नम्बर अलग अलग हैं।

आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० परीक्षाओं की व्यक्तित्व परीक्षा केवल दिल्ली में ही हुई थी। जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं में सफल नहीं हुए उनके बारे में यह विचार किया गया कि क्या वे और केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिये उपयुक्त हो सकते हैं। दिल्ली के इन्टरव्यू बोर्ड का यही काम था। विभिन्न क्षेत्रीय इन्टरव्यू बोर्ड केन्द्रीय सेवा परीक्षाओं के लिये आवेदन पत्रों तथा प्रार्थियों के बारे में जांच करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार के विषयों के अन्तर के होते हुए भी इस बात का ध्यान रखता है कि उपयुक्त स्तर बना रहे।

एक प्रश्न यह भी उठाया गया है कि क्या संघ लोक सेवा आयोग उपयुक्त स्तर स्थापित कर रहा है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में कुछ बातों का समझना आवश्यक है। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रपति तथा सरकार इस बात की पूरी सावधानी रखती है कि संघ लोक सेवा आयोग में अच्छे से अच्छे योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाये उन्हें न केवल प्रशासन की ही अच्छी जानकारी हो बल्कि दस वर्ष तक का अनुभव भी हो। क्योंकि सभा को यह अच्छी तरह ज्ञात है कि ये लोग उन व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं जो बाद में चलकर सरकार का काम चलाते हैं। और बाद में चल कर बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जिनसे इन पदों की क्षमता बनी रहे।

इन प्रशासकीय अनुभवी व्यक्तियों के अतिरिक्त ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति भी की जाती है जिन्हें विज्ञान तथा प्रविधिक क्षेत्र का भी अच्छा ज्ञान हो। चूंकि ऐसे लोगों की संख्या एक या दो ही होती है अतः वे अन्य बातों के प्रभाव में आ जाते हैं कहना गलत है। उनके स्तर के बारे में कम से कम इतनी छोटी बात नहीं सोचनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त ऐसे मामलों में जहां कि पद प्रविधिक होता है अथवा जटिलताबद्ध होता है वहां दो तरीके अपनाये जाते हैं पहली बात तो यह है कि मंत्रालय के प्रतिनिधि इन बैठकों में भाग लेते हैं साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति भी बैठक में भाग लेते हैं जिन्हें एसोसियेटिड सदस्य कहते हैं और वे संघ लोक सेवा आयोग को परामर्श देते हैं।

इन परिस्थितियों में ये परीक्षाएं जो कि संघ लोक सेवा आयोग लेता है इस आधार पर फेल नहीं होतीं कि कोई ऐसा सदस्य अनुपस्थित है जिसे उस विषय की जानकारी है ।

मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्यक्तित्व परीक्षा के बारे में सरकार विचार कर रही है अतः इस स्थिति में यह बताना ठीक नहीं है कि सरकार क्या कर रही है । अतः इस मामले को इतनी सरसरी तौर पर ही समाप्त नहीं कर देना चाहिये । व्यक्तित्व परीक्षा के मामले में शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय किया जायेगा ।

यह भी कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग कभी कभी विभिन्न प्रकार के नम्बर देता है । पर्चों पर तथा व्यक्तित्व परीक्षा में के बारे नम्बर देने का काम तो संघ लोक सेवा आयोग पर छोड़ दिया गया है । विद्यार्थियों की उपयुक्तता के बारे में जानकारी करने का काम तो पूर्णतः संघ लोक सेवा आयोग पर छोड़ दिया गया है चाहे वे लिखित परीक्षा ले कर करे अथवा व्यक्तित्व परीक्षा लेकर अथवा अन्य किसी और दूसरे ढंग से । और यही कारण है कि उन के द्वारा दिये जाने वाले अंकों की संख्या प्रतिवर्ष अलग अलग होती है । हमारा तो यही सम्बन्ध है कि संघ लोक सेवा आयोग हमें पद विशेष के लिये अच्छे उम्मीदवारों की एक सूची दे दे । यह ठीक है कि उन विद्यार्थियों ने अच्छे नम्बर प्राप्त किये हों लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सरकार उन सभी व्यक्तियों को अपने स्थान दे देगी जिनकी सिफारिश कि संघ लोक आयोग ने की है । इन सभी व्यक्तियों को नौकरी देने के मामले में सरकार के सामने कुछ कठिनाइयां होती हैं । उदाहरण के लिये हमारे पास रिक्तस्थानों की संख्या कुछ कम ही होती है । हम संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभागीय परीक्षा भी लेते हैं । वह आयोग हमें कुछ विद्यार्थियों की एक सूची देता है जिस में विद्यार्थियों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या की अपेक्षा एक या दो ही अधिक होती है । मानलीजिए हमें ५० व्यक्तियों की आवश्यकता है तो वह हमें ६० या ६५ व्यक्तियों के नाम भेजेगा क्योंकि उस में से १०—१५ आदमी छंट सकते हैं या हो सकता है कि वे समय पर उपलब्ध न हो सकें । इसका अभिप्राय यह नहीं समझना चाहिये कि अगर किसी विद्यार्थी ने पास होने वाले नम्बर पा लिये हैं तो उसे सेवा में ले लिया जावेगा अथवा उसकी पदोन्नति कर ही दी जायेगी । विभागीय परीक्षा की विशेष पृष्ठ भूमि है ।

पदोन्नति के मामले में हमें जब कुछ स्थानों की पूर्ति करनी होती है तो हम उम्मीदवारों का चयन करते हैं । इस के लिये हमने दो ही साधन लिये हैं एक तो यह है कि हम उम्मीदवारों का चयन उन के कार्य के आधार पर हो जिसका उल्लेख उनके करेक्टर रोल से पाया जाता है अथवा उस ने विभागीय परीक्षा में कैसा कार्य किया है । इसका विभाजन हम ने कुछ अनुपात से किया है । इस के बाद हम संघ लोक सेवा आयोग से विभागीय उम्मीदवारों की विभागीय परीक्षा लेने के लिये कहते हैं । असिस्टेंट सुपरिन्टेंडेंट परीक्षा इसी प्रकार की एक परीक्षा थी । जहां तक कि ऐसी परीक्षाओं में प्राप्तांकों के प्रतिशत की बात है यह प्रश्न हम संघ लोक सेवा आयोग पर ही छोड़ देते हैं । ऐसे मामलों में संघ लोक सेवा आयोग यह करता है कि वह यह देखता है कि विभागीय परीक्षा में उम्मीदवारों ने कैसा कार्य किया है उस के बाद ही यह आयोग उस परीक्षा के पास होने वालों के लिये न्यूनतम प्राप्तांकों की संख्या निर्धारित करता है । अतः यह प्राप्तांकों की न्यूनतम संख्या हर परीक्षा के मामले में अलग अलग हो सकती है । इस मामले में सरकार तो कुछ विशेष नहीं करती संघ लोक सेवा आयोग ही अधिक कार्य करता है । हमारा काम तो उन्हें उम्मीदवारों की

[श्री दातार]

संख्या भेज देने का है और वह आयोग सभी प्रकार से ठोक बजा कर हमें उम्मीदवारों की एक सूची भेजता है। अब उस अनुसूची के अनुसार ही लोगों की नियुक्ति करते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्ति किये जाने के पश्चात् वह सूची समाप्त हो जाती है। एक दो मामलों में ऐसा भी हुआ है कि परीक्षाओं में पास व्यक्ति की संख्या अधिक थी। इसलिये सरकार ने नियम से बाहर जा कर उस वर्ष उन लोगों की भी नियुक्ति कर दी। वर्ना सामान्य रूप से तो वह सूची समाप्त हो जाती है। लोगों का कहना है कि चूंकि आप ने ऐसा एक बार किया है अतः यह पूर्वाधारण बन गया है इसलिये आप इसे हर बार करें। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि यह कोई विश्वविद्यालय की परीक्षा तो है नहीं। विश्वविद्यालय तो उसे पास इस लिये कर देती है क्योंकि उसने कम से कम इतने प्राप्तांक प्राप्त किये हैं लेकिन साथ ही वह उन की नियुक्ति की कोई गारंटी भी तो नहीं लेती।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वे प्राथमिकता भी निर्धारित करते हैं ?

†**श्री दातार** : जी हां। उन व्यक्तियों के नाम उन की पोजीशन के हिसाब से होते हैं और हम नियुक्ति की भी उस सूची के अनुसार ही करते हैं। मैं बता चुका हूं कि हम ने कुछ लोगों की आगे भी नियुक्ति की है क्योंकि हम उन्हें अवसर देना चाहते हैं। लेकिन हम ने उन को बता दिया था कि वे इसे पूर्वादहारण न समझें। कुछ लोगों की भ्रान्ति थी कि विभागीय परीक्षा जितने लोगों ने पास की है उन सभी को पदोन्नति दी जाये अथवा उन की नियुक्ति की जाये। उसी को दूर करने के लिये मैंने यह सब कुछ किया। इस के अलावा कुछ और भी सुझाव यहां दिये गये हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग उन के बारे में विचार करेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा देखने में आया है कि लिखित परीक्षा में उम्मीदवार के बहुत अच्छे नम्बर आये हैं लेकिन मौखिक परीक्षा के कारण उसे नहीं लिया जा सका है ?

†**श्री दातार** : यहां केवल लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों को ले कर ही कुछ कहा जा रहा है लेकिन लिखित और मौखिक परीक्षाओं के दोनों के प्राप्तांकों को जोड़ा जाता है। और कुल नम्बरों के आधार पर ही ध्यान दिया जाता है। यह संभव है कि जो लिखित परीक्षा में प्रथम आया हो वह मौखिक में प्रथम न आये। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसे बिल्कुल भी न लिया जाये। यह बात दूसरी है कि उस का पद बहुत नीचे रहा हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : संसद् सदस्य यह बात जानने के लिये इच्छुक हैं कि किस आधार पर मौखिक परीक्षा का परिणाम निर्धारित किया जाता है।

†**श्री दातार** : लिखित तथा मौखिक परीक्षा के लिये प्राप्तांकों की कुछ संख्या संघ लोक सेवा आयोग ने निर्धारित कर दी है। इस मामले में यह होता है कि विद्यार्थी के सभी अंक एक साथ जोड़ दिये जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य उन उम्मीदवारों के बारे में कोई गारंटी चाहते हैं जिन्हों ने लिखित परीक्षा में तो अच्छे प्राप्तांक प्राप्त किये हैं लेकिन मौखिक में अच्छे नहीं। इस बात की क्या गारंटी है कि मौखिक परीक्षा में उन के साथ अच्छा व्यवहार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : सरकार इस मामले की जांच करेगी। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह मान लेना कि हर अच्छी चीज तो लिखित परीक्षा में होती है और हर बुरी बात मौखिक परीक्षा में गलत है ।

†**श्री अय्याकण्ण**: एक उम्मीदवार जिसे कि लिखित परीक्षा में ७५ प्रतिशत नम्बर मिले लेकिन मौखिक में उसे शून्य मिला ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य केवल अफवाह के आधार पर ही ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो हम उस को जांच करेंगे। अधिक से अधिक इतना हुआ है कि एक विद्यार्थी मौखिक परीक्षा में कम नम्बर पाने के कारण असफल हो गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : आई० ए० एस० तथा आई० एफ० एस० के लिये लिखित तथा मौखिक परीक्षा के लिये के कितने कितने प्रतिशत प्राप्तांक रखे गये हैं।

†**श्री दातार** : आई० ए० एस० तथा आई० एफ० एस० के लिये मौखिक परीक्षा के हेतु ४०० तथा लिखित के लिये कुल १३०० या १४०० अंक रखे गये हैं।

यह तो ठीक है कि एक उम्मीदवार जिस ने लिखित परीक्षा में प्रथम पद प्राप्त किया है उसे मौखिक में प्रथम पद न मिला हो लेकिन पांचवां पद तक तो मिला सकता है। लेकिन यह विश्वास करना गलत है कि वह बिल्कुल ही फेल हो जायेगा।

अन्त में मैं यही आश्वासन दूंगा कि हम उन सभी बातों को अच्छी तरह जांच करेंगे जिन का प्रश्न यहां उठाया गया है। सरकार तथा संघ लोक सेवा आयोग दोनों ही चाहते हैं कि इस प्रकार की कोई घटना न हो ।

श्री न० रा० मुनी स्वामी ने कहा है कि सरकार अथवा लोक सेवा आयोगकी सभी अधिसूचनायें केवल अंग्रेजी समाचारपत्रों में प्रकाशित होती हैं। ऐसा कहना गलत है। दरअसल दिसम्बर १९५७ में हम ने इस बारे में आदेश जारी किये थे उस के बाद से हम ने ६ भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों के नाम और जोड़ दिये हैं।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : सभी क्षेत्रीय भाषाओं में क्यों नहीं ?

†**श्री दातार** : इस के बारे में तथा इस के क्षेत्र के बारे में हम विचार करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संघ लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन पर, जिसे १७ दिसम्बर, १९५९ को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कोचीन गोदी श्रमिक योजना*

†**श्री कोडियान** : (क्विलोन-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : इस चर्चा की उत्पत्ति कोचीन गोदी श्रमिक योजना से संबंधित तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर में कही गयी चार बातों के कारण हुई

---

†मूल अंग्रेजी में

*आधे घंट की चर्चा

[श्री कोडियान]

है। वे चार बातें इस प्रकार हैं : (१) योजना को क्रियान्वित करने में विलम्ब (२) मजदूरों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न (३) काम के अनुसार मजूरी देने की प्रणाली लागू करना (४) मजदूरों को बीमारी तथा आकस्मिक छुट्टियां लेने का अधिकार।

कोचीन बन्दरगाह के श्रमिकों को स्थायी बनाने की योजना सरकार द्वारा १९५७ में स्वीकृत हो गई थी। ६ जून, १९५९ को कोचीन बन्दर श्रमिक (नियोजन का विनियमन) योजना सरकार द्वारा गजट में अधिसूचित की गई। यद्यपि तब से एक वर्ष का समय बीत गया तथापि मजदूरों को पंजीय करने का प्रारम्भिक कार्य भी नहीं किया गया।

गोदी श्रमिक योजना बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के बन्दरगाह में लागू है, इस योजना का उद्देश्य गोदी श्रमिकों के रोजगार का नियमन और गोदियों में काम करने के लिये उपयुक्त संख्या में श्रमिकों का संभरण करना है, जिस से बन्दरगाह का काम कुशलतापूर्वक चलता रहे। इस योजना के अनुसार श्रमिकों के दो वर्ग होते हैं एक तो मासिक मजूरी के आधार पर काम करने वाले और दूसरे रक्षित पूंज में रखे गये कर्मचारी। योजना का प्रशासन एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है।

इस संबंध में मैं आप को यह बताना चाहता हूं कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में रक्षित पुंज के श्रमिकों को गारन्टी शुदा न्यूनतम मजूरी, उपस्थिति मजूरी, और काम न मिल सकने का मुआवजा (डिसएप्वाइन्टमेंट मनी), बीमारी की छुट्टियां, विशेष छुट्टियां और आकस्मिक छुट्टिया भी दी जाती हैं। कलकत्ता बन्दरगाह में रक्षित पुंज के श्रमिकों को न्यूनतम २१ दिनों की गारंटीशुदा मजूरी मिलती है, जब कोचीन बन्दरगाह में मजूरों को केवल १२ दिनों की गारन्टीशुदा मजूरी मिलेगी। कोचीन बन्दरगाह योजना के अनुसार रक्षितपुंज के श्रमिकों को उपस्थिति मजूरी केवल १ रुपया मिलेगी जब कि अन्य बन्दरगाहों में यह दर कहीं ज्यादा है।

इस योजना का उद्देश्य यह है कि कोचीन बन्दरगाहों में श्रमिकों की नैमित्तता समाप्त हो कर उन्हें नियमित कर दिया जाये। इस से श्रमिकों में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना उत्पन्न होगी। और नियोजक तथा श्रमिकों के बीच के संबंधों में सुधार होगा। इस के फलस्वरूप उद्योग के कार्य में और कुशलता आयेगी।

कोचीन बन्दरगाह की विशेष स्थिति है कि वहां काम देने का काम एक विशेष कार्मिक संघ के हाथों में दिया गया है, जो मजदूर उस कार्मिक संघ के सदस्य नहीं हैं उन्हें काम नहीं मिल सकता है, कोचीन में बन्दरगाह माल श्रमिक संघ सब से पुरानी संस्था है, तथापि उस के सदस्यों को काम मिल ही नहीं सकता है, इस संघ के सदस्य इस योजना को लागू करने में ढील ढाल कर रहे हैं, क्योंकि इस योजना के लागू होने से उन के एकाधिकार की समाप्ति हो जायेगी। नौवहन समवाय भी इस योजना के लागू होने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस योजना के लागू होने पर उन्हें सामान्य मजूरी के अतिरिक्त बोर्ड के प्रशासन को वहन करने के लिये थोड़ा सा उपकर भी देना होगा।

अब मैं डाक्टरी परीक्षा का प्रश्न लेता हूं, योजना के अनुसार केवल नये श्रमिकों की ही डाक्टरी परीक्षा होनी थी। लेकिन बोर्ड ने मन माने रूप से यह परीक्षा उन मजूरों के ऊपर भी थोप दी जो कि वहां पहिले से ही काम कर रहे थे। यह सब योजना की क्रियान्विति में विलम्ब करने के लिये किया जा रहा है।

कोचीन बन्दरगाह में मजूरों की छंटनी करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। यहां तक किया जा रहा ह कि कोचीन बन्दरगाह में मजदूर आवश्यकता से अधिक हैं।

†**अध्यक्ष महोदय**: यद्यपि आधे घंटे की चर्चा हो रही है तथापि केवल एक ही सदस्य इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस प्रकार की चर्चा से कोई लाभ नहीं है जब सभा में सदस्य ही न हों। मैं आगे के लिए यह प्रथा कायम करना चाहूंगा कि आधे घंटे की चर्चा तभी की जाय, जब कि इसकी सूचना पर कम से कम २५ सदस्यों के हस्ताक्षर हों। अभी यह मेरा केवल सुझाव है।

†**श्री कोडियान**: मजूरों की आवश्यकता का हिसाब मासिक औसत के आधार पर लगाया जा रहा है, कोचीन एक ऐसा बन्दरगाह है जहां कुल यातायात वर्ष के कुछ ही महीनों से सीमित रहता है, इसलिये मासिक औसत के हिसाब से मजूरों का हिसाब लगाना उचित नहीं होगा। इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि बन्दरगांह के सभी वर्तमान मजूरों को पंजीयित कर दिया जाय। यदि उनकी छंटनी की जायेगी तो इस योजना का मजूरों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

एक प्रस्ताव यह रखा गया है कि काम के अनुसार मजूरी दी जाय, यदि यह प्रणाली अपनायी जायेगी तो इससे मजूरों का शोषण होगा और वस्तुतः मजूर के श्रम का सही अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। क्योंकि मजूर का उत्पादन कई बातों पर निर्भर करता है। निसंदेह यदि सरकार उत्पादन का ऊंचा स्तर कायम करना चाहती है तो उन्हें चाहिये कि वे बोनस इत्यादि निश्चित करें अर्थात् एक निश्चित मात्रा से अधिक काम करने वाले व्यक्ति को बोनस दिया जाय।

बम्बई तथा कलकत्ता गोदी श्रमिकों को आकस्मिक छुट्टियां, बीमारी की छुट्टियां इत्यादि मिलती हैं, अतः मेरा सुझाव है कि कोचीन बन्दर के श्रमिकों को १५ दिनों की आकस्मिक छुट्टियां, १५ दिनों की बीमारो की छुट्टियां, १५ दिनों की स्वेतन छुट्टियां तथा पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि सुविधायें मंजूर की जायें।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि यह योजना तत्काल लागू की जाय।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम): १९५२ में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायधिकरण ने यह निर्णय किया था कि एक वर्ष के भीतर नैमेतिक श्रमिकों को नियमित बनाने की योजना लागू हो जाय? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? क्या सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार इस पंचाट को क्रियान्वित न करने के विरुद्ध कार्यवही करेगी?

गोदी श्रम योजना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान श्रमिकों का पंजीयन नहीं होगा, तब वर्तमान श्रमिकों का पंजीयन क्यों किया जा रहा है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: सर्वप्रथम में श्री कोडियान द्वारा रखे गये इस सुझाव को लेता हूं कि यह योजना तत्काल लागू की जाय। हमें तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिये जब तक कि यह योजना लागू न हो जाय और सारे श्रमिक इस योजना के अन्तर्गत न आ जायें। माननीय सदस्य ने कहा कि इस समय कलकत्ता में काम न मिलने के मुआवजे के रूप में २ रुपये दिये जाते हैं। गारन्टी किये हुए काम के दिन भी अधिक होते हैं। यह सही है।

जब यह योजना कलकत्ता में लागू की गई थी तो एक रुपया दिया जाता था और केवल १२ दिनों की गारन्टी थी। वे चाहते हैं कि ३३०० व्यक्ति जो पंजीयित होने का दावा करते हैं उन सभी को ले लिया जाय जब कि इतना काम केवल १५७८ व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें गारन्टी से २१ दिन काम दिया जाय तथा इसके अतिरिक्त बीमारी तथा अन्य छुट्टियां भी दी जायें। मैं इनके विरुद्ध नहीं हूं तथापि इन बातों के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आबिद अली]

इस समय स्थिति यह है कि हमारे सामने यह एक पंचाट है। संघ उस पंचाट के आधार पर काम कर रहे हैं। पंचाट के अनुसार इस योजना के लागू होने तक अधिकरण द्वारा सिफारिश की हुई योजना के अनुसार काम होगा। वस्तुतः हम स्वयं यह चाहते हैं कि यह योजना तत्काल लागू की जाय। सरकार ने एक त्रिपक्षीय बोर्ड इस काम के लिये नियुक्त कर दिया है, इसके अध्यक्ष एक सरकारी पदाधिकारी हैं तथा सदस्य मजदूरों और नियोजकों के प्रतिनिधि हैं। इस बोर्ड ने अपने समक्ष रखे गये कई मामलों का निर्माण भी कर लिया है। इस संबंध में माननीय सदस्य ने जिन कामों का जिक्र किया है वे हमारे द्वारा अथवा कोचीन स्थित केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किये गये। उन सब को समिति के सम्मुख रखा गया और नियोजकों तथा कर्मचारियों की सलाह से उन पर निर्णय किया गया।

१६७८ व्यक्तियों का डाक्टरी परिक्षण हो चुका था। ९२ व्यक्तियों का भी परीक्षण इस समय तक समाप्त हो चुका होगा, अतः डाक्टरी परीक्षाओं को विलम्बित करने का प्रश्न इस समय उत्पन्न नहीं होता है। यदि इस योजना में डाक्टरी चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो इसकी व्यवस्था की जा सकती है। जब स्वयं श्रमिकों के प्रतिनिधि डाक्टरी परीक्षण के पक्ष में हैं, तो माननीय सदस्य को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे श्रमिकों का ही लाभ होगा, यह उनके हित में है, कि वे सक्षम डाक्टरी बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होकर अपना परीक्षण करवायें, इससे न केवल उन्हें किसी विशेष कार्य के लिये उपयुक्त या अनुपयुक्त ठहराया जा सकता है, अपितु इससे अन्य लाभ ही हो सकते हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि इन बातों का राजनीति से कोई संबंध नहीं है।

हम वस्तुतः इन उपबन्धों को तत्काल लागू करना चाहते हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि पंचाट के निर्णय के अनुसार हमें श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना होगा। इस संबंध में हमें उन सबका सहयोग चाहिये। हम आशा करते हैं कि यह योजना इस वर्ष के अन्त तक लागू हो जायेगी।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि जिस प्रकार बम्बई में काम के अनुसार मजूरी मिलती है, वही पद्धति कोचीन में भी लागू की जा रही है। बम्बई में यह प्रणाली इस लिये कायम है कि वहां के मजदूर इसके लाभों से परिचित हैं। वे इस प्रणाली के आधार पर पर्याप्त मजूरी भी कमा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि कोचीन में भी श्रमिकों की सहमति से प्रारम्भ से ही काम के अनुसार मजूरी की प्रणाली लागू की जाय। तथापि हम उन्हें ऐसा करने के लिये विवश नहीं कर सकते हैं। यदि बोर्ड इस प्रणाली को लागू करना मजदूरों के हित में समझता है तो वे ऐसा कर सकते हैं, हम इस संबंध में उन्हें अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे।

सर्वप्रथम यह योजना बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में लागू की गई। दूसरे प्रक्रम में इसे कोचीन और विशाखापटनम् में लागू करने का विचार है। विशाखापटनम् में अभी इसे लागू करना संभव नहीं हो सका। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देता हूं कि यदि नियोजक और मजदूर दोनों इस योजना को लागू करना चाहते हैं और इसे लागू करने के लिये आवश्यक कार्य हो चुका है, तो इस योजना को तत्काल लागू किया जायेगा।

तथापि सभी मजूरों को पंजीयित करना संभव नहीं होगा। इस समय बहुत बड़ी संख्या में मजूर इस काम से संबंधित हैं। उनमें से प्रत्येक कुछ काम करके मजूरी कमाता है। प्रस्ताव यह है कि केवल आवश्यक संख्या में ही मजूरों को लेकर उनकी मजूरी बढ़ा दी जाय। मजूरी बढ़ने से यह संभव नहीं है कि दुगुनी संख्या में मजूर लिये जायें और वे बेकार बैठे रहें। यदि पूरा काम करवाने के पश्चात

पूरी मजूरी दी जायेगी तो ३३०० मजूरों में से ७०० मजूर बेकार हो जायेंगे । इनमें से बहुत से मजदूर ऐसा काम भी कर रहे हैं जिनका कि गोदी श्रम बोर्ड के अधीन किये जाने वाले कामों से कोई संबंध नहीं है । इसके लिये जो १००० झूठे दावेदार खड़े हो रहे हैं उन्हें आधिक्य करार दे दिया जायेगा ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : बोर्ड के सरकारी अध्यक्ष ने अपने पद से स्तीफा दे दिया था, मैं जानना चाहता हूं कि नये अध्यक्ष की नियुक्त करने अथवा उक्त अधिकारी से स्तीफा वापस लेने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री आबिद अली** : उस अधिकारी ने स्तीफा नहीं दिया था । केवल यह कहा था कि वे स्तीफा देना चाहते हैं । वे अब भी काम कर रहे हैं । वे एक सरकारी अधिकारी हैं और उन्हें सरकार का आदेश पालन करना होगा । वे कोचीन बन्दरगाह के प्रशासन अधिकारी हैं, उन्हें सरकार के अनुदेश मानने होंगे ।

सभा का कार्य

†**श्री काने** (बुलडाना) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं संसद् कार्य मंत्री की ओर से सभा के कल के कार्य के बारे में एक घोषणा करना चाहता हूं । कल की कार्यसूची में ३ बजे प्रत्यक्ष-कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा रखी गई थी । यह चर्चा कल नहीं होगी । कुछ माननीय सदस्यों का अनुरोध है कि यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिये उन्हें अधिक समय दिया जाये । अत : यह चर्चा कल नहीं होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्यों के अनुरोध पर चर्चा को कल की कार्य सूची से हटा दिया जाता है ।

इस के पश्चात् लोक सभा, मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६०/१५ भाद्र, १८८२ (शक) ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, ५ सितम्बर, १९६०
१४ भाद्र, १८८२ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . . .	३२९३--३३१७
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०४९	थाईलैण्ड से चावल की खरीद .	३२९३--९६
१०५०	एयर इण्डिया इन्टर नेशनल के विज्ञापन . . .	३२९६—९९
१०५१	दिल्ली की वृहद् योजना (मास्टर प्लान) का पहले से पता लग जाना	३२९९–३३००
१०५२	खाद्यान्न का आयात	३३००--०३
१०५४	बी० ओ० ए० सी० और एयर इण्डिया इन्टरनेशनल	३३०३—०५
१०५७	दिल्ली जंकशन पर कोयले और लोहे की चोरी	३३०५–०६
१०५८	उड़ीसा से पश्चिम बंगाल को खाद्यान्न का यातायात . .	३३०७–०८
१०६०	उर्वरकों का उत्पादन . .	३३०९–१०
१०६२	औद्योगिक अग्रिम परियोजनाएं	३३१०—१२
१०६३	"एस० एस० सावित्री" नामक तटीय जहाज का डूबना . .	३३१२—१३
१०६४	कारीकल में शुल्क मुक्त पत्तन . .	३३१३
१०६५	पाकिस्तान को रेलवे यात्रा . .	३३१४
१०६८	कुड्डलूर-सैलम सड़क . . .	३३१४–१५
१०६९	मोटर परिवहन उद्योग . . .	३३१५–१६
१०७०	चीनी की बिक्री . . .	३३१६–१७
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . .	३३१७—७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१०५३	बोइंग ७०७ जेट विमानों का निरीक्षण . . .	३३१७–१८
१०५५	पाण्डु में नदी पत्तन . . .	३३१८–१९
१०५६	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस	३३१९
१०५९	संयुक्त राज्य अमरीका से रेल के डीजल .	३३१९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

	विषय	पृष्ठ
तारांकित		
प्रश्न संख्या		
१०६१	पंजाब द्वारा दिल्ली को बिजली का सम्भरण	३३१९–२०
१०६६	टेलीफोन की दरें	३३२०
१०६७	टूंडला रेलवे स्टेशन पर जला हुआ कोयला	३३२०
१०७१	भारत-नेपाल डाक करार	३३२१
१०७२	नगर आयोजन संगठन के कार्यालय	३३२१
१०७३	चम्बल परियोजना	३३२१–२२
१०७४	अजमेर के निकट रेलगाड़ी का पटड़ी से उतरना	३३२२
१०७५	सहकारी ऋण सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	३३२३
१०७६	मिजो पहाड़ी जिले में भूख से मत्यु	३३२३–२४
१०७७	एयर इण्डिया इण्टरनेशनल का माल परिवहन के बारे में अमरीकी फर्म के साथ करार	३३२४
१०७८	चन्दबाली पत्तन	३३२४–२५
१०७९	ज्वाइंट स्टीमर कम्पनीज़ को ऋण	३३२५
१०८०	कृषि योग्य परती भूमि सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	३३२६
१०८१	हज यात्रियों के लिये सुविधायें	३३२६
१०८२	रेलवे स्टेशनों पर भिखारी	३३२७
१०८३	उमेश नगर स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) के निकट गाड़ी का पटड़ी से उतरना	३३२७
१०८४	फर्म को अधिक अदायगी	३३२८
१०८५	पंजाब से चावल का निर्यात	३३२८
१०८६	रेलवे के डीज़ल इंजनों के लिये टेंडर	३३२८–२९
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२०४०	दिल्ली में मोटर दुर्घटनायें	३३२९
२०४१	चीनी का उत्पादन	३३२९
२०४२	बम्बई में आटा मिलें	३३२९–३०
२०४३	पंजाब में पर्यटकों के लिये विश्राम गृह	३३३०
२०४४	डीजल इंजन	३३३०
२०४५	जम्मू और काश्मीर में वन विकास	३३३०

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०४६	फीरोजपुर डिवीजन में स्टेशनों पर यात्री सुविधायें .	३३३१
२०४७	पंजाब से चावल का निर्यात .	३३३१–३२
२०४८	दिल्ली में पंचायतें	३३३२
२०४९	उत्तर रेलवे में स्वास्थ्य केन्द्र . .	३३३२–३३
२०५०	रेलवे की जमीन . . .	३३३३
२०५१	उत्तर रेलवे में कम खर्च की प्राथमिक पाठशालायें .	३३३३
२०५२	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ५ . . .	३३३३–३४
२०५३	उड़ीसा में छोटी सिंचाई परियोजनायें .	३३३४
२०५४	पंजाब में बीज फार्म	३३३४
२०५५	दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन . . .	३३३५
२०५६	नई जनता भोजन सेवा योजना .	३३३५
२०५७	बीज फार्म	३३३५–३६
२०५८	चरखी दादरी में टेलीफोन एक्सचेंज . . .	३३३६
२०५९	पत्तनों पर भांडागार	३३३६
२०६०	वर्दवान में पलना रोड स्टेशन के समीप नौपरिवहन नहर के एक पुल का टूट जाना .	३३३६–३७
२०६१	रेलवे में 'कन्टेनर' सेवा .	३३३७
२०६२	शकूर बस्ती में ऊपरी पुल . .	३३३७
२०६३	वारंगल में निचला पुल . .	३३३७
२०६४	तेल्लीचेरी-मैसूर रेलवे लाइन . .	३३३८
२०६५	दिल्ली में मुर्गीपालन का प्रशिक्षण . . .	३३३८
२०६६	दिल्ली राज्य में वन विकास . . .	३३३८–३९
२०६७	राष्ट्रीय डेरी अनुसन्धान संस्था, करनाल . .	३३३९–४०
२०६८	पंजाब में मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें . .	३३४०
२०६९	भाखड़ा बांध . .	३३४०
२०७०	कृत्रिम भुजायें . .	३३४१
२०७१	हुगली में जलवर्जना सर्वेक्षण . .	३३४१
२०७२	कलकत्ता के चारों ओर चक्राकार रेलवे . . .	३३४२
२०७३	चन्द्रपुरा में दामोदर घाटी निगम का बिजली घर . .	३३४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :

अतारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२०७४	छोटी सिंचाई योजनायें	३३४२–४३
२०७५	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसन्धान केन्द्र, पूना	३३४३
२०७६	हावड़ा-दिल्ली लाइन	३३४४
२०७७	दन्तचिकित्सा में प्रशिक्षण	३३४४
२०७८	रेलवे स्टेशन के लिये एस्केलेटर	३३४४–४५
२०७९	बीकानेर में मैडिकल कालेज	३३४५
२०८०	अनधिकृत बस्तियों के लिये विकास योजनायें	३३४५
२०८१	मत्स्य-पालन के लिये साज-सामान	३३४६
२०८२	पोलिओ के टीके	३३४६–४७
२०८३	मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	३३४७
२०८४	कृषक-बैंक	३३४७
२०८५	मच्छरों का उत्पात	३३४७–४८
२०८६	सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति	३३४८–४९
२०८७	मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी	३३४९
२०८८	हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जल प्रदाय	३३५०
२०८९	जलपरियां	३३५०
२०९०	रेलवे सैलून	३३५१
२०९१	आसनसोल तथा कन्टाई में रेलवे डाक सेवा के दफ्तर	३३५१
२०९२	बिलासपुर-मुंगेली-मण्डला रेलवे लाइन	३३५२
२०९३	रासायनिक उर्वरक	३३५२
२०९४	स्नोडन अस्पताल, शिमला	३३५३
२०९५	हिमाचल प्रदेश में औषधियों की खरीद	३३५३
२०९६	महासू (हिमाचल प्रदेश) को पीने के पानी का सम्भरण	३३५३–५४
२०९७	हिमाचल प्रश में कृषि कार्यों के लिये जल सम्भरण	३३५४
२०९८	मध्य रेलवे पर पुल	३३५४–५५
२०९९	रेलवे में ट्रेड अप्रेंटिस	३३५५–५६
२१००	संगम पार्क (दिल्ली) के अर्जन के लिये अधिसूचना	३३५६
२१०१	गिंडी में औद्योगिक बस्ती	३३५६–५७
२१०२	अगसौढ (मध्य प्रदेश) में नया रेलवे स्टेशन	३३५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमश :

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२१०३	केन्द्रीय सड़क निधि . .	३३५७–५८
२१०४	मद्रास और केरल में सिंचाई की लघु योजनायें	३३५८
२१०५	त्रिपुरा में सहायक अमीन .	३३५८–५९
२१०६	अगरतला में वाटर -वर्क्स	३३५९
२१०७	मनमाड में ऊपरी पुल . . .	३३५९–६०
२१०८	भारतीय जहाज मालिकों द्वारा भाड़े पर लिये गये स्टीमर	३३६०
२१०९	नये विमानों की खरीद .	३३६०–६१
२११०	कार दुर्घटना .	३३६१
२१११	गांवों में पक्की गलियां .	३३६१–६२
२११२	ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना .	३३६२–६३
२११३	चिकित्सा सम्बन्धी स्नातकोतर प्रशिक्षण	३३६३–६४
२११४	हिमाचल प्रदेश में सड़कें .	३३६४
२११५	यौगिक विधि से मधुमेह का इलाज .	३३६४
२११६	चीनी का वितरण	३३६४–६५
२११७	रेलवे में न्यूनतम मजूरी . . .	३३६५
२११८	हिमाचल प्रदेश बुकिंग एजेन्सी का स्थानान्तरण	३३६६
२११९	दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शन .	३३६६
२१२०	हिमाचल प्रदेश में मछलियों का नाश	३३६६–६७
२१२१	हिमाचल प्रदेश में मीन क्षेत्र . .	३३६७
२१२२	अनाज का सप्लाई के लिये राज्यों को राज सहायता .	३३६७
२१२३	उड़ीसा में बौद्धों के स्थानों के लिये सड़कें	३३६७–६८
२१२४	केन्द्रीय सड़क निधि . . .	३३६८
२१२५	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था में अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारी	३३६८–६९
२१२६	कोटा-भोपाल रेलवे लाइन . .	३३६९
२१२७	अनुसूचित जातियों को दिये गये चाय की दुकानों के ठेके .	३३६९
२१२८	पालम रेलवे स्टेशन के पास दुर्घटना . .	३३६९–७०
२१२९	बिल्हौर और उतरौ पुरा के बीच हाल्ट स्टेशन	३३७०
२१३०	रेलवे क्वार्टरों का बारी से बाहर नियतन	३३७०
२१३१	मेसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी .	३३७०–७१

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३३७१

भारतीय आय-कर अधिनियम, १९५२ के बारे में विधि आयोग के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ३३७१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा ने ३० अगस्त, १९६० की अपनी बैठक में भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६० को पारित कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखा गया . . . ३३७१

सचिव ने भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक, १९६० को राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३३७१

सचिव ने चालू सत्र में संसद् की दोनो सभाओं द्वारा पारित और २९ अगस्त, १९६०, को सभा को दी गई अन्तिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा-पटल पर रखे :

(१) कृषि उत्पादन (श्रेणीकरण तथा चिह्न लगाना) संशोधन विधेयक, १९६० ।

(२) प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।

(३) निष्क्रांत हित (पृथक्करण) संशोधन विधेयक, १९६० ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३३७२–७४

श्री आसर के अगस्त, १९६० के अन्तिम सप्ताह में नागा विद्रोहियों द्वारा एक विमान को गोली से मार गिराने, दूसरे को क्षति पहुंचाने और एक चौकी पर हमला करने की कथित घटनाओं की ओर प्रतिरक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाया ।

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री कृष्ण मेनन) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक—विचाराधीन ३३७४–९१

औषधि (संशोधन) विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . ३३९२–३४१५

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) ने संघ लोक सेवा आयोग के नवें प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री दातार ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

पृष्ठ

आधे घंटे की चर्चा ३४१५-१९

श्री कोडियान ने कोचीन गोदी श्रमिक योजना के बारे में ४ अगस्त, १९६० को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १४० के उत्तर से उत्पन्न बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई। श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई।

मंगलवार, ६ सितम्बर, १९६० १५ भाद्र, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

औषधि (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, सीमा शुल्क तथा उपकर (मीट्रिक इकाइयों में परिवर्तन) विधेयक, बैंकिंग समवाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, तथा दिल्ली प्राथमिक शिक्षा विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार और उनका पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—1108 (Ai) LSD—(J.C. No. 12554-60-61)— 6-10-60—135.